रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई, 6, 1985/आषाढ 15, 1907

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 6, 1985/ASADHA 15, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
## PART II—Section 3—Sub-section (ii)

**Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)**

---

### विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 1985

का. आ. 3077.—केन्द्रीय सरकार दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शाह हुसेन अहमद सज्जादा नशीन दरगाह मख्दूम अब्दुल हक रूदौली जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश जो एक हनफी मुसलमान हैं को, दरगाह समिति, अजमेर के सदस्य के रूप में तुरन्त प्रभावी रूप से नियुक्त करती है।

[सं. 11/(1)/84-वक्फ]

क. सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 28th June, 1985

S.O. 3077.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Dargah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955), the Central Government hereby appoints Shri Shah Hussain Ahmad, Saijada Nashin, Dargah Makhdum Abdul Haq., Rudauli, District Barabanki, Uttar Pradesh, a Hanafi, Muslim, as a member of the Dargah Committee, Ajmer, with immediate effect

[No. 11(1)/84-Wakf]

K. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.

### कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून, 1985

का. आ. 3078.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अभिदायी भविष्य निधि (भारत) संशोधन नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 की अनुसूची के पैरा 2 के अंत में किन्तु प्रथम परन्तुक से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली"

[संख्या एफ 13(1)-पेंन/85 (सी०पी०एफ०)]

टिप्पणी:—अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 (31-3-1973 तक शुद्धकृत) 1973 में प्रकाशित



1373 GI/85 -1

हुए थे। तत्पश्चात इन नियमों का संशोधन निम्न-लिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया :—

1. 16(2) —ई.वी. 73, तारीख 18.9.1973
2. एफ. 32(3)—ई.वी. 67 सी.पी.एफ तारीख 26.10.1973
3. एफ. 32(3)—ई.वी 67 सीपीएफ तारीख 22-12-73
4. एफ 2(2)—ई.वी. (बी) 71 तारीख 29.5.1974
5. एफ 13(1)—ईवी(बी) 73 सीपीएफ तारीख 28-6-74
6. एफ 13(3)—ई वी(बी) 74 सी पी एफ तारीख 5-10-74
7. एफ 16(2)—ई वी(बी) 72 तारीख 9-10-74
8. एफ 13(4)—ईवी(बी) 74 तारीख 10-10-74
9. एफ 2(62)—(1) ई. वी. (बी) 71 सी पी एफ तारीख 14-10-74
10. एफ 24017/1/75-ई. वी. (बी) तारीख 28-2-75
11. एफ 13(3)—ई. वी. (बी) 75 तारीख 28-4-75
12. एफ 2(62)(1)—ई. वी. (बी) 71 तारीख 18-7-75
13. एफ 13(4)—ई. वी. (बी) 75 तारीख 28-10-75
14. एफ 10(3)—ई. वी. (बी) 75 तारीख 12-1-76
15. एफ 13(1)—ई. वी. (बी) 76 तारीख 27-1-76
16. एफ 13(5)—ई. वी. (बी) 75 तारीख 15-5-76
16. एफ 13(5)—ई. वी. (बी) 75 तारीख 15-5-76
17. एफ 13(6)—ई.वी. (बी) 76 तारीख 30-6-76
18. एफ 13(7)—ई. वी. (बी) 76 तारीख 26-7-76
19. एफ 13(3)—ई. वी. (बी) 76 सी पी एफ तारीख 17-11-76
20. एफ 13(8)—ई. वी. (बी) 76 सी पी एफ तारीख 10-12-76
21. एफ 16(4)—ई. वी. (बी) 76 सी पी एफ तारीख 17-12-76
22. एफ 10(8)—ई. वी. (बी) 76 सी पी एफ तारीख 19-2-77
23. एफ 13(9)—ई. वी. (बी) 76 सी पी एफ तारीख 25-2-77
24. एफ 13(11) ई. वी. (बी) 76 सी पी एफ तारीख 28-4-77
25. एफ 13(10)—ई. वी. (बी) 76 सी पी एफ तारीख 5-9-77
26. एफ 13(4)—ई. वी. (बी) 76 सी पी एफ तारीख 18-10-77
27. एफ 13(10)—ई.वी. (बी) 76 सी. पी. एफ. तारीख 21-1-78
28. एफ 13(7)—ई. वी० (बी) 77 सी. पी. एफ. तारीख 23-1-78
29. एफ 20(25)—ई. वी. (बी) 77 सी. पी. एफ. तारीख 13-3-78
30. एफ 13(5)—ई. वी. (बी) 77 सी. पी. एफ तारीख 30-3-78
31. एफ 13(7)—ई. वी. (बी) 77 सी. पी. एफ. तारीख 22-4-78
32. एफ 13(11)—ई. वी. (बी) 78 सी. पी. एफ. तारीख 30-5-79
33. एफ 17(5)—ई. वी. (बी) 78 सी. पी. एफ. तारीख 18-6-79
34. एफ 19(15)पेंन 76—सी. पी. एफ. तारीख 9-8-79
35. एफ 9(2)—ई. वी. (बी) 73 तारीख 13-11-79
36. एफ 10(10)—पेंन 79 सी. पी. एफ. तारीख 3-3-80
37. एफ 20(22)—ई. वी. (बी) पेंन 79 सी. पी. एफ. तारीख 18-4-80
38. एफ 13(6)—पेंन 79 सी. पी. एफ. तारीख 18-4-80
39. एफ 16(2)—पेंन 79 सी. पी. एफ. तारीख 12-6-80
40. एफ 2(1)—पेंन 77सी.पी. एफ. तारीख 1-10-80
41. एफ 16(3)—पेंन 79 सी. पी. एफ. तारीख 13-10-80
42. एफ 10(2)—पेंन 81 सी. पी. एफ. तारीख 21-12-81
43. एफ 13(3)—पेंन 83 सी. पी. एफ. तारीख 30-4-83
44. एफ 19(2)—पेंन 80 सी. पी. एफ. तारीख 10-5-83
45. एफ. 16(3)—पेंन 79 सी. पी. एफ. तारीख 18-5-83
46. एफ 19(1)—पेंन 83 सी. पी. एफ. तारीख 20.5.83
47. एफ 20(10)—81—पेंशन एकक तारीख 30.7.83

## MINISTRY OF PERSONNEL AND TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Pension & Pensioners' Welfare)

New Delhi, the 19th June, 1985

S.O. 3078.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Contributory Provident Fund (India) Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coneributory Provident Fund Rules (India), 1962, in para 2 of the Fifth Schedule, the following entry shall be inserted at the end but before the first proviso therein, namely :—

"Chairman, Union Public Service Commission, New Delhi.'

[No. F. 13(1)-Pen./85-CPF]

NOTE . The Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, (corrected upto 31-3-1973) were published in 1973. Rules were subsequently amended vide the Notifications mentioned below :—

1. 15(2)-EV/73 dated 18-9-1973
2. F. 32(3)-EV/67/CPF dated 26-10-1973
3. F. 32(3)-EV/67-CPF dated 22-12-1973
4. F. 2(2)-EV(B)/71 dated 29-5-1974
5. F. 13(1)-EV(B)-73-CPF dated 28-6-1974
6. F. 13(3)-EV(B)-74-CPF dated 5-10-1974
7. F. 16(2)-EV(B)/72 dated 9-10-1974
8. F. 13(4)-EV(B)/74 dated 10-10-1974
9. F. 2(62)(1)-EV(B)-71-CPF dated 14-10-1974
10. F. 24017/1/75-EV(B)-71-CPF dated 28-10.1975
11. F. 13(3)-EV(B)/75 dated 28-4-1975
12. F. 2(62)(i)-EV(B)/71 dated 18-7-1975
13. 13(4)-EV(B)/75 dated 28-10-1975.
14. F. 10(3)-EV(B)/75 dated 12-1-1976
15. F. 13(i)-EV(B)/76 dated 27-1-1976
16. F. 13(5)-EV(B)/75 dated 15-5-1976
17. F. 13(6)-EV(B)/76 dated 20-6-1976
18. F. 13(7)-EV(B)/76 dated 26-7-1976
19. F. 13(3)-EV(B)/76-CPF dated 17-11-1976
20. F. 13(8)-EV(B)/76-CPF dated 10-12-1976
21. F. 16(4)-EV(B)/76-CPF dated 17-12-1976
22. F. 10(8)-EV(B)/76-CPF dated 19-2-1977
23. F. 13(9)-EV(B)/76-CPF dated 25-2-1977
24. F. 13(ii)-EV(B)/76-CPF dated 28-4-1977
25. F. 13(10)-EV(B)/76-CPF dated 5-9-1977
26. F. 13(4)-EV(B)/76-CPF dated 18-10-1977
27. F. 13(10)-EV(B)/76-CPF dated 21-1-1978
28. F. 13(7)-EV(B)/77-CPF dated 23-1-1978
29. F. 20(25)-EV(B)/77-CPF dated 13-3-1978
30. F. 13(5)(B)/77-CPF dated 30-3-1978
31. F. 13(7)-EV(B)/77-CPF dated 22-4-1978
32. F. 13(ii)-EV(B)/78-CPF dated 30-5-1979
33. F. 17(5)-EV(B)/78-CPF dated 18-6-1979
34. F. 19(15)-Pen/76-CPF dated 9-8-1979
35. F. 9(2)-EV(B)/78-CPF dated 13-11-1979
36. F. 10(10)-Pen/79-CPF dated 3-3-1980
37. F. 20(22)-EV(B)/Pen/79-CPF dated 18-4-1980
38. F. 13(6)Pen/79-CPF dated 18-4-1980
39. F. 16(2)-Pen/79-CPF dated 12-6-1980
40. F. ii(i)-Pen/77-CPF datad 1-10-1980
41. F. 16(3)-Pen/79-CPF dated 13-10-1980
42. F. 10(2)-Pen/81-CPF dated 21-12-1981
43. F. 13(3)-Pen/82-CPF dated 30-4-1983
44. F. 19(2)-Pen/80-CPF dated 10-5-1983
45. F. 16(3)-Pen/79-CPF dated 18-5-1983
46. F. 19(1)-Pen/83-CPF dated 20-5-1983
47. F. 20(10)-Pen/81-CPF dated 30-7-1983.

का. आ. 3079:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) दूसरा संशोधन नियम, 1985 है ।

(2)ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में पांचवी अनुसूची के पैरा 2 के अंत में किन्तु प्रथम परन्तुक से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।"

[सं. 13(1)—पेंशन—85—जी. पी. एफ]

एन. एस. शंकरन, अवर सचिव

टिप्पणी:—साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 का.आ.सं. 3000 तारीख 1—12—1960 के रूप में प्रकाशित किए गए थे, इन नियमों का तीसरा पुनःमुद्रण (30.11.1978 तक शुद्धकृत) 1979 में छपा था । तत्पश्चात इन नियमों का संशोधन नीचे वर्णित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया :—

1. एफ. 13(8)/77—ई. वी. (बी), तारीख 13.12.1978
2. एफ. 13(5)/78—ई. वी. (बी), तारीख 23.4.1979
3. एफ. 13(11)/78—ई. वी. (बी), तारीख 30.5.1979
4. एफ. 13(7)/78—ई. वी. (बी), तारीख 18.6.1979
5. एफ. 17(5)—ई. वी. (बी)/78, तारीख 18.6.1979
6. एफ. 19(15)—पेंशन/76 (जी. पी. एफ) तारीख 3.3.1980
7. एफ. 9(2)—ई. वी. (बी)/78—जी. पी. एफ, तारीख 13.11.89
8. एफ. 10(10)/—पेंशन/79—जी. पी. एफ. तारीख 3.3.1980
9. एफ. 20(22)—ई.वी.(बी)/पेंशन/79—जी. पी. एफ. तारीख 18.4.80
10. एफ: 13(6)/पेंशन/77—जी. पी. एफ. तारीख 18.4.1980

11. एफ. 16(2)/पेंशन/79—जी. पी. एफ., तारीख 12.6.1980
12. एफ. 11(1)/पेंशन/77—जी. पी. एफ., तारीख 1.10.1980
13. एफ. 16(3)/पेंशन/79—जी. पी एफ. तारीख 13.10.1980
14. एफ. 10(2)/पेंशन/81—जी. पी. एफ, तारीख 21.12.81
15. एफ 13(1)/पेंशन/82—तारीख 8.9.1982
16. एफ. 13(3)/पेंशन/83—जी. पी. एफ., तारीख 30.4.1983
17. एफ. 19(2)/पेंशन/80-जी० पी. एफ., तारीख 10.5.1982
18. एफ. 16(3)/पेंशन/77—जी. पी. एफ.,तारीख 19.5.1983
19. एफ. 13(2)/80/पेंशन, तारीख 20.5.1983
20. एफ. 19(1)/पेंशन/83—जी. पी. एफ,. तारीख, 20.5.1983
21. एफ सं. 20(10)/81/पेंशन एकक—जी. पी. एफ, तारीख 30.7.83
22. एफ. 13(1)/84—पेंशन, तारीख 19.3.1984
23. एफ. 13(4)/84—पी. यू. (जी. पी. एफ.) तारीख 26.6.1985

S.O. 3079.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Service) Rules, 1969, namely—

1. (1) Thes rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Second Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in para 2 of the Fifth Schedule, the following entry shall be inserted at the end but before the first proviso therein, namely :—

"Chairman Union Public Service Commission, New Delhi."

[No. F. 13(1)-Pen./83-GPF]
N. S. SANKARAN, Under Secy.

NOTE : General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, were published as S.O. No. 3000 dated 1-12-1960. The Third reprint (corrected upto 30-11-1978) of the rules was printed in 1979. The rules were subsequently amended vide notifications mentioned below :—

1. F. 13(8)|77-EV(B), dated 13-12-1978.
2. F. 13(5)|78-EB(B), dated 23-4-1979.
3. F. 13(11)|78-EV(B) dated 30-5-1979
4. F. 13(7)|78-EV(B), dated 18-6-1979.
5. F. 17(5)|EV(B)|78, dated 18-6-1979.
6. F. 19(15)|Pen|76(GPF) dated 9-8-1979.
7. F. 9(2)-EV(B)|Pen|78-GPF, dated 13-11-79.
8. F. 10(10)-Pen|79-GPF. dated 3-3-1980.
9. F. 20(22)-EV(B)|Pen|79-GPF, dated 18-4-1980.
10. F. 13(6)-Pen|79-GPF, dated 18-4-1980.
11. F. 16(2)-Pen|79-GPF, dated 12-6-1980.
12. F. 11(1)-Pen|77-GPF, dated 1-10-1980.
13. F. 16(3)-Pen/79-GPF, dated 13-10-1980.
14. F. 10(2)-Pen|81-GPF, dated 21-12-1981
15. F. 13(1)-Pen|82, dated 8-9-1982.
16. F. 13(3)-Pen|82-GPF, dated 30-4-1983.
17. F. 19(2)-Pen|80-GPF, dated 10-5-1983.
18. F. 16(3)-Pen|77-GPF, dated 19-5-1983.
19. F. 13(2)/80-Pen, dated 20-5-1983.
20. F. 19(1)-Pen|83-GPF, dated 20-5-1983.
21. F. No. 20(10)|81-Pension Unit-GPF, dated 30-7-1983
22. F. 13(1)-Pen|84, dated 19-3-1984.
23. F. 13(4)|84-PU(GPF) dated 26-2-1985.

---

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1985

(आयकर)

का. आ. 3080—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2) (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, "दि अरूलमिगु अरासलीश्वरर मंदिर, ओजण्डियापत्तु, वानुर तालुक" को समस्त तमिलनाडु राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजास्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 6197 / फा. सं. 176/2/85-आ. क. (नि.-1)]

आर. के. तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th April, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 3080.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Arulmigu Arasaleaswarar Temple, Ozundiappattu, Vanur Taluk" as a place of public worship renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 6197|F. No. 176|2|85-IT(A1)]
R. K. TEWARI, Under Secy.

(आयकर)

का. आ. 3081—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (3) के अनुसरण में और भारत सरकार राजस्व विभाग की दिनांक 18 मार्च, 1983 की अधिसूचना सं. 5131 / फा. सं. 398/7/83—आ. क. (ब.) का अधिलंगन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, श्री पी. के. विश्वास को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री पी. के. विश्वास द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 6226 (फा. सं. 398/4/85—आ. क. ब.)]

बी. ई. अलैक्जेंडर, अवर सचिव

New Delhi, the 18th May, 1985

INCOME-TAX

S.O. 3081.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 5131 (F. No. 398|7|83-

IT(B) dated the 18-3-83, the Central Government hereby authorises Shri P. K. Biswas, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri P. K. Biswas takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6226|F. No. 398|4|85-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 21 जून, 1985

का. आ. 3082—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के अनुसरण में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (द्वितीय संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 18 के उपनियम (1) में, दूसरे परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा :—

"परन्तु यह और कि मंजूर की गई स्कीम के मूल प्राक्कलनों से 20 प्रतिशत या दो करोड़ रुपये तक इनमें से जो भी कम हो, से अधिक व्यय की मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा जब तक कि स्कीम या परियोजना में सारभूत परिवर्तन न किया गया हो :

टिप्पण : वित्तीय शक्तियों का प्रत्योजन नियम 1979, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 22 जुलाई 1978 में अधिसूचना सं. का. आ. 2131 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | अधिसूचना सं. का. आ. | 1887 तारीख | 9.6.1979 |
| (2) | ,, सं. का. आ. | 2942 तारीख | 1.9.1979 |
| (3) | ,, सं. का. आ. | 2611 तारीख | 4.10.1980 |
| (4) | ,, सं. आ. का. | 2164 तारीख | 15.8.1981 |
| (5) | ,, सं. आ. का. | 2304 तारीख | 5.9.1981 |
| (6) | ,, सं. आ. का. | 3073 तारीख | 4.9.1982 |
| (7) | ,, सं. का. आ. | 4171 तारीख | 1.12.1982 |
| (8) | ,, सं. का. आ. | 1312 तारीख | 26.2.1983 |
| (9) | ,, सं. का. आ. | 2502 तारीख | 4.8.1984 |
| (10) | ,, सं. का. आ. | 22 तारीख | 5.1.1985 |
| (11) | शुद्धि पत्र सं. का. आ. | 1958 तारीख | 11.5.1985 |

[सं. एफ. 1(11)-ई-II (ए)/81]

रा. ल. चौधरी, अवर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 21st June, 1985

S.O. 3082.—In pursuance of clause (3) of article 77 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, namely : —

1. (1) These rules may be called the Delegation of Financial Powers (Second Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Sub-rule (1) of rule 18 of the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided further that the approval of the Finance Ministry shall not be required to sanction excess expenditure over the original estimates of a sanctioned scheme upto twenty percent or rupees two crores, whichever is less, unless the scheme or project has been substantially altered."

NOTE : The Delegation of Financial Powers Rules, 1978 published vide Notification No. S.O. 2131 appearing in Part II, Section (3), Sub-Section (ii) of the Gazette of India dated July 22, 1978 subsequently amended by :—

(i) Notification No. SO 1887, dated 9-6-1979.
(ii) Notification No. S.O. 2942 dated 1-9-1979.
(iii) Notification No. SO 2611, dated 4-10-1980.
(iv) Notification No. SO 2164, dated 15-8-1981.
(v) Notification No. SO 2304 dated 5-9-1981.
(vi) Notification No. SO 3073, dated 4-9-1982.
(vii) Notification No. SO 4171, dated 11-12-1982.
(viii) Notification No. SO 1314, dated 26-2-1983.
(ix) Notification No. SO. 2502, dated 4-8-1984.
(x) Notification No. SO 22, dated 5-1-1985.
(xi) Corrigendum No. SO 1958, dated 11-5-1985.

[No. F 1(11)-E. II(A)/81]

R. L. CHAUDHRY, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 1985

का. आ. 3083—सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों को सिक्का निर्माण ("विकास के लिए वानिकी" के लिए निर्मित 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले 25 पैसे के स्मारक सिक्कों का मानक भार और उपचार) नियम 1985 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जाएगें।

2. विषय वस्तु "Forestry for Development" सहित निर्मित 25 पैसे के सिक्कों का मानक भार और अनुमत उपचार : सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 (1906 का 3) की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन "विकास के लिए वानिकी" के स्मारक के रूप में निर्मित 25 पैसे के गोल आकार के सिक्के का मानक भार और इस प्रकार का सिक्का बनाने के लिए अनुमत उपचार निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट किये गये के अनुसार होंगे। :—

सारणी

| सिक्के का मूल्यवर्ग | मानक भार | अनुमत उपचार | |
|---|---|---|---|
| | | संरचना में | मानक वजन में |
| 25 पैसे | 2.5 ग्राम | तांबा और निकल दोनों के सिक्कों के लिए 1/100वां भाग जमा या घटा अर्थात् तांबे में 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक और निकल में 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक अंतर हो सकता है। | 1/40वां भाग जमा या घटा अर्थात् भार में 2.4375 से 2.5625 तक परिवर्तन हो सकता है। |

[एफ० 1/31/82 को इन]

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 11th June, 1985

S.O. 3083.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 21, read with section 7, of the Coinage Act, 1906 ( 3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Coinage (Standard Weight and Remedy of the commemorative coin of 25 paise containing copper 75 per cent and nickel 25 per cent coined for "Forestry for Development") Rules 1985".

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Standard weight and remedy allowed on the 25 paise coins coined with the theme "Forestry for Development"—The standard weight of the round shaped coin of 25 paise, coined under the provisions of sub-section (1) of section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), in commemoration of "Forestry for Development", and the remedy allowed in the making of such coin shall be as specified in the table below:—

Table

| Denomination | Standard weight | Remedy allowed | |
|---|---|---|---|
| | | In composition | In standard weight |
| 25 Paise | 2.5 grms. | 1/100th plus or minus both for copper and nickel that is to say copper could vary from 74% to 76% and Nickel from 24% to 26 % | 1/40th plus or minus that is to say the weight could vary from 2.4375 grammes to 2.5625 grammes |

[No. F. 1/31/82-Coin]

का. आ. 3084—सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निश्चित करती है की केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी किये जाने के लिए टकसाल में निम्नलिखित मूल्यवर्ग के के 8 सिक्के निर्मित किये जाएगें और इस प्रकार सिक्के निम्नलिखित परिमाप, डिजाइन और धात्विक संरचना के अनुरूप होंगें :—

| सिक्के का मूल्य वर्ग | आकार और बाहरी दांतो की व्यास | संख्या | धात्विक संरचणा |
|---|---|---|---|
| 25 पैसे | गोलाकार 19 मिलीमीटर | 100 | तांबा–निकल–तांबा–75 प्रतिशत निकल–25 प्रतिशत |

डिजाइन

मुख्य भाग :—सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके साथ हिंदी में लेख 'सत्यमेव जयते' नीचे अंकित होगा और ऊपरी बांई सतह पर पार्श्व में शब्द "भारत" होगा और ऊपरी दांई सतह पर शब्द "India" होगा। इस पर मूल्यवर्ग "25" अंतर्राष्ट्रीय अंकों में होगा जिसकी संख्या निचली बांई सतह पर पार्श्व में हिंदी में शब्द "पैसे" और निचली दाई सतह पर शब्द "Paise" होगा।

पृष्ठ भाग : सिक्के के इस भाग में विषय वस्तु "forertry for Development" होगा। सिक्के के केंन्द्र पर एक वृक्ष होगा और नीचे वृक्ष के बाई ओर एक ग्रामीण महिला होगी और वृक्ष के दांई ओर एक खड़ा हुआ हिरण तथा उड़ता हुआ पक्षी होगा ओर वृक्ष के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष "1985" होगा। हिन्दी में लेख "विकास के लिये वानिकी" पार्श्व में उपरी सतह पर होगा और "forestry for Development" दांई सतह पर होगा।

[एफ. 1/31/82–कोइन]

सी. जी. पथरोज, अवर सचिव

S.O 3084.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1)of section 6 of the Coinage Act, 1906(30 of 1906), the Central Government hereby determines that the coin of the following denomination shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government and the such coin shall conform to the following dimension, design and metal composition, namely:—

| Denomination of the coin | Shape and outside diameter | Number of serrations | Metal composition |
|---|---|---|---|
| 25 Paise | Circular 19 mm. | 100 | Cupro-nickel-Copper-75% Nickel 85% |

DESIGN

OBVERSE: This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar with the legend "सत्यमेव जयते" in Hindi inscribed below flanked on the left upper periphery with the word "भारत" in Hindi and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "25" in international numerals flanked on the left lower peaipeery with the word "पैसे" in Hind and on the right lower peripeery the word "PAISE"

REVERSE: This face of the coin shall have the theme "FORESTRY FOR DEVELOPMENT". In the centre there shall be a tree and below at left side of the tree there shall be rural women and at the right side of the tree there shall be a standing deer and a flying bird and below the tree there shall be the year "1985" in international numberals The inscription "विकास के लिये वानिकी" in Hindi shall be flanked on the upper periphery and "FORESTRY FOR DEVELOPMENT" on the lower periphery.

[F.No. 1/31/82-COIN]
C.G. PATHROSE, Under Secy.

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 28 मई, 1985

का.आ. 3085:—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उप-धारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री ध्यान स्वरूप को तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा (उत्तरप्रदेश) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 26 अप्रैल, 1985 का से प्रारम्भ होकर 30 अप्रैल 1988 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री ध्यान स्वरूप अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं. एफ. 2(92)/84-आर.आर.बी.]

(Banking Division)

New Delhi, the 28th May, 1985

S.O. 3085.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Dhyan Swarup as the Chairman of the Tulsi Gramin Bank, Banda (UP) and specifies the period commencing on the 26th April 1985 and ending with 30th April 1988 as the period for which the said Shri Dhyan Swarup shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2(92)/84-RRB]

नई दिल्ली, 12 जून 1985

का.आ. 3086:—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री आर. पी. सिंह को जिनकी धारा 11 की उपधारा (i) के अंतर्गत इससे पहले 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की अवधि 31-3-85 को समाप्त हो गई थी, दिनांक 1 अप्रैल, 1985 को शुरू होने वाली और 25 अप्रैल, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 2/92/84-आर. आर. बी.]

प. वा. मीरचन्दानी, निदेशक

New Delhi, the 12th June, 1985

S.O. 3086.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government reappoints Shri R. P. Singh as the Chairman of Tulsi Gramin Bank, Banda whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of Section 11 and expired on 31-3-85 for a period commencing from 1-4-85 and ending with 25-4-85.

[No. F. 2-92/84-RRB]
C. MIRCHANDANI, Director

नई दिल्ली, 18 जून, 1985

का.आ.—3087 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है की बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) नियम, 1966 के नियम 10 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा की सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 31, के उपबंध उस सीमा तक अनंतशयनम कोपारेटिव बैंक लिमिटेड त्रिवेन्द्रम पर लागू नहीं होंगे जहां तक उनका संबंध 30 जून, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये उसके तुलन-पत्र एवं लाभ हानि विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशित होने से है ।

[एफ संख्या—8-5/85/ए.सी.]
अमर सिंह, अवर सचिव

Ne Delhi, the 18th June, 1985

S.O. 3087.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 31 of the Banking Regulation Act, 1949 (As applicable to Cooperative Societies) read with Rule 10 of the Banking Regulation (Cooperative Societies) Rule 1966, shall not apply to the Anantthasayanam Cooperative Bank Ltd. Trivandrum, as far as they relate to the publication of its balance sheet and profit and loss account for the year ended 30 June 1984 together with the auditor's report in a news paper.

[F. No. 8-5|85-AC]
AMAR SINGH, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पादक शुल्क समाहर्ता का कार्यालय
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

अधिसूचना सं. 1/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1985

कलकत्ता, 15 मई, 1985

का. आ. 3088.— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं नरेन्द्र कुमार वाजपेयी, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलकत्ता—1 इसके द्वारा निम्नलिखित तालिका के कालम 3 में दिखाये गये अधिकारियों को अपने संबंधित कार्यक्षेत्र

में उक्त तालिका के कालम 1 में बताय गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 173 एल. 173एम. तथा 192 के अंतर्गत समाहर्ता की शक्तियों और कालम 2 में व्यक्त शक्तियों के स्वरूप को कालम 4 में दी गई शर्तों तथा सीमाओं के अनुसार प्रयोग करने को प्राधिकृत करता हूं ।

| केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम | प्रदत्त शक्ति का स्वरूप | आधिकारीगन जिनकों प्रदत्त किया गया | सीमाएं तथा शर्तें |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 173एल और 173 एम | (1) वस्तुओं को गोदाम–भाड़ा को शिथिल करने की शक्ति | अपर समाहर्ता उप समाहर्ता | |
| | (2) वस्तुओं को वापस लेने की अवधी बढ़ाने की शक्ति | उपसमाहर्ता | |
| | (3) समाहर्ता के अतिरिक्त शक्तियां | सहायक समाहर्ता | |
| 192 | (1) अनुमति मन्जूर करने की शक्ति | अधिसूचना में उल्लिखित अधिकारी अन्यथा सहायक समाहर्ता | |
| | (2) सुरक्षा एवं बन्ध रकत की निर्धारित तथा अनुमति को जारी कर नेकी शक्ति | अनुज्ञाप्ति अधिकारी | |

यह स्पष्ट किया जाता है कि समाहर्ता की अधिसूचना सं 1 (केंद्रीय उत्पाद शुल्क/1984) दिनांक 1–7–84 के अधीन नियम 173एल, 173एम तथा 192 के संबंध में अधिकारियों को समाहर्ता की जो शक्तियां दी गयी हैं उनका संशोधन प्रत्येक नियम के सामने उल्लिखित सीमा तक कर दिया गया है ।

[सी. सं. IV(8)1–के.उ./85]

नरेन्द्र कुमार वाजपेयी, समाहर्ता

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

CENTRAL EXCISE

Instruction No. 1/Central Excise/1985

Calcutta the 15th May, 1985

S.O.3088.—In exercise of the powers conferred upon me by Rule 5 of Central Excise Rules, 1944, I, N.K. Bajpai Collector of Central Excise, Calcutta-I Calcutta, do hereby authorise the officers shown in Column 3 of the following table to exercise within their respective jurisdiction the powers of the Collector under the Central Excise Rules, 173L, 173M and 192 enumerated in column 1 and the nature of power specified in column 2 of the said Table subject to the limitations and conditions set out in column 4 thereof.

| Central Excise Rules. | Nature of power delegated. | Officers to whom delegated. | Limitations & conditions. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 173Land 173M | (i) Power to relax storage of goods. | Additional Collector/Dy. Collector. | |
| | (ii) Power to extend the period for returns of goods. | Dy. Collector. | |
| | (iii) Collector's other powers. | Asstt. Collector. | |
| 192 | (i) Power to grant permission. | Officer mentioned in remission Notification; otherwise Asstt. Collector. | |
| | (ii) Power to issue licence & fixing of bond amount and security. | Licensing Authority | |

2. It is stated that the delegation of Collector's powers to the Offcers in respect of the Rules 173L & 173 M and 192 under Collector's Notificatioh No. 1/Central Excise/1984 dated 1-7-84 have been modified to the extent mentioned against each Rule.

[C.No. IV(8)1-CE/85]

N.K. BAJPAI, Collector

आदेश

नई दिल्ली, 15 जून 1985

का. आ.3089.—सूखे हुए शार्क के पंख और सूखे हुए मछलों के जबड़ों को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 4379 तारीख 29 नवम्बर, 1984 के अधीन भारत के राजपत्र भाग-2 खंड-3 उपखंड (ii) तारीख 15 दिसम्बर 1984 में प्रकाशित किए गए थे जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 18-12-84 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप प्रस्ताव पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 5054 तारीख 29 नवम्बर 1969 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कि निर्यात निरीक्षण परिषद परामर्श करने के पश्चात यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वह:—

(1) अधिसूचित करती है कि सूखे हुए शार्क के पंख और सूखे हुए मछली के जबड़े निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे;

(2) इस आदेश के उपबंध में दिए गए विनिर्देशों को सूखे हुए शार्क के पंखों और सूखे हुए मछली जबड़ों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है;

(3) यह विनिर्दिष्ट करती है कि सूखे हुए शार्क के पंखों और सूखे हुए मछली के जबड़ों का निर्यात (क्वालिटी-नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1985 में दिए गए निरीक्षण का प्रकार निरीक्षण का ऐसा प्रकार होगा जो निर्यात से पूर्व ऐसे सूखे हुए शार्क के पंखों और सूखे हुए मछली के जबड़ों को लागू किया जाएगा;

(4) ऐसे सूखे हुए शार्क के पंखों और सूखे हुए मछली के जबड़ों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि उसके साथ उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि उक्त सूखे हुए शार्क के पंख और सूखे हुए मछली के जबड़ें उप-पैरा (2) के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है और निर्यात योग्य है।

2. इस आदेश की कोई भी बात, भावी क्रेताओं के लिए जल, भूमि या वायु मार्ग द्वारा सूखे हुए शार्क के पंखों और सूखे हुए मछली के जबड़ों के नमूनों के रूप में निर्यात को लागू नहीं होगी, परन्तु यह तब जब कि प्रत्येक ऐसे नमूनें का भार 2 किलोग्राम से अधिक न हो।

3. इस आदेश के प्रयोजन के लिए, (क) "सूखे हुए शार्क पंख" से अभिप्रेत है खाद्य शार्कों के पृष्ठ पंख, उदर पंख, वक्षीय पंख या रीढ़ की हड्डी सहित पूंछ पंख।

(ख) "सूखे हुए मछली के जबड़े" से अभिप्रेत है मछलियों की निम्नलिखित जातियों के सूखे वायु आशय अर्थात:

(1) मुरयमसोक्स टेलबोनाइड्स विशेष (एल/विलंकू/बेम)

(2) मीयूडोसीएना विशेष (ज्यू मछली/कयालाई/गोल)

(3) पोलीनीमस, पोलीडैक्टीलस विशेष (छेड/मछली/काला/डारा)

(4) आटोलिथाइड्स बुनीअस (जांयट क्रोकर/पन्ना/कोटे)

(5) एरियस, टैकिसरस विशेष (कास्ट मछली/कलव पिटारा/सिंगाला)

(6) लेट्स, पसमोपरका विशेष (बैकटी/जांयट/पर्च/बैग सी पर्च)

(7) मौरिहा विशेष (निजार्ड मछली)

उपाबंध

क. सूखे हुए शार्क के पंखों के लिये विनिर्देश

सामान्य लक्षण:—सूखे हुए शार्क के पंख ताजे खाद्य शार्कों से तैयार किये जायेंगे। सामग्री समुचित रूप से सुखाई जायेगी उचित रूप से फफूंदी, कीट और कुटकी बाधा से मुक्त होगी यह किसी दृश्यमान संदूषण से भी मुक्त होगी। इस सामग्री को तैयार करने में खाद्य शार्क के पृष्ठ, उदर, वक्षीय और पुच्छीय (पूंछ) पंखों का उपयोग किया जायेगा। कटे हुए सिरों पर अधिक मांस नहीं होगा। निर्यातकर्ता द्वारा यथाघोषित पुच्छीय (पूंछ) पंख रीढ़ की हड्डी सहित/रहित होंगे।

| प्रकार | सें०मी० में लम्बाई पर आधारित आकार, श्रेणियां | | रंग | गंध |
|---|---|---|---|---|
| | रीढ़ की हड्डी रहित†† पृष्ठीय उदर और वक्षीय तथा पुच्छीय पंख | ††रीढ़ की हड्डी सहित पुच्छीय पंख | | |
| (i) सफेद (रंजो और बिचीकी) | 10 सें०मी० से कम | 20 सें०मी० से कम | लक्षण जातियों का सफेद, काला या धब्बेदार, पीला/पीला-सा सफेद रंग | सूखे मांस की विशिष्ट गंध किसी भी खराब गंध से मुक्त होगी। |
| (ii) काला या धब्बेदार | 10 सें०मी० से अधिक और 20 सें०मी० से कम | 20 सें०मी० से अधिक और 30 सें०मी० से कम | | |
| (iii) पीला/पीला-सा सफेद (चलूपा) | 20 सें०मी० से अधिक तथा 30 सें० मी० से कम | 30 सें० मी० से अधिक और 40 सें० मी० से कम | | |
| | 30 सें० मी० से अधिक और 40 सें० मी० से कम | 40 सें० मी० से अधिक और 50 सें० मी० से कम | | |
| | 40 सें०मी० से अधिक | 50 सें०मी० से ऊपर | | |

टिप्पण :— †† अगले उच्चतर या निम्नतर श्रेणी या दोनों के लिये भार के आधार पर 5 प्रतिशत सहिष्णुता अनुज्ञात की जायेगी।

परिभाषाएं :

(i) पृष्ठीय, उदर, वक्षीय पंखों को ऊपरी या अग्रवर्ती कोने से कटे हुए सिरों के अग्रभाग तक और पुच्छीय पंखों को रीढ़ की हड्डी के बिलकुल नोक से कटे हुए सिरे तक मापा जायेगा।

(ii) निरीक्षण के प्रयोजन के लिये काले में धब्बेदार किस्मों सहित धूसर-सा काला सम्मिलित होगा।

(iii) वक्षीय पंखों की दशा में पंखों के बाह्य या ऊपरी ओर के रंग पर विचार किया जायेगा।

(iv) रजों में केवल विशेष राइनकोबेटस ओजेडेंसिस के पंख होंगे।

† यदि निर्यात आदेश में विनिर्दिष्ट रूप में यह उल्लिखित हो कि क्रेता को कुटकी या अन्य बाधा के लिये कोई आपत्ति नहीं है तो इस अनुबंध को शिथिल कर दिया जायेगा।

ख. सूखे हुए मछली के जबड़ों के लिये विनिर्देश

सामान्य लक्षण :—सूखे हुए मछली के जबड़े विदेशी क्रेताओं की अपेक्षानुसार टुकड़े, फांक या किसी अन्य रूप में होंगे। एल मछली के जबड़े निर्यातकर्ता द्वारा घोषित रूप में वायु सहित/रहित होंगे। सामग्री अच्छी प्रकार से सूखी हुए होंगी, एक दूसरे से चिपकी हुए नहीं होंगी। और किसी भी दृश्यमान संदूषण से मुक्त होंगी। सामग्री में एक विशेष गंध होगी और दुर्गंध से मुक्त होगी।

†प्रकार और आकार श्रेणियां† प्रति किलोग्राम (गणना)

| सभी प्रकार के मछली जबड़ों के लिये रंग पर आधारित क्वालिटी श्रेणियां | एल/विलकूं/बेम | ज्यू मछली/कथलाई/घोल | थेड मछली/काला/डारा | जायंट क्रोकर/पन्ना/कोटे | केट मछली केलरु/पोटेरा/सिगला | थेकटी जायंट/पर्च वेश्यू सी पेर्च | लिजार्ड मछली |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क. श्रेणी रक्त के धब्बों से किंचित साफ होगा | 15 और कम<br>16—30 | 15 और कम | 15 और कम | 7 और कम<br>8—15 | 40 और कम<br>41—100 | 12 और कम | 15 और कम |
| ख. श्रेणी मामूली रूप से रक्त के धब्बे | 31—45<br>45 और अधिक | 16—25 | 16—25 | 16 और अधिक | 101 और अधिक | 13 और अधिक | 16 और अधिक |
| ग. श्रेणी व्यापक रूप से रक्त के धब्बे होंगे | टुकड़े | 26 और अधिक, टुकड़े | 26 और अधिक, टुकड़े | टुकड़े | टुकड़े | टुकड़े | टुकड़े |

सूखे हुए मछली के जबड़ों की सभी श्रेणियों में अगले उच्चतर या निम्नतर आकार श्रेणियों या दोनों के लिये 5 प्रतिशत की सहिष्णुता अनुज्ञात की जायेगी।

परिभाषाएं : ऊपर दिये गये प्रकार निम्नलिखित जातियों के हैं :—

(क) एल/विलकूं/बेम (मुरयमसोकस टेलबोनुपाइडकुस)

(ख) ज्यू मछली/कथलाई/गोल (सीयूडोसीएना विशेष)

(ग) थेड मछली/काला/डारा (पोलिनिमस, पोमीडैक्टीलस विशेष)

(घ) जायंट क्रोकर/पन्ना/कोटे (ओटोलीथायडस ब्रेनीअस)

(ङ) कैट मछली/किलरु/पिटारा/सिगला (एरियल विशेष टेकीसरस विशेष)

(च) थेकेटी/ज्वायंट पर्च/वेश्यू सी पर्च (लेटस विशेष, पममोपरका विशेष)

(छ) लिजार्ड मछली (सौरीडा विशेष)

† क्रेता और विक्रेता के बीच करार के अनुसार अधिसूचित आकार श्रेणी से भिन्न अन्य कोई आकार श्रेणी अनुज्ञात होगी।

## MINISTRY OF COMMERCE

## ORDER

New Delhi, the 15th June, 1985

S.O. 3089.—Whereas certain proposals for subjecting dried shark fins and dried fish maws to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th December, 1984 under the order of the Government of India, Ministry of Commerce No. S.O. 4379, dated the 28th November, 1984, inviting the objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within fortyfive days from the date of publication of the said order in the official gazette;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 18th December, 1984.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft proposal have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the order of the government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 5054, dated the 29th December, 1969, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Export Inspection Council being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of export trade of India hereby :—

(1) notifies that dried shark fins and dried fish maws shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) recognises the specifications as set out in Annexure to this order as the standard specifications for such dried shark fins and dried fish maws;

(3) specifies that the type of inspection set out in the Export of Dried Shark Fins and Dried Fish Maws (Quality Control and Inspection) Rules, 1985 shall be the type of inspection which shall be applied to such Dried Shark Fins and Dried Fish Maws prior to export;

(4) prohibits the export, in the course of international trade of such dried shark fins and dried fish maws, unless the same are accompanied by a certificate issued by any of the export inspection agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras, under section 7 of the said Act to the effect that the said dried shark fins and dried fish maws conform to the standard specifications as recognised under sub-paragraph (2) and are exportworthy.

2 Nothing in this order shall apply to export by sea, land or air of dried shark fins and dried fish maws as samples to the prospective buyers, provided that each such sample does not weigh more than two kilograms.

3. For the purpose of this order (a) "dried shark fins" means the dorsal fins, ventral fins, pectoral fins or the tail fins with or without back bone, of edible sharks.

(b) "dried fish maws" means the dried air bladder of the following species of Fishes namely :—

(i) Muraemesox talabonoides sp. (Eel/Vilanku/Vam)

(ii) Pseudosciaena sp. (Jew fish/kathalai/Ghol)

(iii) Polynemus, Polydactilus sp. (Thread fish/kala/Dara)

(iv) Otolithoides brunneus (Giant croaker/Panna/Kote)

(v) Areus, Tachysurus sp. (Cast fish/Kalru/Petara/Singala)

(vi) Lates, Pasmoperca sp. (Bekti/Giant perch/waigeu sea perch)

(vii) Saurida sp. (Lizard fish).

## ANNEXURE

### A. SPECIFICATIONS FOR DRIED SHARK FINS

General Characteristics : Dried Shark Fins shall be prepared from fresh edible sharks. The materials shall be properly cured and reasonably free from fungal, insect and mite infestation.* It shall also be free from any visible contamination. In the preparation of this material the dorsal, ventral, pectoral and caudal (tail) fins of edible sharks shall be used. There shall be no excess flesh on the cut ends. The caudal (tail) fins shall be with/without back bone as declared by the exporter.

| TYPES | Size Grades based on length in cm. | | Colour | Odour |
|---|---|---|---|---|
| | **Dorsa, Ventral & pectoral and also Caudal Fins without backbone | **Causa Fins with back bone. | | |
| (i) White (Ranjo & Vichidi.) | Below 10 cms. | Below 20 cms. | Characteristic white, black or spotted, yellow yellowish white colour of the species. | Characteristic odour of dried meat shall be free from any off odour |
| (ii) Black or spotted | Above 10 cms. & below 20 cms. | Above 20 cms. & below 30 cms. | | |
| (iii) Yellow/Yellow White (Illupai) | Above 20 cms. & below 30 cms. | Above 30 cms. & below 40 cms. | | |
| | Above 30 cms. & below 40 cms. | Above 40 cms. & below 50 cms. | | |
| | Above 40 cms. | Above 50 cms | | |

NOTE : **A tolerance of 5% by weight of the next higher or lower grade or both shall be permitted.

Definitions : (i) DVP fins shall be measured from upper or anterior corner to frontage of cut ends, and Caudal Fins from extreme tip of backbone up to cut ends.

(ii) For the purpose of inspection, black shall include greyish black including the spotted varieties.

(iii) In the case of pectoral fins, colour of the other or upper side of the fins shall be taken into consideration.

(iv) 'Ranjo' shall consist of fins of Rhyncobatus ojeddensis sp. only.

*In case the export order specifically mentions that the buyer does not have any objection for mite or other infestation this stipulation shall be relaxed.

### B. SPECIFICATION FOR DRIED FISH MAWS

General Characteristics : Dried Fish Maws shall be in split, chunk or any other form as required by the foreign buyer. Eel Fish Maws shall be with/without air as declared by the exporter. The material shall be well dried, not sticking to each other and free from any visible contamination. The material shall have a characteristic odour and shall be free from any bad odour.

| Quality grades based on colour for all types of Fish Maws | | Types and size grades *(count) per kilogram | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eel/Vilanku/ Vam | Jew Fish/ Kathlai/ Chol | Thread Fish Kela/Dara | Giant Croaker/ Panna/Kote | Cat Fish Kelry/ Petera/ Singala | Bekti/ Giant perch Waigeu Sea perch | Linard Fish |
| A Grade | Clear to slightly blood stained | 15 & below 16—30 | 15 & below | 15 & below | 7 & below 8—15 | 40 & below 41—100 | 12 & below | 15 & below |
| B Grade | Moderately blood stained | 31—45 45 & above | 16—25 | 16—25 | 16 & above | 101 & above | 13 & above | 16 & above |
| C Grade | Extensively blood stained | Broken | 26 & above Broken | 26 & above Broken | Broken | Broken | Broken | Broken |

A tolerance of 5% for next higher or lower size grades or both shall be permitted in all grades of Dried Fish Maws

Definitions : The types given above are of the following species :—
(a) Eel/Vilanku/Vam (Muraemesox talaboides)
(b) Jew Fish/Kathalai/Ghol (Pseudosciaena sp.)
(c) Thread Fish/Kala/Dara (Polynemus, Polydactiluts sp.)
(d) Giant Croaker/Panna/Kote (Otolithoides brunneus)
(e) Cat Fish/Kelru/Petara/Singala (Areus sp., Tachysurus sp.)
(f) Bekti/Giarto perch/Waigeu Sea perch (Lates sp., Pasmoperca sp.)
(g) Lizard Fish (Saurida sp.)

*Any other size grade other than the notified size grade shall be permitted as agreed to between the buyer and the seller

का. आ. 3090 —केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 5055, तारीख 29-12-1969 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूखे हुए शार्क के पंखों और सूखे हुए मछली के जबड़ों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(1) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(2) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरण अभिप्रेत है,

(3) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है;

(4) "सूखे हुए शार्क के पंख" से अभिप्रेत है खाद्य शार्कों के पृष्ठ पंख, उदर पंख, वक्षीय पंख या राड़ का हड्डी सहित या रहित पूछ पंख;

(5) "सूखे हुए मछली के जबड़े" से अभिप्रेत है मछलियों की निम्नलिखित जातियों के सूखे वायु, आशय अर्थात् :—

(i) मुरयमसोकस टेलबोनाइड्स विशेष (एल/विलकूं/वैम)

(ii) सायूडोसायना विशेष (ज्यू मछली/कथालाई/घोल)

(iii) पोलीनेमिस, पोलीडेक्टीलस विशेष (थ्रेड/मछली/काला/डारा)

(iv) ओटोलिथाइड्स ब्रुनीअस (जॉयंट क्राकर/पन्ना/कोटे)

(v) एरियस, टेकीसरस विशेष (कास्ट मछली/कलरु पिटारा/सिंगला)

(vi) लेट्स पसमोपरका विशेष (बैकटी/जॉयट पर्च/वैग सी पर्च)

(vii) सौरिडा विशेष (लिजार्ड मछली)

3. निरीक्षण का आधार :—निर्यात के लिए आशयित सूखे हुए शार्क के पंखों और सूखे हुए मछली के जबड़ों का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि सूखे हुए शार्क के पंख और सूखे हुए मछली के जबड़ों अधिनियम, की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) सूखे हुए शार्क के पंखों और सूखे मछली के जबड़ों का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए अभिकरण के निकटतम कार्यालय को आवेदन देगा ताकि वह ऐसे परेषण की परीक्षा इस दृष्टि से कर सके कि परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप है।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन लदाम के लिए निर्यातकर्ता के परिसर से परेषण के भेजे जाने की प्रत्याशित तारीख से कम से कम पांच दिन पहले किया जाएगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर अभिकरण परिषद् द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सूखे हुए शार्क के पंखों और सूखे हुए मछली के जबड़ों के परेषण का निरीक्षण इस दृष्टि से करेगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के खंड (ग) के अधीन मान्यताप्राप्त या निर्यात संविदा में अनुबद्ध विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

(4) निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देगा।

5. प्रमाणीकरण:—(1) यदि परेषण का निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि वह अधिनियम की धारा 6 के खंड (ग) के अधीन मान्यताप्राप्त या निर्यात संविदा के अनुबंद्ध विनिर्देशों के अनुरूप है और उसे इन नियमों के अनुसार पैक

और चिन्हित किया गया है तो वह निरीक्षण की तारीख से तीन दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है।

(2) जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहां वह तीन दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और इंकार किए जाने की संसूचना उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा।

6. निर्यात के लिए पैकिंग और चिन्हित किया जाना :

(1) सूखे हुए शार्क के पंख और सूखे हुए मछली के जबड़े निर्यातकर्ता और विदेशी क्रेता के बीच करार की गई रीति से पैक किए जाएगें।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी करार के अभाव में सामग्री अच्छी बोरियों में पैक की जाएगी।

(3) प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विशिष्टियां सहित अमिट स्याही से चिन्हित किया जाएगा या उस पर लेबल लगाया जाएगा, अर्थातः—

(क) उत्पाद का नाम;

(ख) अन्तरवस्तु का शुद्ध भार;

(ग) कुल भार;

(घ) शिपिंग चिन्ह; और

(ङ) गंतव्य पत्तन।

7. निरीक्षण का स्थानः—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ता के परिसर में किया जाएगा जिसमें अच्छे प्रकाश की व्यवस्था होगी और उसे स्वच्छ और स्वास्थयप्रद दशाओं में रखा जाएगा तथा उसमें तोलने, पैक करने और निरीक्षण के लिए भी आवश्यक सुविधाएं होंगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिसर में निरीक्षण के अतिरिक्त, अभिकरण को यह अधिकार होगा कि वह परेषण का क्वालिटी का भण्डारकरण अभिवहन में या पत्तनों पर पुनः निर्धारण करे, जैसा वह इन नियमों के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी प्रक्रम पर, अधिनियम की धारा 6 के खंड (ग) के अधीन मान्यताप्राप्त या निर्यात संविदा में अनुबंद्ध विनिर्देशों के अनुरूप परेषण के न पाए जाने की दशा में नियम 5 के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा।

8. निरीक्षण फीसः—इन नियमों के अधीन प्रति परेषण न्युनतम 50/- रूपये के अधीन रहते हुए परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से फीस निरीक्षण के रूप में अभिकरण को दी जाएगी।

9. अपीलः—(1) अभिकरण द्वारा नियम 5 के अधीन प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, उसके द्वारा ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें कम से कम तीन तीन अधिक सात व्यक्ति होंगे, अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल के कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई गैर सरकारी सदस्य होंगें।

(3) अपील उसकी प्राप्त से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

[फा० स० 6(5)/84 ई आई एण्ड ई पी]
सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 3090.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India, in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 5055, dated 29th December, 1969, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Dried Shark Fins and Dried Fish Maws (Quality Control and Inspection) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(1) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(2) "agency" means the export inspection agencies established at Bombay, Calcutta, Delhi, Cochin and Madras under section 7 of the Act;

(3) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(4) "dried shark fins" means the dorsal fins, ventral fins, pectoral fins or the tail fins with or without back bone, of edible sharks;

(5) "dried fish maws" means the dired air bladder of the following species of Fishes namely :—

(i) Muraemesox talabonoides sp. (Eel/Vilanku/Vam)

(ii) Pseudosciaena sp. (Jew fihs/Kathalai/Ghol)

(iii) Polynemus, Polydactilus sp. (Thread fish/Kala/Dara)

(iv) Otolithoides brunneus (Giant croaker/Panna/Kote)

(v) Areus, Tachysurus sp. (Cat fish/Kelru/Petara/Singala)

(vi) Lates, Pasmoperca sp. (Bekti|Gaint perch|Waigeu sea perch)

(vii) Saurida sp. (Lizard fish).

3. Basis of inspection.—Inspection of dried shark fins and dried fish maws intended for export shall be carried out with a view to seeing that dried shark fins and dried fish maws conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. Procedure of inspection.—(1) An exporter intending to export dried shark fins and dried fish maws shall submit an application to the nearest office of the agency, giving particulars of the consignment intended to be exported. to enable it to examine such consignment or cause the same to be examined and to see whether the same conforms

to the specifications referred to in rule 3.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be made not less than five days before the anticipated date of despatch of the consignment from the exporter's premises for shipment.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the agency shall inspect the consignment of dried shark fins and dried fish maws as per the instructions issued by the Council in this behalf with a view to seeing that the same complies with the requirements of the specifications recognised under clause (c) of section 6 of the Act or as stipulated in the export contract.

(4) The export shall provide all necessary facilities to the agency to enable it to carry out such inspection.

5. Certification.—(1) If after inspection of the consignment, the agency is satisfied that the same conforms to the specifications recognised under clause (c) of section 6 of the Act or as stipulated in the export contract and has been packed and marked according to these rules, it shall issue a certificate within three days from the date of inspection declaring the consignment as exportworthy.

(2) Where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

6. Packing and marking for export.— (1) The dried shark fins and dried fish maws shall be packed in a manner as agreed to between the exporter and the foreign buyer.

(2) In the absence of any agreement referred to in sub-rule (1), the material shall be packed in sound gunny bags.

(3) Each package shall be marked with indelible ink or labelled with the following particulars, namely :—

(a) Name of the product;

(b) Net weight of the contents;

(c) Gross weight;

(d) Shipping mark; and

(e) Port of destination.

7. Place of inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the exporters, premises, which shall be well lighted and maintained in sanitary and hygienic conditions and shall also have necessary facilities for weighing, packing and inspection.

(2) In addition to the inspection at the premises referred to in sub-rule (1), the agency shall have the right to reassess the quality of the consignment in the storage in transit or at the ports, as it may consider necessary to carry out the purposes of these rules.

(3) In the event of the consignment being found not conforming to the specifications recognised under clause (c) of rule 6 of the Act or as stipulated in the export contract, at any of stages referred to in sub-rule (2), the certificate issued under rule 5 shall be withdrawn.

8. Inspection fee.—A fee at the rate of 0.4 per cent the f.o.b. value of the consignment subject to a minimum of Rs. 50 per consignment shall be paid to the agency as inspection fee under these rules.

9. Appeal.—(1) Any exporters aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under rule 5 may within ten days of the receipt of the communication for such refusal by him, prefer an appeal to a panel of Experts consisting of not less than three but not more than seven persons, appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-third of the total members of the panel of Experts shall consist of non-officials.

(3) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

[F. No. 9|5|84-EI & EP]
C. B. KUKRETI, Joint Director

आदेश

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1985

का०आ० 3091.—केन्द्रीय सरकार की, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963, (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि काजू की गिरियों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए :—

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए है तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उपनियम के अनुसरण में काजू की गिरियों से संबंधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 1022 और 1023 तारीख 26 मार्च 1966, का० आ० सं० 275 और 276 तारीख 28 जनवरी, 1978 को अधिक्रांत करते हुए, उक्त प्रस्तावों को उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है तो वह उसे इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन के भीतर भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, प्रगति टावर, 11वीं मंजिल, 26 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को भेज सकता है।

परन्तुक

(1) अधिसूचित करना है कि काजू की गिरियां निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी।

(2) इस आदेश के उपाबंध I और II में दिए गए काजू की गिरियों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1985 के प्रारूप के अनुसार, क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसी काजू की गिरियों को लागू होगा।

(3) इस आदेश की अनुसूची में दिए गए विनिर्देशों को काजू की गिरियों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना।

(4) अंतराष्ट्रीय व्यापार में ऐसी काजू की गिरियों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी भी अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसी काजू की गिरियां मानक विनिर्देशों के अनुरूप है और निर्यात योग्य है।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा काजू की गिरियों के वास्तविक नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी परन्तु यह तब जब कि ऐसे नमूनों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 250 रूपए से अधिक न हो।

4. प्ररिभाषाएं:—इस आदेश में "काजू की गिरियों" से ऐसी सभी प्रकार की काजू की गिरियां जो बिना भुनी हुई, भुनी हुई, साबुत टुकड़ों में, सिकी हुई तथा नमक लगाई हुई है अभिप्रेत है।

अनुसूची

काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश

1. *सामान्य विशेषताएं.*—काजू की गिरियाँ, काजूओं को भूनकर छिलका उतारकर और छीलकर (ऐनाकार्डियम आक्सिडेंटल लिनेअस) से प्राप्त की जाएंगी।

2. विशिष्ट विशेषताएं.

(क) काजू की गिरियाँ—सफेद साबुत

| श्रेणी अभिधान | व्यापारिक नाम | रंग/विशेषताएं | काउंट/454 ग्राम माप विवरण | अधिकतम आर्द्रता | टूटे हुए टुकड़े | एनएलएमजी/एनएलजी/अधिकतम % | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| डब्ल्यू–180 | सफेद साबुत | वंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार | 120–180 | 5 | 5 | 5 (एनएसजी तथा एस डब्ल्यू के साथ) | गिरियाँ प्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता जुड़े हुए बीजावरण आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन पर मुरझापन गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है। |
| डब्ल्यू–210 | यथोक्त | यथोक्त | 200–210 | " | " | " | |
| डब्ल्यू–240 | यथोक्त | यथोक्त | 220–240 | " | " | " | |
| डब्ल्यू–280 | यथोक्त | यथोक्त | 260–280 | " | " | " | |
| डब्ल्यू–320 | यथोक्त | यथोक्त | 300–320 | " | " | " | |
| डब्ल्यू–400 | यथोक्त | यथोक्त | 350–400 | " | " | " | |
| डब्ल्यू–450 | यथोक्त | यथोक्त | 400–450 | " | " | " | ——यथोक्त—— |
| डब्ल्यू–500 | यथोक्त | यथोक्त | 450–500 | " | " | " | |
| | | | ख झुलसी हुई काजू की गिरियां—साबुत | | | | |
| एस डब्ल्यू | झुलसी हुई साबुत | शुष्क/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियाँ झुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती है। | —— | 5 | 5 | 5 (एनएसएलजी तथा एस डब्ल्यू के साथ) | गिरियाँ प्रसन, कीट, क्षति फफूंदी विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी यदि छिलन मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है। |
| एस डब्ल्यू–180 | यथोक्त | यथोक्त | 170–180 | " | " | " | ——यथोक्त—— |
| एस डब्ल्यू–210 | यथोक्त | यथोक्त | 200–120 | " | " | " | ——यथोक्त—— |
| एस डब्ल्यू–240 | यथोक्त | यथोक्त | 220–240 | " | " | " | ——यथोक्त—— |
| एस डब्ल्यू–280 | यथोक्त | यथोक्त | 260–280 | " | " | " | ——यथोक्त—— |
| एस डब्ल्यू–320 | यथोक्त | यथोक्त | 300–320 | " | " | " | ——यथोक्त—— |
| एस डब्ल्यू–400 | यथोक्त | यथोक्त | 350–400 | " | " | " | ——यथोक्त—— |
| एस डब्ल्यू–450 | यथोक्त | यथोक्त | 400–450 | " | " | " | ——यथोक्त—— |
| एस डब्ल्यू–500 | यथोक्त | यथोक्त | 450–500 | " | " | " | ——यथोक्त—— |
| | | | ग डेजर्ट काजू की गिरियां—साबुत | | | | |
| एस डब्ल्यू | भुनी हुई साबुत घटिया | गिरियाँ ज्यादा भुनी हुई कच्ची, मुरझाई हुई (पीरीवल) चित्तीदार (करनोरम) रंगहीन तथा हल्की नीली हो सकती हैं। | —— | 5 | 5 | 5 (डी. डब्ल्यू) | गिरियाँ प्रसन कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजवरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतय रहित होंगी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डी. डब्ल्यू | डेजर्ट वाइट | गिरियाँ अधिक भुनी हुई गहरी, भूरी, गाढ़ी नीली, चित्तीदार रंगहीन वाले धब्बों वाली हो सकती है। | -- | 5 | 5 | -- | गिरियाँ, ग्रसन, कीट, क्षति फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। |
| | | | ख. काजू की गिरियाँ (सफेद टुकड़े) | | | | |
| बी. | बट्स | सफेद/पीला दंत सफेद हल्का सलेटी आड़ी तिरछी टूटी हुई (समान रूप या असमान) तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई गिरियाँ | -- | 5 | 5 | 5 (एसबी) | गिरियाँ ग्रसन, कीट क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन/मुरझाए-पन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियाँ भी अनुमत हैं। |
| एस. | टुकड़े | सफेद/पीला दंती सफेद या हल्का सलेटी/प्राकृतिक रूप में लंबाई में टूटी हुई गिरियाँ | -- | 5 | 5 | 5 (एस.एस.) | गिरियाँ ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियाँ भी अनुमत है। |
| एल. डब्ल्यू. पी | सफेद बड़े टुकड़े | सफेद/पीला दंती सफेद या हल्का सलेटी | गिरियाँ दो से अधिक टुकड़ों में टूटी हुई और 4 छिद्रों वाली/16 एस डब्ल्यू जी छलनी 4.75 मि.मी. आईएस छलनी से नहीं निकल सकेंगी | 5 | — | 5 (एसपी. तथा एस डब्ल्यू पी के साथ | —यथोक्त— |
| एस. डब्ल्यू. | छोटे सफेद टुकड़े | सफेद/पीला दंती सफेद या हल्का/सलेटी। | एल. डब्ल्यू. में वर्णित से छोटी टूटी हुई गिरियां किंतु जो 6 छिद्रों 20 स डब्ल्यू जी छलनी 2.80 मि. मी. आई एस छलनी से न निकल सकें। | 5 | — | 5 (एस एस पी तथा बीबी के साथ) | गिरियां ग्रसन कीट क्षति, फफूंदी विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है। |
| बी. बी | बेबी बिट्स | सफेद/पीला दंती सफेद/हल्का स्लेटी | एस डब्ल्यू पी में वर्णित से छोटी टूटी हुई गिरियाँ और प्लूमूलक जो 10 छिद्रों वाली 24 एस डब्ल्यू जी छलनी/170 मि. मी. आई एस छलनी से न निकल सकें। | 5 | — | 1 (काजू का पाउडर) | गिरियां ग्रसन कीट क्षति, फफूंदी विकृत गंधिता जुड़े हुए बीजावरण आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ङ—काजू की गिरियां—भुने हुए टुकड़े | | | | |
| एस बी | भुने हुए बड्स | आड़ी तिरछी टूटी हुई गिरियां (समान रूप तथा असमान रूप में) तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई। गिरियां/शुष्क/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भुनी हुई/हल्की गहरी हो सकती है | — | 5 | 5 | 5 (डी बी) | गिरियां ग्रसन कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत होंगी। |
| एस. सी. | भुने हुए टुकड़े | प्राकृतिक रूप से लंबाई में टूटी हुई गिरियां/शुष्क/बोरमा में भूनने/सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भुनी हुई/हल्की गहरी हो सकती है। | — | — 5 | 5 | 5 (डी एस) | गिरियां ग्रसन कीट क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णता रहित होंगी। यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई अंकुर भागतः मुरझाई हुई गिरियां को अनुमत होंगी। |
| एस. पी. | भुने हुए टुकड़े | शुष्क/बोरमा में भूनने/सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भुनी हुई हल्की/गहरी हो सकती है। | टुकड़े जो 4 छिद्रों वाली 16 एस डब्ल्यू/जी छलनी मी. आई एस छलनी से न निकल सकें | 5 5.475 मि. | — (एस पी एस तथा एस एस पी के साथ) | 5 | गिरियां ग्रसन कीट क्षति, फफूंदी विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नही पड़ता है तो छिली हुई और मुरझाई हुई गिरियो की अनुमत होंगी। |
| एस एस पी | भुने हुए छोटे टुकड़े | -यथोक्त- | भुने टुकड़े से छोटे टुकड़े जो 6 छिद्रों वाली/20 एस. डब्ल्यू जी. छलनी 2.80 मि. मी. छलनी से न निकल सकें। | 5 | — | 5 (डी एस पी) | -यथोक्त- |
| | | च.—काजू की गिरियां (खराब टुकड़े) | | | | | |
| एस. पी. एस. | भुने हुए घटिया टुकड़े | शुष्क/बोरमा में भूनने/सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भुनी हुई/हल्की गहरी हो सकती है। | टुकडो में टूटी हुई गिरियां जो 4 छिद्रों वाली/16 ए डब्ल्यू जी. छलनी/4.75 मि. मी. आई ए छलनी से न निकल सके। | 5 | — | 5 (डी. पी. तथा डी. एस. पी. के साथ | गिरियां ग्रसन कीट क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। |
| डी. पी. | डेजर्ट टुकडे | गिरियां गहरी भुनी हुई गाढ़े भूरे, गाढ़े नीले, चित्तीदार रंगहीन और काले धब्बों से युक्त हो सकती है। | टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां जो चार छिद्रों वाली/16एस डब्ल्यू जी छलनी/4.75 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सकें। | 5 | — | 5 (डी. एस पी.) | गिरियां ग्रसन कीट क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावर आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डी. एस. पी. | डेजर्ट छोटे टुकड़े | -यथोक्त- | टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां जो 6 छिद्रों वाली/20 एस. डब्ल्यू. जी छलनी/2.80 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सकें। | 5 | -- | 2 (छोटे टुकड़े) | गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी |
| डी. पी. | डेजर्ट बटम | आड़ी तिरछी टूटी हुई गिरियां (समान रूप तथा असमान रूप में) तथा प्राकृतिक रूप में जुड़ी हुई, चित्तीदार गाढ़े भूरे, रंगहीन तथा गाढ़े नीले तथा काले धब्बों से युक्त हो सकती है। | — | 5 | | (डी पी तथा डी एस पी के साथ) | -यथोक्त |
| डी. एस. | डेजर्ट टुकड़े | टूटी हुई गिरियां प्राकृतिक रूप से टूटी हुई लंबाई में गिरियां गहरी भूनी हुई, गाढ़े भूरे, गाढ़े नीले, चित्तीदार, रंगहीन तथा काले धब्बों से युक्त हो सकती है। | — | 5 | 5 | 5 डी पी तथा (डी. एस. पी. के साथ) | -यथोक्त- |

एन. एल. जी.—अगली निम्न श्रेणी का द्योतक है।

एन. एल. एस. जी.—अगली निम्न श्रेणी के आकार का द्योतक है।

छ. भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश:—

छ.1 कच्ची सामग्री:—

छ.1.1. काजू की गिरियां, जिनमें भुनी हुई, बिना भुनी हुई साबुत गिरियां या टुकड़े सम्मिलित हैं, भूनने तथा नमक लगाने के लिए प्रयोग की जाएगी।

छ.1.2 ये किसी भी प्रकार के कीट ग्रसन, फफूंदी, वृद्धि, विकृत गंधिता तथा बीजावरण की उपस्थिति से पूर्णतया रहित होंगी।

छ.2 तैयार करना:

छ.2.1 भुनी हुई नमक लगाई हुई काजू की गिरियां किसी भी सान्यता प्राप्त पकाने वाले बर्तन में उनको भूनकर तथा नमक लगाकर या सुखाकर तैयार की जाएगी।

छ.2.2. पकाने के लिए प्रयुक्त बर्तन स्टैलेस स्टील के होंगे।

छ.3 उत्पाद अपेक्षाएं:—

छ.3.1 क्रेता तथा विक्रेता के बीच की गई संविदा में यथा अनुबंधित श्रेणी अभिधान तब तक अनुज्ञात होंगे जब तक कि वे तथ्य या दुर्व्यवदेशन न करते हों।

छ.3.2 रासायनिक विश्लेषण किए जाने पर, काजू की गिरियां भूनकर तथा नमक लगाकर तैयार करने के पश्चात् निम्नलिखित सारणी में दर्शित स्वीकृत स्तरों के अंतर्गत होंगी।

1. मुक्त वसीय अम्ल — 0.4 प्रतिशत (ओलिक अम्ल के रूप में) निष्कर्षित वसा भार

2. पैराक्साइड मूल्य—निष्कर्षित वसा का 2 एम ई जी/ 0.02 किलोग्राम भुनी हुई और नमक लगी हुई काजू में मुक्त वसा अम्ल और पैराक्साइड मूल्य के प्राक्कलन की पद्धति परिशिष्ट में दी गई निर्धारण पद्धति के अनुसार होगी

छ.3.3 परिरक्षी और सुरुचि कर्मक उसी प्रकार अनुज्ञात होंगे जिस प्रकार वे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन अनुज्ञय है।

छ.4 पैक करना:

छ.4.1 भुनी हुई और नमक लगी हुई काजू की गिरियां क्रेता द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आकार और अन्य अपेक्षाओं के उपभोक्ता आधानों में पैक की जाएगी।

छ.4.2 गिरियां संविदा की अपेक्षानुसार पत्ती में भी पैक की जा सकेगी।

छ.4.3 आधान, नए, साफ और अंग रहित या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति से रहित होंगे।

छ.4.4 गिरियां वैक्यूम वाले आधानों में या अक्रिय गैस के माध्यम से पैक की जाएंगी।

छ.4.5 क्रेता की पैकिंग अपेक्षाओं के अनुसार आधान गत्ते (कार्ड बोर्ड) के डिब्बों में या विसंक्रामित लकड़ी की पेटियों में पैक किए जाएंगे।

छ.4.6 प्रत्येक डिब्बे या पेटियों पर निम्नलिखित दर्शाने के लिए चिन्ह लगाए जाएंगे :—

(क) उत्पाद का नाम

(ख) विनिर्माता का नाम

(ग) पोत परिवहन चिन्ह

(घ) किलोग्राम में शुद्ध और कुल भार

छ.5 मुहर बन्द करना :

छ.5.1 पैक किए जाने के पश्चात् प्रत्येक परेषण को परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में उचित रूप से मुहर बन्द किया जाएगा।

काजू की गिरियों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण) नियम, 1966 और 1978 के अधिक्रमण में निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने का प्रस्तावित नियमों का प्रारुप :

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ :— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काजू की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1985 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन निर्यात स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है;

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित कोई भी अभिकरण अभिप्रेत है।

(घ) "काजू की गिरियां" से सभी प्रकार की काजू की गिरियां झुलसी हुई, बिना झुलसी हुई, साबुत, टुकड़े, भुनी हुई और नमक लगी हुई गिरियां अभिप्रेत है।

3. क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण :— निर्यात के लिए आशयित काजू की गिरियों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि काजू की गिरियां; अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, या तो,

(क) उपाबंध—I में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार परिरक्षित उत्पादन के निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर,

या

(ख) यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पाद का प्रसंस्करण उपाबंध—II में विनिर्दिष्ट नियंत्रण के स्तरों का पालन करते हुए प्रसंस्करण के विभिन्न प्रक्रमों पर नियंत्रणों का प्रयोग करके किया गया है, किया जाएगा।

4. निरीक्षण फीस :

उपाबंध—I निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के लिए 11.34 किलोग्राम के काजू की गिरियों के एक टिन या उसके भाग के लिए अस्सी पैसे की दर से फीस और उपाबंध-II में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के लिए 11.34 किलोग्राम के काजू की गिरियों के एक टिन के लिए पचास पैसे की दर से फीस प्रभारित की जाएगी।

इन नियमों के अधीन प्रत्येक परेषण के लिए 50 रुपए न्यूनतम निरीक्षण फीस के अधीन रहते हुए भुनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियों का दशा में पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक 100 रुपए या उसके भाग के लिए पचास पैसे की दर से फीस प्रभारित की जाएगी।

5. अपील :

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो उपाबंध—II के खंड 2.7.4 और 2.7.5 के अधीन अपने एकक के अनुमोदन देने या उपाबंध—II के नियम 5 के उपनियम (4) या उपाबंध-II के नियम 2 के उपनियम 5 के अधीन निर्यात योग्यता का प्रमाणपत्र जारी करने के अभिकरण के इंकार से व्यथित हो तो वह ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन किन्तु सात से अनधिक सदस्यों से गठित संबंधित विशेषज्ञों के पैनल के संयोजक को अपील कर सकेगा।

(ख) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य व्यापार मंडल के सदस्य होंगे।

(ग) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

(घ) अपील प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी।

अनुसूची

काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश

1. सामान्य विशेषताएं : काजू की गिरियां, काजुओं को भून कर, छिलका उतार कर और छील कर (एनाकार्डियम आक्सीडेंटल, लिनिअस) से प्राप्त की जाएंगी।

2. विशिष्ट विशेषताएं :

सफेद साबुत

क. काजू की गिरियाँ सफेद साबुत

| श्रेणी अभिधान | व्यापारिक नाम | रंग/विशेषताएं | काउंट/ 454 ग्राम माप विवरण | अधिकतम अंश्रेणी % | टूटे हुए टुकड़े अधिकतम % | एनएलएसजी/ एनएलजी अधिकतम % | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| डब्ल्यू–180 | सफेद साबुत | दस्त सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार | 120–180 | 5 | 5 | 5 (एनएलएसजी तथा एस. डब्ल्यू के साथ) | गिरियाँ ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन या मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागत: मुरझाई हुई गिरियाँ भी अनुमत हैं। |
| डब्ल्यू–210 | सफेद साबुत | दंत सफेद पीला/सलैटी हल्का विशेष आकार | 200–210 | 5 | 5 | 5 (एनएलएसजी तथा एस डब्ल्यू के साथ) | गिरियाँ ग्रसन, कीट, क्षति फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन या मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागत: मुरझाई हुई गिरियाँ भी अनुमत है। |
| डब्ल्यू–240 | यथोक्त | यथोक्त | 220–240 | ,, | ,, | ,, | यथोक्त |
| डब्ल्यू–280 | यथोक्त | यथोक्त | 260–280 | ,, | ,, | ,, | यथोक्त |
| डब्ल्यू–320 | यथोक्त | यथोक्त | 300–320 | ,, | ,, | ,, | यथोक्त |
| डब्ल्यू–400 | यथोक्त | यथोक्त | 350–400 | ,, | ,, | ,, | यथोक्त |
| डब्ल्यू–450 | यथोक्त | यथोक्त | 400–450 | ,, | ,, | ,, | |
| डब्ल्यू–500 | यथोक्त | यथोक्त | 450–500 | ,, | ,, | ,, | |

ख. झुलसी हुई काजू की गिरियाँ–ससाबुत

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एस डब्ल्यू | झुलसी हुई साबुत | शुष्क/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियाँ झुलसी हुई/ हल्की सी गहरी हो सकती हैं। | –– | 5 | 5 | 5 (एन एल एस जी तथा एस एम डब्ल्यू के साथ) | गिरियाँ ग्रसन, कीट, क्षति फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिला या मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागत: मुरझाई हुई गिरियाँ भी अनुमत हैं। |
| एस डब्ल्यू–180 | यथोक्त | यथोक्त | 170–180 | ,, | ,, | ,, | यथोक्त |
| एस डब्ल्यू–210 | यथोक्त | यथोक्त | 200–210 | ,, | ,, | ,, | यथोक्त |
| एस डब्ल्यू–240 | यथोक्त | यथोक्त | 220–240 | ,, | ,, | ,, | यथोक्त |
| एस डब्ल्यू–280 | यथोक्त | यथोक्त | 260–280 | ,, | ,, | ,, | यथोक्त |
| एस डब्ल्यू–320 | यथोक्त | यथोक्त | 300–320 | ,, | ,, | ,, | यथोक्त |
| एस डब्ल्यू–400 | यथोक्त | यथोक्त | 350–400 | ,, | ,, | ,, | यथोक्त |
| एस डब्ल्यू–450 | यथोक्त | यथोक्त | 400–450 | ,, | ,, | ,, | यथोक्त |
| एस डब्ल्यू–500 | यथोक्त | यथोक्त | 450–500 | ,, | ,, | ,, | यथोक्त |

ग. डेजर्ट काजू का गिरियां—साबुत

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एस एस डब्ल्यू | भुनी हुई साबुत घटिया | गिरियाँ ज्यादा भुनी हुई, कच्ची मुरझाई हुई (प्रीवल) चित्तीदार करनोरम (रंगहीन) तथा हल्की नीली हो सकती हैं। | — | 5 | 5 | 5 (डी डब्ल्यू) | गिरियाँ घुन, कीट, क्षति फफूंदी, विकृत संधित जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। |
| डी डब्ल्यू | डेजर्ट साबुत | गिरियाँ अधिक भुनी हुई, गहरी भूरी, गाढ़ी नीली चित्तीदार तथा रंगहीन काले धब्बे वाली हो सकती है। | — | 5 | 5 | — | यथोक्त |

घ. काजू की गिरियाँ—सफेद टुकड़े

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बी | बट्स | सफेद/पीला दंत सफेद हल्का सलेटी आडी तिरछी टूटी हुई (समान रूप से या असमान) तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई गिरियाँ। | — | 5 | 5 | 5 (एस बी) | गिरियाँ घुन, कीट, क्षति फफूंदी, विकृत संधिता जुड़े हुए बीजावरण आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी यदि छिलन या मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागत : मुरझाई हुई गिरियाँ भी अनुमत है। |
| एस | टुकड़े | सफेद/पीला दंत सफेद या हल्का/सफेदी/प्राकृतिक रूप से लम्बाई में टूटी हुई गिरियाँ। | — | 5 | 5 | 5 (एस) एस | यथोक्त |
| एस डब्ल्यू पी | बड़े टुकड़े | सफेद/दंत सफेद पीला या हल्का सलेटी। | गिरियाँ दो से अधिक टुकड़ों में टूटी हुई और छिद्रों वाली/16 एस डब्ल्यू जी छलनी/4.75 मि.मी. आई एस छलनी मे नहीं निकल सकेगी। | 5 | — | 5 (एस पी तथा एस डब्ल्यू पी के साथ) | यथोक्त |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एस डब्ल्यू पी | छोटे सफेद टुकड़े | सफेद पीला वंत सफेद या हल्का सलेटी | एस डब्ल्यू पी में वर्णित से गिरियां छोटी टूटी हुई किन्तु जो 6 छिद्रों 20 एस डब्ल्यू जी छलनी/2.20 मि.मी. आई एस से न निकल सकें। | 5 | — | 5 (एस एस पी तथा बी बी के साथ) | गिरियां ग्रसन कीट क्षति फफूंदी विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजा-वरण आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन या मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है। |
| बी बी | बेबी बिट्स | सफेद पीला वंत सफेद या हल्का सलेटी | छ.स.टु. में वर्णित से छोटी टूटी हुई गिरियां और प्लूमुलक जो 10 छिद्रों वाले/24 एस डब्ल्यू जी छलनी/170 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सकें। | 5 | | — 1 (काजू का पाउडर) | गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। |

ङ. काजू की गिरियां—भुने हुए टुकड़े

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एस बी | भुने हुए बट्स | आड़ी तिरछी टूटी हुई गिरियां (समान रूप तथा असमान रूप से) तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई। गिरियां/शुष्क/बोरमा में भुनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भुनी हुई/हल्की गहरी हो सकती है। | — | 5 | 5 | 5 (एस बी) | गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया, रहित होंगी। यदि छिलन या मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार का प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है। |
| एस.एस. | भुने हुए टुकड़े | प्राकृतिक रूप से लम्बाई में टूटी हुई गिरियां/शुष्क बोरमा में भुनने/सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भुनी हुई/हल्की गहरी हो सकती है। | — | 5 | 5 | 5 (टी एस) | यथोक्त |
| एस.पी. | भुने हुए टुकड़े | शुष्क बोरमा में भुनने/सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भुनी हुई हल्की गहरी हो सकती है। | टुकड़े जो 4 छिद्रों वाली 16 एस डब्ल्यू जी छलनी 4.75 मि.मी. आई एस छलनी/से न निकल सकें। | 5 | — | 5 (एस पी एस तथा एस एस पी के साथ) | यथोक्त |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एस एस पी | भुने छोटे टुकड़े | यथोक्त | भुने टुकड़े से छोटे टुकड़े जो 6 छिद्रों वाली/20 एस डब्ल्यू जी छलनी/2.80 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सकें। | 5 | — | 5 (डीएसपी) | यथोक्त |

च. काजू की गिरियां (खराब टुकड़े)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एस पी एस | भुने हुए घटिया टुकड़े | शुष्क बोरमा में भूनने सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भुन हुई हल्के गहरे हो सकते हैं। | टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां 4 छिद्रों वाली 16 एस डब्ल्यू जी छलनी/4.75 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सकें। | 5 | — | (डी पी तथा डी एस पी के साथ) | गिरियां ग्रसन, कट, क्षति, फफूंदी विकृत, गंधिता जुड़े हुए बीजावरण आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। |
| डी बी | डेजर्ट टुकड़े | हल्का भूरा गाढ़ा दंत सफेद हल्के से गाढ़ा नीला, भुना हुआ रंग हो न मिश्रित। | यथोक्त | 5 | — | 5 (डीएसपी) | यथोक्त |
| डी एस पी | छोटे टुकड़े | यथोक्त | टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां जो 6 छिद्रों वाली/20 एस डब्ल्यू जी छलनी/2.80 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सकें। | 5 | | —— 2 (छोटे टुकड़े) | यथोक्त |
| डी बी | डेजर्ट बट्स | आड़ी तिरछी टूटी हुई गिरियां (समान रूप तथा असमान रूप में) तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई गिरियां टूटी हुई गाढ़े भूरे, रंगहीन तथा गाढ़े नीले तथा काले धब्बों से युक्त हो सकती हैं। | — | 5 | 5 | 5 (डी पी तथा डी एस पी के साथ) | यथोक्त |
| डी एस | डेजर्ट टुकड़े | गिरियां प्राकृतिक रूप से टूटी हुई लम्बाई में गिरियां गहरी भुनी हुई, गाढ़े, भूरे, गाढ़े नीले, रंगहीन तथा काले धब्बों युक्त हो सकती हैं। | —— | 5 | 5 | 5 (डी पी तथा डी एस पी के साथ) | गिरियां ग्रसन, कट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। |

एन एस जी अगली निम्न श्रेणी का द्योतक है।

एन एल एस जी अगली निम्न श्रेणी के आकार का द्योतक है।

भूनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश :—

छ. 1 कच्ची सामग्री :—

छ.1.1. काजू की गिरियां जिनमें बिना भुनी हुई, भुनी हुई साबुत गिरियां या टुकड़े सम्मिलित है भूनने तथा नमक लगाने के लिए प्रयोग की जाएगी।

छ.1.2 वे किसी भी प्रकार के कीट ग्रसन फफूंदी वृद्धि विकृत गंधिता तथा बीजावरण की उपस्थिति से पूर्णतया रहित होंगी।

छ.2 तैयार करना :—

छ.2.1 भुनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरिया किसी भी मान्यता प्राप्त पकाने वाले बर्तन में उनको भून कर तथा नमक लगाकर या सुखा कर भुनकर या नमक लगा कर तैयार की जाएगी।

छ.2.2 पकाने के लिए प्रयुक्त बर्तन स्टेनलैस स्टील के होंगे।

छ. 3. उत्पाद अपेक्षाएं :—

छ.3.1 क्रेता तथा विक्रेता के बीच की गई संविदा में यथा अनुबंधित श्रेणी अभिधान तब तक अनुज्ञात होंगे जब तक कि वे तथ्यों का दुर्व्यपदेशन न करते हो।

छ.3.2 रासायनिक विश्लेषण किए जाने पर काजू की गिरियां भून कर तथा नमक लगाकर तैयार करने के पश्चात् निम्नलिखित सारणी में दर्शित स्वीकृत स्तरों के अंतर्गत होगी।

1. मुक्त वसीय (अम्ल—0.4% औलिक अम्ल के रूप में) निष्कर्षित वसा भार पर
2. पैराक्साइड मूल्य—निष्कर्षित विसा का 2 ए जी, 0.02 कि. ग्राम

भुनी हुई और नमक लगी हुई काजू की गिरियों में मुक्त वसा अम्ल और पैराक्साइड मूल्य के प्राक्कलन की पद्धति परिशिष्ट में दी गई निर्धारण पद्धति के अनुसार होगी।

छ. परिरक्षी और सुरुचिकर्मक उसी प्रकार अनुज्ञात होंगे जिस प्रकार के खादय अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन अनुज्ञेय है।

छ. 4 पैक करना :—

छ.4.1 भुनी हुई और नमक लगी हुई काजू की गिरियां क्रेता द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और अन्य अपेक्षाओं के उपभोक्ता अवधानों में पैक की जाएगी।

छ.4.2 गिरियां संविदा की अपेक्षानुसार पन्नी में भी पैक की जा सकेगी।

छ.4.3. आधान नए साफ़ और जंग रहित या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति से रहित होंगे।

छ4.4 गिरियां वैक्यूम वाले आधानों में या अक्रिय गैस के माध्यम से पैक की जाएंगी।

छ.4.5 क्रेता की पैकिंग अपेक्षाओं के अनुसार आधार गत्ते (कार्ड बोर्ड) के डिब्बों में या विसंक्रामित लकड़ी की पेटियों में पैक किए जाएंगे।

छ.4.6 प्रत्येक डिब्बे या पेटियों पर निम्नलिखित दर्शाने के लिए चिन्ह लगाए जाएंगे।

क. उत्पाद का नाम
ख. विनिर्माता का नाम
ग. पोत परिवहन चिन्ह
घ. किलोग्राम में शुद्ध और कुल भार

छ.5 मुहर बंद करना :—

छ.5.1 पैक किए जाने के पश्चात प्रत्येक परेषण को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट रुप में उचित रूप से मुहर बंद किया जाएगा।

परिशिष्ट

1. भुनी हुई और नमक लगी हुई काजू की गिरियों में पैराक्साइड मूल के प्राक्कलन की पद्धति :— मिश्रण में 50 ग्राम काजू की गिरियां और पाउडर लें।

250 मि. लीटर के डाटदार शक्वाकारे फ्लास्क में चूरा सामग्री लें और उसमें 150 मि. लीटर क्लोरोफार्म मिलाएं फलास्क को रात भर हलित्र (शेकर) में रखें अगले दिन दूपण के अंतर्गत मसाले को बूचर फ़लास्क में छान लें अवशेषों को फिर 100 मि० लीटर क्लोरोफ़ार्म में में मिला दें और और दो घन्टे के लिए शेकर में रखें। और फिर छान लें संयुक्त क्लोरो फार्म अर्क 250 मि. लीटर तक बनाएं।

निष्कर्षण का 10 मि. लीटर या लगभग 0.5 ग्राम वसा वाला यथोचित एलिकोट भाग पूर्व सूखे और तोले गए छोटे दो बीकरों (25 मि. लीटर क्षमता वाले) में निकाला जाए। जिस को जल व बर्तन के उपर रखने से क्लोरोफ़ार्म वाष्पित किया जाता है फिर डेगचियों को 700 सेंटीग्रेड वाले वैक्यूम ओवन में स्थानांतरित कर दिया जाए। वैक्यूम के अंतर्गत वाष्पीकरण एक घन्टे के लिए किया जाएगा। डेगचियां बाहर निकाल ली जाएगी और शोषित्र में ठंडी की जाएगी और उन्हें तोला जाएगा। डेगचियों को फिर ओवन में 30 मिनट के लिए रखा जाएगा और फिर उठा लिया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। और तोला जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि दो परिणाम बाधक तोलों का अंतर 5 मि. ग्राम से अधिक नहीं होगा।

4 ग्राम वसा वाले क्लोरोफ़ार्म निष्कर्षण का एलिकोट 500 मि. लीटर वाले डाटदार शक्वाकार फ़लास्क में डाला जाएगा और क्लोरोफ़ार्म एसिटिक ऐसिड का 1:2 अनुपात प्राप्त करने के लिए ग्लेसिएल ऐसिड की अपेक्षित मात्रा मिलायी जाएगी। इसमें से संतृप्त पोटाशियम आयोडाईड

घोल का 0.5 मि. लीटर निकाला जाएगा और घोल को कभी कभी को एक मिनट के लिए हिला कर स्थिर रहने दिया जाएगा और फिर उसमें 50 मि. लीटर आश्रुत जल मिला लिया जाएगा। 10.1 एन सोडियम थायोसलफ़ेट धीरे धीरे मिलाते हुए और निरंतर तथा बलपूर्वक हिलाते हुए इसका अनुमापन करें। अनुमापन लगातार तब तक करते रहें जब तक कि उसका नीला रंग बिलकुल लुप्त न हो जाए। एक प्रतिशत स्टार्च सूचक का 0.5 मि. लीटर मिलाएं और अनुमापन लगातार करते रहें जब तक कि नीला रंग लुप्त न हो जाए।

टिप्पण :—

(1) प्रतिदिन अभिक्रमक का पूर्ण निर्धारण करें पूर्ण अनुमापन 0.1 एन सोडियम थायोसलफ़ेट के के 0.1 मि. लीटर से अधिक नहीं होगी।

(2) अनुमापन आरम्भ करने से पूर्व यदि घोल का रंग हल्का पीला है तो उस अवस्था में स्टार्च सूचक मिलाया जा सकता है

(3) यदि अनुमापन 0.1 एन सोडियम थायोसलफ़ेट घोल के 0.5 मि. लीटर से कम है तो 0.1 एन सोडियम थायोसलफ़ेट घोल का प्रयोग करते हुए निर्धारण को दोहराएं।

पैराक्साइड मूल्य निम्नानुसार प्राकृतिक किया जा सकता है।

पैराक्साइड मूल्य प्रति 100 ग्राम वसा के अनुसार पैराक्साइड के मि. लीटर मूल्यों के रुप में होगा :

$$\frac{(ए - बी) \times एन \times 100}{डब्ल्यू}$$

जहां ए = नमूने का अनुमापन

बी = शून्य

एन = थायोसलफ़ेट की सांद्रणता

डब्ल्यू परीक्षण के लिए ली गई वसा का भार

2. मुक्त वसा अम्ल के प्राक्कलन की प्रक्रिया :— लगभग 5 ग्राम वाले क्लोरोफ़ार्म के एक एलिकोट को तोलने वाले शंक्वाकार फ़्लास्क में डाला जाएगा। जल तापन पर क्लोरोफ़ार्म वाष्पित किया जाएगा। क्लोरोफ़ार्म में अवशेष वैक्यूम औवन में वैक्यु के अधीन हटा दिए जाएगें। फ़्लास्क को क्लोरोफ़ार्म रहित वसा के साथ तोला जाएगा।

फ़िनोलफ़थालिन का सूचक के रुप में प्रयोग करते हुए अल्कोहल (आसुत) हल्के सोडियम हाईड्रोक्साइड घोल सहित निष्प्रभावित होगा। 50 मिली लीटर गर्म वसा में निष्प्रभावित अल्कोहल मिलायी जाएगी और फ़्लास्क को अच्छी तरह हिलाया जाएगा। 0.1 एन सोडियम हाईड्रोक्साइड सहित अनुमापन तब तक करें जब तक कि गुलाबी रंग जो 30 सेकेंड के लिए स्थिर है प्रकट न हो।

टिप्पण :— यदि अनुमापन 0.1 एनसोडियम हाईड्रोक्साइड मिली लीटर से कम हो तो 0.02 एन सोडियम घोल 0.5 हाईड्रोक्साइड घोल प्रयुक्त करते हुए निर्धारण दोहराएं।

मुक्त वसीय अम्ल की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

तोले के रुप में मुक्त वसीय अम्ल प्रतिशत $= \frac{ए \times एन \times 28.2}{डब्ल्यू}$

जहां ए = सोडियम हाईड्रोक्साइड घोल का मिली लीटर

एन = सोडियम हाईड्रोक्साइड घोल की सामान्यता तथा

डब्ल्यू = परीक्षण के लिए ली गई वसा का भार

## उपाबंध I

### परेषणानुसार निरीक्षण की प्रक्रिया

1. निरीक्षण का आधार :— (1) काजू की गिरियों का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरुप हैं और समुचित श्रेणी अभिधान लेबल लगाया गया है।

(2) काजु की गिरियों का निर्यात करने का इच्छुक व्यक्ति स्वास्थ्यकर परिसर में काजु की गिरियों को भूनकर छिलका उतारकर, सुखाकर और श्रेणी करण करके उनका परेषण इस ढंग से बनाएगा कि परेक्षण मान्यता प्राप्त श्रेणी विनिर्देशों में से किसी के अनुरूप हो।

(3) उपरोक्त उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में काजु की गिरियां तैयार करने के पश्चात् निर्यातकर्ता भा. मा. बा. (नवीनतम प्रति) के अनुरुप उन्हे नऐ, साफ सूखे और रिसनसह सहटिन आधानों में पैक करेगा। प्रत्येक टिन भली प्रकार से बंद किए जाएंगे। और ऐसी रीति से सील किए जाएंगे जो अभिकरण द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) टिन इस के पश्चात् श्रेणी अभिधान लेबलों से चिन्हित किया जाएगा और नालीदार तन्तु बोर्ड डिब्बों में पैक किया जाएगा। सीलबंद टिन में पैक करने के लिए प्रयुक्त नालीदार तंतु बोर्ड दोहरी तह के नालीदार तंतु बोर्ड का होगा जो 25 कि. ग्रा. अर्न्तवस्तु के लिए भा. मा. 2771 भाग –1 (नवीनतम प्रति) के अनुसार उचित होगा।

(5) श्रेणी अभिदान लैबलों का प्रयोग करने का इच्छुक निर्यातकर्ता ऐसे लेबलों की अपेक्षाओं की स्वीकृति अभिकरण के निकटतम कार्यालय से प्राप्त करेगा।

(6) एक डिब्बे में केवल एक ही श्रेणी की काजू की गिरियों को पैक किया जाएगा।

2. निरीक्षण की प्रक्रिया :— (1) काजु की गिरियों का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता निर्यात के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए अभिकरण को या

उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को आवेदन देगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन निर्यात के लिए लदान के आरम्भ की तारीख से पहले कम से कम सात दिन (भुनी हुई तथा नमक लगी हुई काजु की गिरियों की दशा में 15 दिन, पहले दिया जाएगा ।

(3) उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर अभिकरण निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अपना यह समाधान करने की दृष्टि से काजु की गिरियों के परेषण का निरीक्षण करेगा कि परेषण का उपरोक्त नियम 1.1 में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार श्रेणीकरण किया गया है । निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण कर सकने के लिए सच्चीं आवश्यक सुविधाएं देगा ।

(4) यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात की जाने वाली काजु की गिरियों का परेषण नियम 1 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरुप है तो वह सूचना प्राप्त होने के सात दिन के (भुनी हुई तथा नमक लगी हुई काजु की गिरियों की दशा में 15 दिनों के) भीतर यह घोषित करने वाला प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है ।

(5) जब अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है तो वह सात दिन (भुनी हुई और नमक लगी हुई काजु कि गिरियों की दशा में 15 दिनों, की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित लिखित रुप में निर्यातकर्ता को देगा ।

(6) प्रमाणन के पश्चात् भी अभिकरण को परेक्षण को क्वालिटी भंडारकरण के किसी स्थान पर अभिवहन के के दौरान या उसके वस्तुतः लदान से पूर्व पतनों पर पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा

(7) यदि इनमें किसी भी क्रम पर यह पाया जाता है कि परेषण मानक विनिर्देशों के अनुरुप नहीं है तो मूल रुप से जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा ।

3. निरीक्षण का स्थान :— इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ता के उस परिसर पर किया जाएगा जहां माल निरीक्षण के लिए प्रस्थापित किया जाता है, परन्तु यह तब तक कि परिसर में निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

## उपाबंध II

उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण के लिए प्रसंकरण यूनिटों द्वारा अपनाएं जाने वाले नियंत्रण स्तर

क्वालिटी नियंत्रण :— अभिकरण द्वारा अनुमोदित केवल प्रसंकरण यूनिटें ही निर्यात के लिए काजु की गिरियों का प्रस्संकरण करने के पात्र होंगें तथा ऐसा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक यूनिट के पास नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए:—

1. संभरक यूनिट:— सामान्यः अभिकरण द्वारा अनुमोदित केवल संभरण यूनिटें ही निर्यात के लिए कच्ची काजु की गिरियों को प्रंसस्करण करेगी । यूनिट में विद्यमान कीट विज्ञान संबंधी पहलुओं के प्रति विशेष निर्देश से स्वच्छता और स्वास्थ्यकर दशाओं का न्यायनिर्णयन और निर्यात के लिए काजु की गिरियों के प्रसंस्करण करने के लिए उपलब्ध न्यूनतम सुविधाएं भी उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए संभरक युनिटें/शाखा कारखाने अभिकरण द्वारा मूल्यांकन किए जाने के अधीन होंगें। संभरक यूनिट के पास नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होंगी :—

1.1 परिवेश और निर्माण :— (1) यूनिटों का परिवेश प्रसंस्करणकर्ता के वस्तुगत नियंत्रण के अधीन है ऐसा होगा, जिससे स्वच्छता संबंधी कोई समस्या नही होगी ।

(2) भवन के शेड, संतोषजनक रुप से रखे जाएंगे ।

(3) कार्य करने वाले को संदुषण के किसी भी जोखिम से बचाने के लिए अच्छी दशा में रखा जाएगा ।

1.2 प्रसंस्करण क्षेत्र : (1) कच्चीं गिरी के गोदाम और प्रसंस्करण कक्ष इस प्रकार के होंगे जिससे प्रभावशाली प्रति-पीडक के तथा पीडक हरण संक्रियाएं सुविधाएं दी जा सके

(2) प्रसंस्करण कक्षों में कृतकों, पक्षियों तथा सजातियों का प्रवेश रोकने के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी।

(3) सभी कार्यक्षेत्रों में अच्छी रोशनी होगी।

(4) खाद्य उत्पादों के भंडारकरण के लिए प्रयोग किए गए क्षेत्र या कक्ष तथा डिब्बे उनसे पृथक और सुभिन्न होंगे, जो अखाद्य सामग्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

(5) सभी बर्तन, ट्रे, मेज को सतह, जो सामग्री के संपर्क में आती है प्रयोग से पूर्व, उसके पश्चात् और प्रयोग के अन्तरालों के दौरान जब भी आवश्यक हो, साफ की जाएंगी।

1.3 प्रसाधन सुविधा : (1) यूनिट में विधि के अधीन यथा अपेक्षित पर्याप्त प्रसाधन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। प्रसाधनों में साबुत तथा पर्याप्त पानी के प्रदाय का प्रबन्ध किया जाएगा।

1.4 कार्मिकों का स्वास्थ्य तथा स्वच्छता : (1) संयंत्र का प्रबंध मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में यह जानकारी हो कि वह संचारी रोग से पीड़ित है, यूनिट के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति न दी जाए।

(2) प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति कार्य करते समय अपनी अत्यधिक सफ़ाई रखेंगे।

(3) कार्यकर्ता प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात् प्रसंस्करण कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व अपने हाथ धोयेंगे।

(4) प्रसंस्करण कक्षा में किसी भी रूप में तंबाकू का चबाना, थूकना तथा प्रयोग प्रतिषिद्ध होगा।

1.5 परिवहन सुविधाएं : (1) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्व प्रसंस्कृत तथा परिरूपित उत्पादों का पैक किए जाने वाले केन्द्रों में पालिथिन के स्तर वाले जंगरहित धातु के डिब्बों में परिवहन किया जाता है।

1.6 निरीक्षण प्रक्रिया : (1) संभरक यूनिटों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्यातकर्ता परिषद् द्वारा विहित प्रोफ़ार्मों में संभरक यूनिटों के ब्यौरे अभिकरण को लिखित रूप में देगा।

(2) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण के अधिकारी यूनिट में प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध स्वच्छता तथा स्वास्थ्यकर दशाओं और सुविधाओं का न्यायनिर्णयन करने के लिए संभरण यूनिटों में जायेंगे।

(3) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में इन निबंधों यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं और स्वास्थ्य कर तथा स्वच्छता दशाएं संतोषजनक हैं और कोई संदूषण समस्या दिखाई नहीं देती है तो अभिकरण यूनिट का अनुमोदन कर देना तथा निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने के लिए उसे अनुज्ञात कर देगा।

(4) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम स्वच्छता संबंधी और स्वास्थ्यकर दशाएं नहीं हैं तो प्रसंस्करणकर्ता को उस यूनिट में निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(5) वह यूनिट जिसका अनुमोदन नहीं किया गया है या जिसका अनुमोदन वापस ले लिया गया है दोषों का सुधार करने के पश्चात् फिर से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नए सिरे से आवेदन दे सकता है।

(6) यदि किसी भी समय किसी भी कारण उत्पाद को विनिर्देशों के अनुरूप बनाने में कठिनाई आती है या यदि अभिकरण द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है तो अभिकरण को सूचना देकर निर्यात के लिए उत्पाद को निलंबित कर दिया जाएगा परन्तु अभिकरण दोषों का सुधार करने के लिए दो माह की सूचना अवधि देगा।

(7) निर्यात के लिए प्रसंस्करण केवल तभी पुनः आरम्भ किया जाएगा जब अभिकरण का लिखित अनुमोदन कर दें।

(8) भूनना, सुखाना, छिलका उतारना, श्रेणीकरण, भंडारकरण इत्यादि जैसी प्रसंस्करण प्रक्रिया यूनिट के अनुभवी कार्मिक के पर्यवेक्षणाधीन स्वास्थ्यकर दशाओं में की जाएगी।

(9) प्रसंस्करण संक्रियाओं की, जब भी आवश्यक समझा जाए, अभिकरण के अधिकारी जांच करेंगे।

1.7 प्रसंस्करण : (1) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यक प्रतिपीड़क तथा पीड़कहरण उपाय कालिकतः तथा जब कभी अभिकरण के अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया जाए किए जाते हैं।

2.0 पैक करने के केन्द्र : सामान्य : अभिकरण द्वारा अनुमोदित पैक किए जाने वाले केन्द्र ही निर्यात के लिए काजू की गिरियों को पैक करने के पात्र होंगे।

2.1 ऐसे अनुमोदित पैक किए जाने के केन्द्र केवल अनुमोदित संभरक यूनिटों से ही निर्यात के लिए पैक की जाने वाली गिरियां प्राप्त करेंगे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पैक करने वाले केन्द्र के पास नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होना चाहिएं।

2.2 परिवेश, संनिर्माण तथा अभिन्यास : (1) भवन स्थायी/अर्धस्थायी बनावट का होगा तथा अच्छी दशा में रखा जाएगा।

(2) उस परिसर के जो प्रसंस्करणकर्ता के वस्तुगत नियंत्रण के अधीन है आसपास किसी भी प्रकार का दलदल कूड़े का ढेर या पशुग्रह नहीं होगा जो किसी भी प्रकार की सफाई की समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है।

(3) काम करने वाले परिसरों को संदूषण के किसी भी जोखिम से बचाने के लिए अच्छी दशा में रखा जाएगा।

2.3 प्रसंस्करण क्षेत्र : (1) प्रसंस्करण कक्षों में कीटाणुओं कृंतकों, पक्षियों तथा सजातियों के प्रवेश का निवारण करने के लिए उपाय किए जाएंगे।

(2) सभी कार्य क्षेत्रों में अच्छी रोशनी होगी।

(3) खाद्य उत्पादों के भंडारकरण के लिए प्रयोग किए गए क्षेत्र या कक्ष उनसे पृथक और सुभिन्न होंगे जो अखाद्य सामग्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

(4) प्रसंस्करण क्रियाओं के दौरान काम करने के क्षेत्र में से अवशिष्ट सामग्री शीघ्र हटाई जाएगी।

(5) सभी बर्तन ट्रे तथा मेज की सतह जो काजू की गिरियों के संपर्क में आती हैं प्रयोग के पूर्व पश्चात् और प्रयोग के अन्तरालों के दौरान, जब भी आवश्यकता हो साफ की जाएगी।

(6) छेत्रों को भरने के लिए प्रयुक्त सभी छोटे पात्र जैसे ट्रे, बाउल और बर्तन लकड़ी के अतिरिक्त संक्षरण सामग्री से बने होंगे तथा उनकी सतह दरारों से मुक्त होगी।

(7) प्रसंस्करण संक्रियाओं के दौरान काम करने के क्षेत्रों से अवशिष्ट सामग्री शीघ्र हटाई जाएगी।

(8) पैकिंग भराई अनुभाग के प्रवेश पर हाथ धोने की सुविधा जैसे हाथ धोने के पात्र, तथा साबुन की सुविधा होगी।

2.4 मशीनरी : (1) पैकिंग केन्द्र के पास 26 ऊंचाई के वैक्यूम को निकालने के योग्य एक विटापैक उपकरण काम करने की अच्छी दशा में होगा। वैक्यूमीकरण के दौरान डिब्बों में से निकाली गई वैक्यूम उपदर्शित करने के लिए मेज के साथ विटापैक लगाया जाएगा।

(2) पैकिंग केन्द्र से भराई अनुभाग में बाह्य बाहरी पदार्थ पृथककर्ता (पी एस एम एस) का प्रबंध किया जाएगा जो गिरियों के साथ विद्यमान बाह्य पदार्थ को पृथक् करेगा। काजू की गिरियों को भरने का संपूर्ण कार्य केवल पी एस एम एस द्वारा किया जाएगा।

(3) स्वास्थ्य दशाओं के अधीन रखे गए पैकिंग केन्द्रों में गिरियों को अनुकूल रखने के लिए आवश्यक शीतलन सुविधाएं होंगी।

2.5 प्रसाधन सुविधाएं: (1) सफ़ाई संबंधी पर्याप्त प्रसाधन सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा। प्रसाधनों में साबुन तथा पर्याप्त पानी का प्रबंध किया जाएगा।

2.6 कर्मचारियों का स्वास्थ्य और स्वच्छता: (1) संयंत्र प्रबंध मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में यह जानकारी हो कि वह संचारी रोग से पीड़ित है यूनिट के किसी भी क्षेत्र में काम करने की अनुमति न दी जाये।

(2) प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति कार्य करते अपनी अत्यधिक सफाई रखेंगे।

(3) कार्यकर्ता प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात् प्रसंस्करण कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व अपने हाथ धोयेंगे।

(4) प्रसंस्करण कक्ष में किसी भी रूप में तंबाकू क चबाना, थूकना तथा उसका प्रयोग करना प्रतिषिद्ध होगा।

(5) प्रसंस्करण कक्ष में खाना रखने वाले डिब्बे नहीं रखे जाएंगे।

(6) प्रबंध मंडल सफाई तथा पैकिंग अनुभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्वच्छ एप्रेन तथा हैड गियर देगा।

2.7 पैक करने वाले केन्द्रों का अनुमोदन: (1) निर्यात करने के लिए काजू की गिरियों को पैक करने का इच्छुक प्रसंस्करणकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में अभिकरण द्वारा विहित प्रोफार्मा में देगा।

(2) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण के अधिकारी पैकिंग युनिट में यह देखने के लिए जाएंगे कि युनिट में प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं उपलब्ध है।

(3) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम विहित सुविधाएं हैं तो युनिट को काजु की गिरियों को निर्यात के लिए पैक करने के लिए अनुमोदित कर दिया जाएगा।

(4) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्युनयूतम विहित सुविधाएं नहीं हैं तो युनिट को काजू की गिरियों को निर्यात के लिए पैक करने के लिए अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

(5) किसी यूनिट को दिया गया अनुमोदन कम से कम दो मास की अवधि की सूचना देने के पश्चात् निम्नलिखित कारणों से वापिस ले लिया जाएगा:

(i) यदि उपस्कर तथा मशीनरी अच्छी काम करने की दशा में न हों;

(ii) यदि युनिट को स्वास्थ्यकर तथा सफाई संबंधी दशाएं संतोषजनक न हों;

(iii) यदि संभरण यूनिट की स्वच्छता तथा स्वास्थ्यकर दशा संतोषजनक नहीं है तथा अभिकरण के अधिकारियों ने कीट काँट विज्ञान सर्वेक्षण में कीट ग्रसन के मामलों को देखा है;

(iv) यदि प्रसंस्करणकर्ता ने परिषद् द्वारा जारी किए गए नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण किया या जानबुझकर अतिक्रमण करने का प्रयत्न किया हो।

(6) प्रसंस्करणकर्ता को अनुमोदन के ऐसे वापस लेने के बारे में लिखित रूप में सूचना दी जाएगी।

(7) जब विटा पैक मशीन काम करने की विहित दशा में न हो तो यूनिट में विटा पैक कार्य नही किया जाएगा।

(8) यह यूनिट जिसका अनुमोदन वापिस ले लिय, गया है दोषों को सुधारने के पश्चात् फिर से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नए सिरे से आवेदन पत्र देगा।

(9) यदि किसी भी यूनिट को किसी भी समय किसी कारण से अपेक्षाओं की अनुरूपता बनाए रखने में कोई कठिनाई हो या अभिकरण द्वारा निर्देश दिया गया हो तो अभिकरण को सूचित करते हुए निर्यात के लिए उत्पादन निलंबित कर दिया जाएगा।

(10) निर्यात के लिए प्रसंस्करण को केवल तभी पुनः आरम्भ किया जाएगा जब वह लिखित रूप में अभिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा।

2.8 काजू की गिरियों की पैकिंग तथा भराई: (1) निर्यात के लिए काजु की गिरियों को पैक करने का इच्छुक निर्यातकर्ता उत्पाद के दौरान क्वालिटी नियंत्रण के मापों के स्तरों का प्रयोग करते हुए इन नियमों में निर्विष्ट काजू की गिरियों की प्रक्रिया के पश्चात् उन्हें भारतीय मानक 916, (नवीनतम प्रति) के अनुरूप नए साफ सूखे और रिसन सह आधानों में पैक करेगा। प्रत्येक टिन धातु प्रकार से बंद किए जाएंगे। और ऐसी रीति से सीलबंद किए जाएंगे जो अभिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) टिन इसके पश्चात् श्रेणी का अभिधान, लेबलों से चिह्नित किया जाएगा तथा नालीदार तंतु बोर्ड के डिब्बों में पैक किया जाएगा। सीलबंद डिब्बों की पैकिंग के लिए प्रयुक्त नालीदार फाइबर बोर्ड दोहरी नालीदार फाइबर बोर्ड का होगा जो भा. मा. 2771, भाग-1 (नवीनतम प्रति) के अनुसार 25 कि. ग्रा. तक भार के लिए उपयुक्त होगा।

(3) श्रेणी अभिधान लेबलों को प्रयोग करने का इच्छुक निर्यातकर्ता ऐसे लेबलों की अपेक्षाओं की स्वीकृति अभिकरण के निकटतम कार्यालय से प्राप्त करेगा।

(4) एक डिब्बे में केवल एक ही श्रेणी की काजू की गिरियों को पैक किया जाएगा।

3. संयुक्त युनिट: (1) एक संयुक्त काजू की कारखाने में जिसमें निर्यात के लिए काजु की गिरियों का प्रसंस्करण करने तथा पैक करने की सुविधाएं हैं, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संभरक यूनिट तथा पैकिंग केन्द्र की निर्धारित सुविधाएं होनी चाहिए।

4. अभिलेखों का रखा जाना : (1) काजू की गिरियों के प्रसंस्करण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करणकर्ता संबंधित परिसरों पर आवश्यक अभिलेख/रजिस्टर रखेगा और ये अभिकरण के अधिकारियों को निरीक्षण के लिए जब भी अपेक्षित हो, उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. निरीक्षण की प्रक्रिया : (1) काजू की गिरियों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता इस निमित्त विहित प्रोफार्मा में अभिकरण को, लिखित रूप में सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ इस आशय का घोषणापत्र भी देगा कि काजू की गिरियों के परेषण का अभिकरण द्वारा इस संबंध में यथा विहित उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण उपायों के स्तरों को अपनाते हुए प्रसंस्करण किया गया है।

(2) ऐसी सूचना लदाई के लिए प्रमाण-पत्र की प्राप्ति की अपेक्षित तारीख से कम से कम पांच कार्य दिवस (भुनी हुई या नमक लगी हुई काजू की गिरियों की दशा में 10 दिन) से पूर्व अभिकरण के कार्यालय को पहुंच जाएगी।

(3) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण सामान्यतः यथा अपेक्षित जांच नमूने लेगा और यदि अभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाला परेषण विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है तो वह निर्यातकर्ता को यह घोषणा करते हुए की परेषण निर्यात करने योग्य है, प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) जब अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है तो वह ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की जाने की सूचना उसके कारणों सहित लिखित रूप में निर्यातकर्ता को देगा।

(5) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए अभिकरण के अधिकारी को संयुक्त अभिलेखों और उन परिसरों तक पहुंच होगी जहां काजू की गिरियों का प्रसंस्करण, पैकिंग तथा भंडारकरण किया जाता है।

(6) प्रमाणन के पश्चात् भी अभिकरण को परेषण की क्वालिटी भंडारकरण के किसी स्थान पर, अभिवहन के दौरान या पत्तनों पर उसके वस्तुतः लदान से पूर्व पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(7) यदि इन में से किसी भी क्रम पर यह पाया जाता है कि परेषण मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है तो मूल रूप से जारी किया गया निरीक्षण प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा :

[मि. सं. 6 (9)/83/ई आई एंड ई पी]

सी बी. कुकरेती, संयुक्त निदेशक

पाद टिप्पण :

का. आ. 1022 और 1023 तारीख 26-3-1966
का. आ. 275 तारीख 28-1-1978

ORDER

New Delhi, the 6th July, 1985

S.O. 3091.—Whereas in exercise of the powers conferred by section 6 of the, Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient to do for the development of the export trade of India that Cashew Kernels should be subjected to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1022 and 1023 dated 26th March, 1966, S.O. No. 275 and 276 dated the 28th January, 1978 relating to Cashew Kernels hereby publishes the said proposals for information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person who desires to make any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within 45 days of the date of publication of this Order in the Official Gazette to the Export Inspection Council of India, Pragati Tower 11th floor, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

(1) To notify that Cashew Kernels shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1985 as set out in Annexure I and II to this Order as the type if quality control and inspection which shall be applied to such Cashew Kernels prior to their export;

(3) To recognise the specifications as set out in the Schedule to this Order as the standard specifications for Cashew Kernels.

(4) To prohibit the export, in the course of international trade of such Cashew Kernels unless the same are accompanied by a certificate issued by any of the Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such Cashew Kernels conforms to the standard specification and are exportworthy.

3. Nothing in this Order shall apply to the export of bonafide samples of Cashew Kernels by land, sea or air to prospective buyers provided that no such samples is in excess of f.o.b. value of Rs. 250.

4. Definitions—In this Order "Cashew Kernels" mean—all types of Cashew Kernels unsorched, scorched, wholes, pieces, roasted and salted kernels.

SCHEDULE

Specification for cashew kernels

1. General Characteristics : Cashew Kernels shall have been obtained through roasting shelling and peeling cashew nuts (Anacardiumoccidentale Linnaeus)

2. Special Characteristics :

A. Cashew Kernels—White wholes

| Grade Designation | Trade Name | Colour/Characteristics | Count/454 gm. Size description | Max. Moisture % | Broken Max. % | NLSG/ NLG Max. % | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-180 | White Wholes | White pale ivory/light ash characteristic shape. | 120–180 | 5 | 5 | 5 (NLSG & SW together) | Kernels shall becomplete-ly free from infestation insect damage, mould, rancidity adhering testa objectionable extraneous matter. Scraped and partially shrivelled ker-nels also permitted provided such scraping/ shrivelling does not affect the charactcistic shape of the kernel. |
| W-210 | -do- | -do- | 200–210 | ,, | ,, | ,, | |
| W-240 | -do- | -do- | 220–240 | ,, | ,, | | |
| W-280 | -do- | -do- | 260–280 | ,, | ,, | ,, | |
| W-320 | -do- | -do- | 300–320 | ,, | ,, | ,, | |
| W-400 | -do- | -do- | 350–400 | ,, | ,, | ,, | |
| W-450 | -do- | -do- | 400–450 | ,, | ,, | ,, | |
| W-500 | -do- | -do- | 450–500 | ,, | ,, | ,, | -do- |

B. Scorched Cashew Kernels—Wholes

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | Scorched Wholes | Kernels may be scorched/ slightly darkened due to over-heating while roast-ing or drying in drier/ borma. | — | 5 | 5 | 5 (NLSG & SSW together) | Kernels shall be com-pletely free from infestation, insect damage mould, rancidity, adher-ing testa and objection-able extranesous matter. Scraped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/shrivelling does not affect the characteris-tic shape of the kernel. |
| SW-180 | -do- | -do- | 170–180 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-210 | -do- | -do- | 200–210 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-240 | -do- | -do- | 220–240 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-280 | -do- | -do- | 260–280 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-320 | -do- | -do- | 300–320 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-400 | -do- | -do- | 350–400 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-450 | -do- | -do- | 400–450 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-500 | -do- | -do- | 450–500 | ,, | ,, | ,, | -do- |

C. Desert Cashew Kernels—Wholes

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW | Scorched Wholes Seconds | Kernels may be over scorched, immature, shrivelled (Pirival) speckled (Karaniram) discoloured and light blue. | — | 5 | 5 | 5 (DW) | Kernels shall be com-pletely free frm infesta-tion, insect damage, mould rancidity, adher-ing testa & objectiona ble extraneous matter. |
| DW | Desert Wholes | Kernels may be deep scorched deep brown, deep blue, speckled discoloured and black spotted. | | ,, | ,, | ,, | -do- |

D. Cashew Kernels (White Pieces)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Butts | White/pale ivory or light ash. Kernels broken cross-wise (evenly or unevenly) & naturally attached. | — | 5 | 5 | 5 (SB) | Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa & objectionable extraneous matter. Scraped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel. |
| S | Splits | White/pale ivory or light ash, kernels, split naturally lengthwise. | — | 5 | 5 | 5 (SS) | -do- |
| LWP | Large White Pieces | White/pale ivory or light ash. | Kernels broken into more than two pieces and not passing through 4 mesh/ 16 SWG sieve/4.75 mm. I.S. Sieve. | 5 | — | 5 (SP & SWP togethzr) | -do- |
| SWP | Small White Pieces | -do- | Broken kernels smaller than those described on LWP but not passing through 6 mesh 20 SWG Sieve/2.80 mm. I.S. Sieve. | 5 | — | 5 (SSP & BB together). | -do- |
| BB | Baby Bits | White/pale ivory or light ash. | Plumuees and broken kernels smaller than those described as SWP but not passing through a 10 mesh 24 SWG Sieve/ 1.70 mm I.S. Sieve. | 5 | — | 1 (Cashew Poweder) | Kernels shall be completely free from infestation, Irsect damage, mould, rancidity, adhering testa and objection able extraneous matter. |
| | | | E. Cashew Kerels—Scorched Pieces | | | | |
| SB | Scorched Butts | Kernels broken crosswise (evenly or unevenly and naturally attached. Kernels, may be scorched/ slightly darkened due to over heating while roasting or drying in the drier/ broma. | — | 5 | 5 | 5 (DB) | Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel. |
| SS | Scorched Splits | Kernels split naturally lengtheise, mernels may be scorched/slightly darkened due to over heating while roasting or drying indrier/borma. | — | 5 | 5 | 5 (DS) | -do- |
| SP | Scorched Pieces | Kernels may be scorched/ slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/ lorma | Pieces not passing through a 4 mesh. 16 SWG Sieve 4.75 mm I.S. Sieve. | 5 | — | 5 (SPS & SSP together | -do- |
| SSP | Scorched Small Pieces | -do- | Pieces smaller than SP but not passing through a 6 mesh/20 SWG Sieve 2.80 mm. I.S. Sieve. | 5 | — | 5 (DSP) | -do- |

F. : Cashew Kernels (Deserts Pieces)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS | Scorched Pieces Seconds | Kernels may be over-scorched immature, shrivelled (Pirival) speckled (Karaniram) discoloured and light blue. | Kernels broken into pieces but not passing through a 4 mesh/16 SWG Sieve/together 4.75 mm. I.S. Sieve. | 5 | — | 5 (DP & DSP | Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. |
| DP | Desert Pieces | Kernels may be deep scorched, deep brown, deep blue, speckled, discoloured and black spotted. | -do- | 5 | — | 5 (DSP) | -do- |
| DSP | Desert Small Pieces | -do- | Kernels broken into pieces but not passing through 6 mesh 20 SWG 2.80 mm. I.S. Sieve. | 5 | — | 2 (Smaller) pieces) | -do- |
| DB | Desert Butts | Kernels broken crosswise (evenly and unevenly) naturally attached, kernels may be deep scorched, speckled, deep brown, discoloured and deep blue & black spotted. | — | 5 | 5 | 5 (DP & DSP together) | -do- |
| DS | Desert splits | Kernels split naturally lengthwise kernels may be deep scorched, deep brown, deep blue, speckled, discoloured & black spotted. | — | 5 | 5 | 5 (DP & DSP together) | -do- |

NLG denotes : Next Lower Grade.
NLSG denotes : Next Lower Size Grade.

## G. SPECIFICATIONS FOR ROASTED & SALTED CASHEW KERNELS

G.1 Raw Materials :

G.1.1 Cashew Kernels, which shall include scorched, unscorched whole or pieces shall be used for roasting and salting.

G.1.2 They shall be completely free from insect infestation of any kind, fungal growth, rancidity and the presence of testa.

G.2 Preparation :

G.2.1 Roasted and Salted Cashew Kernels shall be prepared by roasting the Cashew Kernels in any of the recognised cooking media and salting, or through the dry roasting and salting process.

G.2.2 The cooking utensils used shall be of stainless steel.

G.3 Product requirements :

G.3.1 The grade designations as stipulated in the contract between the buyer and the seller shall be allowed unless they make any misrepresentation of the facts.

G.3.2 The kernels, after the prepartion through roasting and saltnig, on chemical analysis shall be within the acceptance levels shown below :

1. Free fatty acid—0.4% (As oleic) on the weight of extracted fat.

2. Peroxide value—2 meg/0.02 kg. of extracted fat. The method of estimation of free fatty acid and peroxide value in roasted and salted Cashew Kernels shall be as per the method of determination given in the Appendix.

G.3.3 Preservative and flavouring agents shall be permitted as admissible under the prevention of Food Adulteration Act, 1954.

G.4 Packing :

G.4.1 The roasted and salted Cashew Kernels shall be packed in consumer containers of the size and other requirements as may be specified by the buyer.

G.4.2 The Kernels may also be foil packed if required in the contract.

G.4.3 The containers shall be new, clean and free from rusting or any kind of damage.

G.4.4 The kernels shall be packed in the containers under vacuum or in the medium of inert gas.

G.4.5 The containers shall be packed in cardboard cartons or disinfected wooden cases according to the packing requirements of the buyer.

G.4.6 Each carton or case shall be marked to show :—

(a) name of the product

(b) name of the manufacturer

(c) Shipping mark

(d) net and gross weight in Kgs.

G.5 Sealing :

G.5.1 Each consignment after packing shall be suitably sealed as may be specified by the Council.

Draft rules proposed to be made under section 17 of Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) in Supersession of the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1966 and 1978.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1985;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act ;

(c) "Agency" means any one of the Agencies established under section 7 of the Act at Bombay Calcutta, Cochin, Delhi and Madras;

(d) "Cashew Kernels" mean all types of Cashew Kernels scorched, unscorched, wholes, pieces, roasted and salted kernels.

3. Quality Control and Inspection.—The inspection of Cashew Kernels intended for export shall be carried out with a view to ensure that Cashew Kernels conform to the standard specifications recognised under section 6 of the Act, either,

(a) on the basis of inspection and testing of finished products as per specifications recognised for this purpose by adopting the procedure specified in Annexure-I.

or

(b) by ensuring that the product has been processed by exercising the controls at different stages of processing by following the levels of controls as specified in Annexure-II.

4. Inspection Fee. : A fee at the rate of eighty paise for one tin of 11.34 kgs. of Cashew Kernels or part thereof for adopting the procedure specified in Annexure-I and a fee at the rate of fifty paise for one tin of 11.34 kgs. of Cashew Kernels for adopting the procedure specified in Annexure-II shall be charged.

In the case of Roasted and Salted Cashew Kernels a fee at the rate if fifty paise for every Rs. 100 f.o.b. value or part thereof shall be charged subject to a minimum inspection fee of Rs. 50 for every consignment, under these rules.

5. Appeal—(a) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to accord approval for his unit under Clause 2.7.4 and 2.7.5 of Annexure-II or to issue a certificate of exportworthiness under sub-rue (4) of rule 5 of Annxure-II or subrule 5 of rule 2 of Annexure-I may within fifteen days of receipt of the communication of such refusal by it, prefer an appeal to the Convenor of the concerned Panel of Experts consisting of not less than three, but not more than seven numbers, appointed for the purpose by the Central Government.

(b) At least two-thirds of the total membership of the Panel of Experts shall consist of trade members.

(c) The quorum of the Panel shall be three.

(d) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

## SCHEDULE

Specification for Cashew Kernels

1. General Characteristics : Cashew kernels shall have been obtained through roasting shelling and peeling cashew nuts (Anacardium occidentale Linnaeus)

2. Special Characteristics :

### A. CASHEW KERNELS—WHITE WHOLES

| Grade designation | Trade Name | Colour/Characteristics | Count/454 gm. Size description | Max. Moisture % | Broken Max. % | NLSG/ NLG Max.% | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-180 | White Wholes | White pale ivory/light ash characteristics shape | 120–180 | 5 | 5 | 5 (NLSG & SW together) | Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity adhering testa objectionable extraneous matter. Scraped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/shrivelling does not affect the characteristics shape of the kernel. |
| W-210 | -do- | -do- | 200–210 | ,, | ,, | ,, | |
| W-240 | -do- | -do- | 220–240 | ,, | ,, | ,, | |
| W-280 | -do- | -do- | 260–280 | ,, | ,, | ,, | |
| W-320 | -co- | -do- | 300–320 | ,, | ,, | ,, | |
| W-400 | -do- | -do- | 350–400 | ,, | ,, | ,, | |
| W-450 | -do- | -do- | 400–450 | ,, | ,, | ,, | |
| W-500 | -do- | -do- | 450–500 | ,, | ,, | ,, | |

### B. SCORCHED CASHE W KERNELS—WHOLES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | Scorched Wholes | Kernels may be scorched slightley darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma | — | 5 | 5 | 5 (NLSG & SSW together) | Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objection able extraneous matter. Scraped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel. |
| SW-180 | -do- | -do- | 170–180 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-210 | -do- | -do- | 200–210 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-240 | -do- | -do- | 220–240 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-280 | -do- | -do- | 260–280 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-320 | -do- | -do- | 300–320 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-400 | -do- | -do- | 350–400 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-450 | -do- | -do- | 400–450 | ,, | ,, | ,, | -do- |
| SW-500 | -do- | -do- | 450–500 | ,, | ,, | ,, | -do- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C. DESSERT CASHEW KERNELS—WHOLES | | | | |
| SSW | Scorched Wholes Second | Kernels may be over-scorched, immature, shrivelled (Pirival) speckled (Karaniram) discoloured & light blue. | — | 5 | 5 | 5 (DW) | Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa & objectionable extraneous matter. |
| DW | Dessert Wholes | Kernels may be deep scorched deep brown, deep blue, speckled, discoloured & black spotted. | — | 5 | 5 | — | -do- |
| | | | D. CASHEW KERNELS (WHITE PIECES) | | | | |
| B | Butts | White/pale ivory or light ash. Kernels broken crosswise (evenly or unevenly) & naturally attached. | — | 5 | 5 | 5 (SB) | Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa & objectionable extraneous matter. Scraped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/shrivelling does not affect the characteristics shape of the kernel. |
| S | Splits | White/pale ivory or light ash, kernels, split naturally lengthwise. | | 5 | 5 | 5 (SS) | -do- |
| LWP | Large White Pieces | White/plae ivory or light ash. | Kernels broken into more than two pieces and not passing through 4 mesh/ 16SWG Sieve/4.75 mm I.S. Sieve. | 5 | — | 5 (SP & SWP together) | -do- |
| SWP | Small White Pieces | -do- | Broken kernels smaller than those described on LWP but not passing through 6 mesh 20 SWG sieve/2.80mm. I.S. Sieve. | 5 | — | 5 (SSP & BB together) | -do- |
| BB | Baby Bits | -do- | Plumules and broken kernels smaller than those described as SWP but not passing through a 10 mesh 24 SWG sieve 1.70 mm I.S. Sieve | 5 | — | 1 (Cashew Powder) | Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa objectionable extraneous matter. |
| | | | E. CASHEW KERNELS—SCORCHED PIECES | | | | |
| SB | Scorched Butts | Kernels broken crosswise (evenly or unevenly) and naturally attached. Kernels may be scorched/ | — | 5 | 5 | 5 (DB) | Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhe- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in the drier/borma | | | | | ring testa & objectionable extraneous matter Scraped & partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/shrivelling does not affect the characteristics shape of the kernel. |
| SS | Scorched Splits | Kernels split naturally lengthwise, kernels may be scorched/slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma | | 5 | 5 | 5 (DS) | -do- |
| SP | Scorched Pieces | Kernels may be scorched/ slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/ borma. | Pieces not passing through a 4 mesh. 16 SWG Sieve 4.75 mm I.S. Sieve. | 5 | — | 5 (SPS & SSP (together) | -do- |
| SSP | Scorched Small Pieces | -do- | Pieces smaller than SP but not passing through a 6 mesh/ 20SWG Sieve 2.80 mm. I.S. Sieve. | 5 | — | 5 (DSP) | -do- |
| | | F. CASHEW KERNELS (DESSERT PIECES) | | | | | |
| SPS | Scorched Pieces Seconds | Kernels may be over scorched, immature shrivelled (Pirival) speckled (Karaniram) discoloured and light blue. | Kernels broken into pieces but not passing through a 4 mesh/16 SWG Sieve/ 4.75mm I.S. Sieve | 5 | — | 5 (DP & DSP together) | Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa & objectionable extraneous matter |
| DP | Dessert Pieces | Kernels may be deep scorched deep brown, deep blue, speckled discoloured & black spotted | -do- | 5 | — (DSP) | 5 | -do- |
| DSP | Dessert Small Pieces | -do- | Kernels broken into pieces but not passing through 6 mesh 20 SWG 2.80mm. I.S. Sieve | 5 | — | 2 (smaller pieces) | -do- |
| DB | Dessert Butts | Kernels broken crosswise (Evenly & unevenly) naturally attached. Kernels may be deep scorched speckled, deep brown, discoloured and deep blue and black spotted. | — | 5 | 5 | 5 (DP&DSP) together) | -do- |
| DS | Dessert Splits | Kernels split naturally length-wise kernels may be deep scorched deep brown, deep blue, speckled, discoloured and black spotted. | — | 5 | 5 | 5 (DP&DSP together) | -do- |

NLG denotes : Next Lower Grade
NLSG denotes : Next Lower Size Grade

G. SPECIFICATIONS FOR ROASTED & SALTED CASHEW KERNELS

G.1 Raw Materials :

G.1.1 Cashew Kernels, which shall include scorched, unscorched whole or pieces shall be used for roasting and salting.

G.1.2 They shall be completely free from insetc infestation of any kind, fungal growth, rancidity and the presence of testa.

G.2 Preparation :

G.2.1 Roasted and Salted Cashew Kernels shall be prepared by roasting the Cashew Kernels in any of the recognised cooking media and salting, or through the dry roasting and salting process.

G.2.2 The cooking utensils used shall be of stainless steel.

G.3 Product Requirements :

G.3.1 The grade designations as stipulated in the contract between the buyer and the seller shall be allowed unless they make any misrepresentation of the facts.

G.3.2 The kernels, after the preparation through roasting and salting, on chemical analysis shall be within the acceptance levels shown below :—

1. Free fatty acid—0.4 per cent (As oleic) on the weight of extracted fat.

2. Peroxide value—2 meg/0.02 kg. of extract fact.

The method of estimation of free fatty acid and peroxide value in roasted and salted Cashiew Kernels shall be as per the method of determination given in the Appendix.

G.3.3 Preservatives and flavouring agents shall be permitted as admissible under the prevention of Food Adulteration Act, 1954.

G.4 Packing :

G.4.1 The roasted and salted Cashew Kernels shall be packed in consumer containers of the size and other requirements as may be specified by the buyer.

G.4.2 The kernels may also be foil packed if required in the contract.

G.4.3 The containers shall be new, clean and free from rusting or any kind of damage.

G.4.4 The kernels shall be packed in the containers under vacuum or in the medium of inert gas.

G.4.5 The containers shall be packed in cardboard cartons or disinfected wooden cases according to the packing requirements of the buyer.

G.4.6 Each carton or case shall be marked to show :—

(a) name of the product

(b) name of the manufacturer

(c) shipping mark

(d) net and gross weight in kgs.

G.5 Sealing :

G.5.1 Each consignment after packing shall be suitably sealed as may be specified by the Council.

APPENDIX

1. Procedure for estimation of peroxide value in Roasted and Salted Cashew Kernels—Weight 50 gms. of Cashew Kernels and powder in a Grinder.

Take the powdered material in 250 ml. stoppered conical flask and add 150 ml. of chloroform, keep the flask in shaker over night. Next day the slurry is filtered in a Buchaner flask under suction. The residue again mixed with 100 ml. of chloroform and kept in a shaker for two hours and filtered. The volume of the combined chloroform extracts is then made upto 250 ml.

10 ml. each of the extracts or suitable aliquot portion containing about 0.5 gm. fat is pipetted out into two previously dried and weighted smaller beakers (25 ml. capacity. chloroform is evaporated off by keeping the dishes on water bath. Then the dishes are transferred to a vacuum oven maintained at 70 C. Evaporation under vacuum is carried out for one hour. Dishes are taken out, cooled in a despicator and weighed. The dishes are again kept in the oven for 30 minutes, then taken out cooled and weighed. This process is repeated until the difference between the two consecutives weighings is not more than 5 mg.

Aliquot of the choloroform extract containing about 4 gm. of fat is taken in a 500 ml. stoppered conical flask and required quantity of glacial acetic acid is added to get 1 : 2 ratio of chloroform acetic acid 0.5 ml. of saturated potassium iodide solution is pipetted out into this and the solution is allowed to stand with occasional shaking for exactly 1 minute and then 50 ml. distilled water is added. Titrate this with 0.1 N. Sodium thiosulphate adding it gradually and with constant and vigorous shaking. Titration is continued until the yellow colour has almost disappeared, 0.5 ml. of 1% starch indicator is added and the titration continued until the blue colour just disappears.

NOTE :

(1) Conduct blank determination of the reagent daily Blank titration should not exceed 0.1 ml. of 0.1 N. Sodium Thiosulphate.

(2) If the colour of the solution is light yellow before the start of titration, starch indicator may be added at that stage.

(3) If the titration is less than 0.5 ml. of 0.1 N. Sodium Thiosulphate solution, repeat the determination using 0.01 N. Sodium Thiosulphate solution.

The peroxide value may be calculated as under :

Peroxide value as milli equivalents of peroxide per 1000 g of fat:

$$\frac{(A-B) \times N \times 1000}{W}$$

where A = Titration of samples
B = Blank
N = normality of thiosulphate
W = weight of fat taken for test.

2. Procedure for estimation of Free Fatty Acid.—An aliquot of the chloroform containing about 5 gm. of fat is taken in a weighed conical flask. Chloroform is evaporated off on a water bath. Traces of chloroform is removed under vacuum in the vacuum oven. Flask is weighed with chloroform free fat.

Absolute alchohol (Distilled) is neutralised with dilute sodium hydroxide solution using phenolphthalein as indicator. To the fat 50 ml. of hot, neutralised alchohol is added and the flask is shaken well. Titrate with 0.1 N. Sodium Hydroxide till a pink colour which is stable for 30 seconds appeared.

NOTE : If the titration is less tha 0.5 ml. of 0.1 N. Sodium Hydroxide solution, repeat the determination using 0.02 N. Sodium Hydroxide solution.

The free fatty acid may be calculated as under :

Free fatty acid as oleic, percentage $= \frac{A \times N \times 28.2}{W}$

Where A = ml. of the sodium hydroxide solution
N = normality of the sodium hydroxide solution and
V = Weight in gms. of fat taken for test.

ANNEXURE I

PROCEDURE FOR CONSIGNMENTWISE INSPECTION

1. Basis of inspection :—(1) Inspection of Cashew Kernels shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the specification recognised by the Central Government under Section 5 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and that the proper grade designation lebel has been affixed.

(2) Any person desiring to export cashew kernels shall prepare a consignment of cashew kernels by roastnig, peeling, drying and grading in hygienic premises so as to make the

consignment conform to any one of the recognised grade specifications.

(3) After preparing the cashew kernels in the manner specified in sub-rule (2) above, the exporter shall pack the same in new, clean, dry and leak-proof tin container conforming to I.S. 916 (latest version). Each tin shall be securely closed and sealed in such manner as may be specified by the Agency from time to time.

(4) The tin shall thereafter be marked with grade designation label and packed in corrugated fibre board cartons. The corrugated fibre board used for packing sealed tins shall be of double wall corrugated fibre board suitable for a mass content of 25 kgs. as per IS : 2771 Part I (latest version).

(5) Exporters intending to use grade designation labels shall obtain their requirements of such labels from the nearest office of the Agency.

(6) Cashew kernels of only one grade shall be packed in a carton.

2. Procedure for inspection .—(1) Any exporter intending to export Cashew Kernels shall submit an application to the Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be made out not less than seven days (15 days in the case of Roasted & Salted Cashew Kernels) before the date of commencement of loading for export.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2) the Agency shall inspect the consignment of Cashew Kernels as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfying itself that the consignment has been graded, labelled and packed in accordance with the rules referred to in rule 1.1 above. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Cashew Kernels to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in Rule 1, it shall, within seven days (15 days in the case of Roasted and Salted Cashew Kernels) of the receipt of intimation, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days (15 days in the case of Roasted and Salted Cashew Kernels) refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons therefor.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place of storage, in transit, or at the ports before its actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the Standard Specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

3. Place of Inspection.—Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provide adequate facilities exist therein for inspection.

## ANNEXURE II

## CONTROL LEVELS FOR INPROCESS QUALITY CONTROL TO BE ADDOPTED BY THE PROCESSING UNITS

Quality Control.—Only processing units, approved by the Agency shall be eligible for processing Cashew Kernels for export and submit to qualify for such approval, shall have the following minimum facilities :—

1. Feeder Units :

General : Only feeder units approved by the Agency shall process raw cashewnuts for export. In order to adjudge the sanitary and bygienic conditions with special reference to entomological aspects prevailing in the unit and assess the adequacy of the minimum facilities available to process Cashew Kernels for export, the feeder units/branch factories shall be subjected to an evaluation by the Agency. A feeder unit shall have the minimum facilities as specified below :—

1.1 Surroundings and construction :

(1) The surroundings of units, which are under the physical control of the processor, shall be such as not to pose any sanitary problems.

(2) The building shed shall be maintained satisfactorily.

(3) The Working rooms shall be maintained in good repair to prevent any risk of infestation.

1.2 Processing Areas :

(1) The rawnut godowns and the processing rooms shall be such as to permit effective anti-infestation, and dis-infestation operation.

(2) Arrangements shall be available to prevent entry of rodents, birds and the like into the processing room.

(3) All the working areas shall be well lighted.

(4) Areas or compartments and the containers used for the storage of edible products shall be separated and distinct from those used for inedible materials.

(5) All the utensile, trays and table surface which come into contact with the material shall be cleaned before, after and during intervals of use as often as necessary.

1.3 Toilet Facility :

Adequate toilet facilities as required under the law shall be provided in the unit, Soap, plentiful supply of water shall be provided at the toilet.

1.4 Personnel health and hygiene :

(1) Plant management shall take care to ensure that no person while known to be affected with a communicable disease is permitted to work in any area of the unit.

(2) All persons working in the processing areas shall maintain a high degree of personal cleanliness while on duty.

(3) The workers shall wash their hands before entering the processing room after each absence.

(4) Chewing, spitting and use of tobacco in any form shall be prohibited in the processing rooms.

1.5 Transportation facilities :

It shall be ensured that pre-processed and finished products are transported to the packing centres only in polythene lam'nated/non-rusting metalic containers.

1.6 Procedure of inspection :

(1) For the purpose of assessment of feeder units, the exporter shall inform the Agency in writing, in the proforma prescribed by the Council, the details of the feeder units.

(2) On receipt of such information, the Agency Officers shall visit the feeder units in order to adjudge the sanitary and hygienic conditions and facilities for processing available in the unit.

(3) If the unit is found to have the minimum facilities as specified in these rules and the hygienic and sanitary conditions are satisfactory and no infestation problems noticed, the Agency shall approve the unit and permit it to carry out processing of Cashew Kernels for export.

(4) If the unit is found not to have the minimum sanitary and hygienic conditions, the processor shall not be allowed to process Cashew Kernels for export in that unit.

(5) A unit which is not approved or whose approval has been withdrawn may after rectifying the defects, make fresh application to the Agency for getting fresh approval.

(6) If, at any time, there is any difficulty in maintaining, the conformity of the product to the specifications for any reason or is so directed by the Agency, Production for export shall be suspended under intimation to the Agency provided, however, that the Agency shall give a notice period of 2 months for rectification of defects.

(7) The processing for export shall be resumed only after the same is approved by the Agency in writing.

(8) The processing operations such as roasting, drying, peeling, grading, storage etc, shall be carried out in hygienic conditions under the supervision of experienced personnel of the unit.

(9) The processing operations shall be subjected to check by the Agency officers as often as found necessary.

1.7 Processing :

It shall be ensured that necessary anti-infestation and dis-infestation measured are carried out periodically and as and when suggested by the Agency Officers.

2.0 Packing Centre :

General : Only packing centres approved by the Agency shall be eligible for packing Cashew Kernels for export.

2.1 Such approved packing centres shall obtain kernals for packing for export from approved feeder units only. A packing centre to qualify for approval shall have minimum facilities as specified below :

2.2 Surroundings, constructions and layout :

(1) The buildings shall be of permanent|semi-permanent construction and kept in good repair.

(2) The surroundings which are under the physical control of the processor shall not have any swamps. dumps or animal housing nearby which might pose any sanitary problems.

(3) The working premises shall be kept in good repair to prevent any risk of infestation.

2.3 Processing areas :

(1) Measures shall be adopted to protect against entry of insects rodents, birds and the like into the processing rooms.

(2) All the working areas shall be well lighted.

(3) Areas or compartments used for the storage of edible products shall be separate and distinct from those used for inedible materials.

(4) Waste material shall be frequently removed from the working areas during processing operations.

(5) All the utensils, trays and table surface which come in contact with Cashew Kernels shall be cleaned before, after and during intervals of use as often as necessary.

(6) All small receptables like trays, bowls and utensils used in filling areas shall be of non-corrodible materials other than wood, and shall also have smooth surface from crevices.

(7) Rejected materials shall be frequently removed from the working areas during processing operations.

(8) Hand washing facility such as wash basin and soap shall be provided at the entrance to the packing| filling section.

2.4 Machinery :

(1) The packing centre shall have a vitapack equipment in good working condition capable of drawing a vacuum of 26″ Hg. the vitapack shall be fitted with a gauge to indicate the vacuum drawn from the tins during vacuumisation.

(2) The packing centre shall be provided with a pneumatic foreign matter Segregator (PFMS) in the filling section to segregate any foreign matter that may be present with the kernels. The entire filling operations of Cashew Kernels shall be done only through PFMS.

(3) The packing centre shall have necessary cooling facilities for conditioning the kernels, maintained under hygienic conditions.

2.5 Toilet Facility :

(1) Adequate toilet facilities of sanitary type shall be provided. Soap and plentiful supply of water shall be provided at the toilets.

2.6 Personal Health and Hygiene :

(1) Plant management shall take care to ensure that no person while known to be affected with a communicable disease is permitted to work in any area of the unit.

(2) All persons working in the processing area shall maintain a high degree of personal cleanliness while on duty.

(3) The workers shall wash their hands before entering the processing rooms after each absence.

(4) Chewing, spitting and use of tobacco in any form shall be prohibited in the processing rooms.

(5) Lunch boxes shall not be kept in the processing rooms.

(6) The management shall provide clean aprons and head gears to the employees working in the filling and packing section.

2.7 Approval of packing centre :

(1) A processor intending to pack Cashew Kernels for export shall inform his intention to do so in writing, in the proforma prescribed by the Agency in this behalf.

(2) On receipt of such information, the Agency officers shall visit the packing unit in order to adjudge the facilities for processing available in the unit.

(3) If the unit is found to have the minimum prescribed facilities, the unit shall be approved to pack Cashew Kernels for export.

(4) If the unit is found not to have the minimum prescribed facilities the unit shall not be approved to pack Cashew Kernels for export.

(5) The approval so accorded shall be withdrawn in respect of a unit for the following reasons, after giving a notice of minimum period of two months:—

(i) If the equipments and machinery are not in good working condition;

(ii) If the sanitary and hygienic conditions of the unit are not satisfactory ;

(iii) If the sanitary and hygienic conditions of the feeder unit are not satisfactory and cases of infestation have been reported in the entomological survey by the Agency officers.

(iv) If the processor has violated or deliberately attempted to violate the provisions of the rules issued by the Council.

(6) Such withdrawal of approval shall be intimated in writing to the processor.

(7) No vitapacking work shall be undertaken in the unit, when the vitapack machine is not in the prescribed working condition.

(8) A unit whose approval has been withdrawn, may, after rectifying the defects, make a fresh application to the Agency for obtaining fresh approval.

(9) If at any time, there is any difficulty for a unit in maintaining the conformity to the requirements for any reasons or if directed by the Agency, production for export shall be suspended under intimation to the Agency.

(10) The processing for export shall be resumed only after the same is approved by the Agency in writing :—

2.8 Filling and Packing of Cashew Kernels.—(1) An exporter intending to pack Cashew Kernels for export shall after preparing the Cashew Kernels in the behalf specified in these rules exercising the levels of in-process quality control measures shall pack the same in new, clean, dry and leak-proof tin containers conforming to IS:916 (Latest version). Each tin shall be securely closed and sealed in such manner as may be specified by the Agency from time to time.

(2) The tins shall thereafter, be marked with grade designation labels and packed in corrugated fibre board cartons. The corrugated fibre board used for packing sealed tins shall be of double wall corrugated fibre board suitable for a mass content of 25 kg. as per IS:2771 Part-I (Latest version).

(3) Exporters intending to use grade designation labels shall obtain their requirements of such labels from the nearest office of the Agency.

(4) Cashew Kernels of only one grade shall be packed in a carton.

3. Composite Unit.—(1) A composite Cashew factory have facilities for both processing and packing of facilities of the feeder unit and the packing centre to be eligible for approval. For such units a composite approval will be sufficient.

4. Maintenance of records.—(1) Necessary records/registers shall be maintained by the processor at the respective premises in order to ensure effective control of the processing of Cashew Kernels and these shall be made available to the Agency officers for inspection as and when required.

5. Procedure of inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of Cashew Kernels shall give intimation to the Agency in writing in the proforma prescribed in this behalf and submit along with such intimation a declaration to the effect that the consignments of Cashew Kernels have been processed adopting the levels of in-process quality control measures as prescribed by the Agency in this regard.

(2) Such intimation shall reach the Agency office not less than five working days (10 days in the case of Roasted and Salted Cashew Kernels) prior to the required date of receipt of certificate for shipment.

(3) On receipt of such intimation, the Agency shall normally draw check samples as required, and if the Agency is satisfied that the consignment to be exported complies with the specified standards, it shall issue a certificate to the exporter declaring the consignment exportworthy.

(4) When the Agency is not so satisfied, it shall refuse to issue such certificate and communicate such refusal in writing to the exporter alongwith the reasons therefor.

(5) For the purpose of inspection, the Agency Officer shall have access to relevant records and premises where processing, packing and storage of Cashew Kernels are carried out.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place of storage, while in transit or at the ports before its actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

[F. No. 6(9)/83-EI & EP]
C. B. KUKRETI, Jt. Director

FOOT-NOTE :

S.O. 1022 & 1023 dated 26-3-1966.

S.O. 275 dated 28-1-1978.

(मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात का कार्यालय)

(विविध लाइसेंसिंग अनुभाग)

नई दिल्ली 18 जून 1985

का. आ. 3092.—मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि., राय बरेली 220010 को एक नग मिनोलटा ई पी 530 आर प्लेन पेपर कोपियर उसके अतिरिक्त पुर्जों एवं उपभोज्यों सहित के आयात के लिए 48765 रुपए मूल्य का जारी किए जाने की तिथि से 12 माह की वैधता के लिए एक आयात लाइसेंस सं. जी/आई एफ/1093614/सी/ए क्स एक्स/91/एच/83/एम. एल. एस. दिनांक 12-4-1984 प्रदान किया गया था। अब पार्टी ने उक्त आयात लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि उनसे लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति गुम हो गई है। लाइसेंसधारी ने अपेक्षित शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उक्त आयात लाइसेंस किसी भी सीमा शुल्क सदन में पंजीकृत नहीं किया गया था और उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था और उस पर 48765 रु. का उपयोग करना बाकी था। शपथ पत्र में एक घोषणा इस संबंध में भी की गई है कि यदि उक्त आयात लाइसेंस सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति बाद में मिल जाती है या ढूंढ ली जाती है तो वह जारी करने वाले प्राधिकारी को लौटा दी जाएगी। इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि आयात लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है, अधोहस्ताक्षरी निदेश देते हैं कि आवेदक को लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रदान की जाए। आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 की उपधारा (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन की मूल प्रति को रद्द करता हूं।

[फाइल सं. 12/546/83-84/एम. एल. एस./ 392]
एन. एस. कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात एव निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

(M.L. Section)

New Delhi, the 18th June, 1985

S.O. 3092.—M/s. Indian Telephone Industries Ltd., Rae Bareli-220010 were granted an Import Licence No. G/F/1093614/C/XX/91|H|83|MLS dated 12-4-1984 for import of One No. Minolta EP-530R Plain Paper Copier with spares and consumables, valued at Rs. 48,765 with a validity of

12 monhts from the date of issue. Now the party have applied for grant of a Duplicate Customs Purpose Copy of the aforesaid Import Licence on the ground that Customs Purpose Copy of the licence has been lost by them. The licence has furnished necessary affidavit according to which the aforesaid import licence was not registered with any Customs House and was not utilised at all und the balance against the licence is Rs. 48,765. A declaration has also been incorporated in the affidavit to the effect that if the said Customs Purpose Copy of the Import Licence is traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. On being satisfied that the original Customs Purpose Copy of the Import Licence has been lost, the undersigned directs that a Duplicate Customs Purpose Copy of the licence should be issued to the applicant. I also in exercise of the powers conferred in Sub-clause (d) of Clause 9 of the Imports (Control) Order 1955, hereby cancel the original Customs Purpose Copy of the above licence

[File No. 12/546/83-84/MLS/392]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
For Chief Controller of Imports & Exports

नई दिल्ली 25 जून, 1985

आदेश

सा. आ. 3093 मसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि. सेन्चूरी भवन, डा. एनी बेसेंट रोड, बम्बई-25 को, आई सी आई सी आई द्वारा स्वीकृत विदेशी मुद्रा ऋण के अंतर्गत पश्चिमी जर्मनी/ स्विटरजरलैंड से केलिसनर और ड्राई स्क्रूबिंग सिस्टम के लिये संलग्न सूची के अनुसार पूंजीगत माल का आयात करने के लिये 1,09,56,100 रुपये (डी एम 613005, स्विस फ्रैंक 5,59,850 और डी. के. आर. 5347650) लागत बीमा भाड़ा मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं. पी/ सीजी/ 2097293 दिनांक 20.12.84 जारी किया गया था।

2. अब फर्म ने उपयुक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकरण के साथ पंजीकृत कराये बिना तथा बिलकुल भी उपयोग में लाए बिना ही रास्ते में खो गई है। अब अनुलिपि की आवश्यकता पूर्ण मूल्य अर्थात 1,09,56,100 रुपये की कुल धनराशि के लिये है। फर्म इस बात से सहमत है और यह वचन देती है कि यदि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति बाद में मिल जायेगी तो वह इस कार्यालय को रिकार्ड के लिये लौटा दी जाएगी।

3. अपने दावे के समर्थन में, फर्म ने आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1985-88 के अध्याय-2 के पैरा 85 में यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं. पी/सीं/जी/2097293 दिनांक 20.12.84 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है तथा निदेश देते हैं कि आयात लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति फर्म को जारी की जाए। आयात लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द कर दी गई है।

4. आयात लाइसेंस (सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति) की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[फाइल सं. सी. जी. /4/1341/2/83-84]

पाल बेक

उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

ORDER

New Delhi, the 25th June, 1985

S.O. 3093.—M/s. Hindustan Aluminium Corporation Ltd., Century Bhawan, Dr. Annie Besant Road, Bombay-25 were granted an import-licence No. P/CG/2097293 dt. 20-12-84 for import of capital goods for Calciner and Dry Scrubbing system as per list attached for c.i.f. value of Rs. 1,09,56,100 (DM 613005 Sw. Fr. 559850 and DKR 5347650) from West Germany/Switzerland under foreign exchange loan sanctioned by ICICI.

2. The firm has now requested for the issue of duplicate Customs purposes copy of above import licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been lost in transit without having been registered with any Customs Authority and not utilised at all. The total amount for which duplicate is now required is cover the full value of Rs. 1,09,56,100. The firm agrees and undertakes to return the original Customs Purposes copy of import licence, if traced later to this office for record.

3. In support of their contention the firm have filed an affidavit as required in Para 85 of Chapter II of Hand Book of Import-Export Procedures, 1985-88. The undersigned is satisfied that original Customs Purposes copy of import licence No. P/CG/2097293 dt. 20-12-84 has been lost and directs that duplicate copy of Customs Purposes copy of import licence may be issued to the firm. The original Customs Purposes copy of import licence has been cancelled.

4. The duplicate copy of import licence (Customs Purposes Copy) is being issued separately.

[F. No. C. G. IV/1341/2/83-84]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports

---

## विदेश मंत्रालय

(हज सैल)

नई दिल्ली, 14 जून, 1985

का. आ. 3094.—हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 की संख्या 51) के खंड 6 के उप-खंड (1) (4) और (5) के अनुसरण में, 27 मई, 1985 की आयोजित हज समिति, बम्बई में, श्री मोहम्मद अमीन खंडवानी को अध्यक्ष और सर्वश्री रऊफ वली-उल्लाह, संसद सदस्य और शौकत रहमान करैशी, विधान सभा सदस्य को उपाध्यक्ष चुना गया है जिसे इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

[सं. एम/हज/118-1/8/85]

आरिफ कमरैन, संयुक्त सचिव (अफ्रीका/हज)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Haj Cell)

New Delhi, the 14th June 1985

S.O. 3094.—In pursuance of sub-section (1), (4) and (5) of Section 6 of the Haj Committee Act, 1959 (No. 51 of 1959), the election of Shri Mohd. Amin Khandwani as Chairman and S/Shri Raoof Vali-ullah, M.P. and Shaukat Rehman Quarashi, M.L.A. as Vice-Chairmen of the Haj Committee, Bombay at its meeting held on 27th May, 1985 is hereby notified.

[M(Haj) 118-1/8/85]

ARIF QAMARAIN, Jt. Secy. (Africa/Haj)

## पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जून, 1985

का. आ. 3095.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. एन. ए. ए. से एस. एम. सी. टीएफ हीडर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिय पाइपलाइन तेल तथा प्राकृति गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिय एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप-लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसि विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. एन. ए. ए. से एस. एम सी. टी. एफ. हीडर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका :— मेहसाना

| गांव | ब्लाक नं. | हेक्टेयर | आर. | सेन्टीयर |
|---|---|---|---|---|
| कसलपुरा | 858 | 0 | 03 | 0 |
| | 857 | 0 | 08 | 90 |
| | 809 | 0 | 15 | 70 |
| | 808 | 0 | 16 | 60 |
| | 805 | 0 | 12 | 70 |

[सं. 0—12016/79/85ओ एन जी—डी 4]

पी. के. राजगोपालन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 14th June, 1985

S.O. 3095.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNAA to S.S. CTF Header in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Sectiin 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notication, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance. Division Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From SNAA to S.S. CTF Header

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

| Village | Block No. | Hectare | Are | Centiare |
|---|---|---|---|---|
| KASALPURA | 858 | 0 | 03 | 60 |
| | 857 | 0 | 08 | 90 |
| | 809 | 0 | 15 | 70 |
| | 808 | 0 | 16 | 60 |
| | 805 | 0 | 12 | 70 |

[No. O—12016/79/85 ONG—D 4]

P.K. RAJAGOPAAN, Desk officer

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जून, 1985

का.आ. 3096.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) खंड (ख) के अनुसरण में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के सिनेट ने डा. बलवंत सिंह तुंग को 28 मार्च, 1985 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का. आ. 138 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :—

उक्त अधिनियम में "धारा-3 की उपधारा (4) (ख) अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात, :—

"45. डा. बलवन्त सिंह तुंग,
डीन, फैकल्टी आफ मेडिकल साइंसेज,
(प्रिंसिपल मैडिकल कालेज, अमृतसर)"।

[सं.वी. 11013/8/85—एम.ई. (पी.)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th June, 1985

S.O. 3095.—Whereas in pursuance of the provision of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. Balwant Singh Tung, has been elected by the Senate of Guru Nanak Dev University, Amritsar to be a member of the Medical Council of India with effect from the 28th March, 1985.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (i) of section 3, read with sub-section (4) of section 7, of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the late Ministry of Health No. S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely:—

In the said Notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" for serial number 45 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be submitted namely:—

"45 Dr. Balwant Singh Tung,

Dean, Faculty of Medical Sciences,

(Principal, Medical College, Amritsar)".

[No. V. 11013|8|85-ME(P)]

का. आ. 3096 :– भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 14 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा निर्देश देती है कि परपेचुअल हैल्प कालेज आफ मेडिसिन, फिलीपाइन्स द्वारा प्रदत्त "एम. डी." चिकित्सा अर्हता उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी ।

[सं. वी. 11016/6/85—एम. ई. (पी.)]

S.O. 3096.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consultation with the Medical Council of India, hereby directs that the medical qualification "M.D." granted by Perpetual Help College of Medicine, Philippines, shall be a recognised medical qualification for the purposes of that Act.

[No. V. 11016|6|85-ME(P)]

आदेश

का. आ. 3097 :–यतः भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 23 जुलाई, 1962 की अधिसूचना संख्या एफ. 16-5/62 एम. आई. सी. (एस. ओ. 579) के द्वारा केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि जार्ज टाऊन यूनिवर्सिटी स्कूल आफ मेडिसिन, अमेरिका, वाशिंगटन द्वारा प्रदत्त डाक्टर आफ मेडिसिन, चिकित्सा अर्हता, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता है ;

और यतः डा० ऐलीन नीडफील्ड जो उक्त अर्हता रखते हैं, वह फिलहाल धमार्थ कार्य के लिए होली फेमिली हास्पिटल, मन्दार, डाकघर रांची (बिहार) से सम्बद्ध रहेंगे ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के खंड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करती है कि :—

(1) 31 दिसम्बर, 1986 तक, अथवा

(2) वह अवधि जिसके दौरान डा० ऐलीन नीडफील्ड उक्त होली फेमिली हास्पिटल मन्दार, डाकघर रांची, बिहार से सम्बद्ध रहते हैं, जो भी थोड़ी हो, वह अवधि होगी जब तक उक्त डाक्टर की मेडिकल प्रेक्टिस सीमित होगी ।

[सं. वी. 11016/4/84—एम. ई. (पी.)]

ORDER

S.O. 3097.—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Health No. F. 16-5/62-MI (S.O. 579) dated the 23rd July, 1962 the Central Government has directed that the medical qualification, M.D. awarded by the Georgetown University School of Medicine, United States of America, Washington, shall be recognised medical qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) ;

And whereas Dr. Eileen Niedfield, who possesses the said qualification is for the time-being attached to the Holy Family Hospital, Mandar P.O. Ranchi (Bihar) for the purposes of Charitable work.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the priviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period upto the 31st December, 1986, or

(ii) the period during which Dr. Eileen Niedfield is attached to the said Holy Family Hospital, Mandar, P.O. Ranchi (Bihar) whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V-11016/4/84-M.E. (P)]

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 1985

का. आ. 3098 :–यतः भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 27 मार्च, 1962 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 1016 के द्वारा केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि वलेंशिया विश्व विद्यालय, (स्पेन) द्वारा प्रदत्त लाईसेंशिआडो एन मेडिसिना सिरजियल चिकित्सा अर्हता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता है ;

और यतः डा. ऐंजिलेस ऐसिल्ला बिजकारा जो उक्त अर्हता रखते हैं, वह फिलहाल धमार्थ कार्य के लिये नजारेथ अस्पताल कैटूमखराह, शिलांग से सम्बद्ध रहेंगे ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के खंड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करती है कि :

(1) 30 अप्रैल, 1986 तक की अवधि के लिये, अथवा

(2) वह अवधि जिसके दौरान डा. ऐंजिलेस एसिल्ला बिजकारा उक्त नजारेथ अस्पताल, कैटूमखराह, शिलांग से सम्बद्ध रहते है जो भी थोड़ी हो, वह अवधि होगी जब तक उक्त डाक्टर की मेडिकल प्रैक्टिस सीमित होगी ।

[सं. वी. 11016/13/84– एम. ई (पी)]

चन्द्र भान, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th June, 1985

S.O. 3098.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. S.O. 1016 dated the 27th March, 1962, the Central Government has directed that the medical qualification, Licenciado en Medicina Cirgial, granted by the University of Valencia (Spain) shall be recognised medical qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Angeles Ercilla Vizcarra who possesses the said qualification is for the time being attached to the Nazareth Hospital, Laitumkhrah, Shillong for the purposes of cheritable work.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies :—

(i) a period up to the 30th April, 1986, or

(ii) the period during which Dr. Angeles Ercilla Vizcarra is attached to the said Nazareth Hospital, Laitumkhrah, Shillong, whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V.-11016/13/84-ME(P)]

CHANDER BHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जून, 1985

का. आ. 3099 केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद से परामर्श करने के बाद उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है ; अर्थात:—

दूसरी अनुसूची में "पश्चिम बंगाल" शीर्ष के अंतर्गत क्रम सं. 28 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं; अर्थात:—

| विश्वविद्यालय बोर्ड या चिकित्सा संस्था का नाम | मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता | रजिस्ट्रेशन के लिए संक्षेपाक्षर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "29. होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद, पश्चिम बंगाल | बैचलर आफ मेडिसिन एंड बैचलर आफ सर्जरी | एम.बी.एच. (आनर्स) | 1972 से 1975" |

[सं. वी. 27021/14/85- होम्योपैथी]

के. वेणुगोपाल, उप-सचिव

New Delhi, the 21 June, 1985

S.O. 3099—In exercise of the powers conferred by sub-section(2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the Second Schedule, under the heading "West Bengal" after serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| Name of University Board or Medical Institution | Recognised medical qualification | Abbreviation for registration | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29. The Council of Homoeopathic Medicine, West Bengal. | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | M.B.S. (Hom) | From 1972 to 1975." |

[No. V.27021/14/85-Homoeo']

k. Venu gopal Dy. Secy.

**कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय**

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून, 1985

का. आ. 1300.—इस विभाग की तारीख 19 नवम्बर, 1984 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में तथा पशु आयात अधिनियम, 1898 (1898 का अधिनियम 9) के खंड 3 उपखंड (1) जिसका पशु आयात (संशोधन अधिनियम, 1953 का अधिनियम 1) द्वारा संशोधन किया गया था, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छः महीने की अवधि के लिए यु. के., आयरलैण्ड, अमरीका, फ्रांस, आस्ट्रलिया, जर्मन संघीय गणराज्य, बैलजियम, जापान, इटली, आस्ट्रीया, डेनमार्क, ब्राजील, स्वीडन, यूगोस्वलाविया, चैकोस्लोविकिया अथवा किसी अन्य देश से जिसका भारत, में आयात किए जाने वाला अश्वजातीय स्टाक (केवल 5 वर्ष की आयु वाले वछड़ों और सांडों तथा 4 वर्ष की आयु वाले अश्वशावकों (फोलीज), जिनका कभी मेल नहीं कराया गया है और जो प्रजनक स्टाक के सम्पर्क में नहीं रहे हैं, को छोड़कर) ऊपर निर्दिष्ट देशों में पैदा हुआ हो, अथवा पाला गया हो अथवा वे आयात किए जाने से शीघ्र पहले गत 12 महीनों के दौरान उन देशों में ले जाए गये हों, अश्वजातीय पशुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाती है, बशर्ते कि

(क) अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अतिरिक्त युवा अश्वजातीय पशुओं के साथ प्राधिकृत पशु चिकित्सक का इस आशय का पशु चिकित्सा संबंधी एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हो कि पशुगत एक वर्ष के दौरान प्रजनक स्टाक के सम्पर्क में नहीं रहा है और इन पशुओं के विगच्छद तथा मुखद्वार (योनि और सरविक्स) से एकत्र की गई फुरेरी मानक संबंधनिक और सीरम संबंधी पद्धतियों द्वारा व्याधि विषयक सूक्ष्म अणुओं, विशेषकर होमोफिलियस इक्वी-वीजेनीटैलिस के लिए निर्यात हेतु पोत रोहण से पूर्व 30 दिनों के अन्दर निरन्तर तीन परीक्षण कराने के लिए पर नकारात्मक पाई गई है।

(ख) भारत में प्राप्त किए जाने पर आयातित पशुओं को सरकारी संगरोध केन्द्र अथवा कृषि मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत परिसर में 30 दिन तक अलग रखा जाएगा। संगरोध की अवधि के दौरान आयातित अश्व-जातीय पशुओं का दो मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में साप्ताहिक अंतराल पर निरन्तर तीन बार जीवाणु और सीरम संबंधी संवैधानिक जांच की जाएगी और संक्रामक अश्वजातीय मैट्रिईटिस (कान्टेजियेस इक्वाईज मैट्रइटिस) रोग के लिए नकारात्मक घोषित किए जाने के बाद ही इन पशुओं को अन्य पशुओं के साथ मिलने दिया जायेगा।

[सं. 50-22/77-एल.डी.टी. (एल.एच.-एक्यू) खण्ड-2]

डी. डी. नाहर, अवर सचिव (पशुपालन)

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

(Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 19th June, 1985

S.O. 3100.—In continuation of this Departments' Notification of even number dated 19 November, 1984 and in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (Act 9 of 1898), as amended by the Livestock Importation (Amendment) Act, 1953 (Act 1 of 1953), the Government of India hereby prohib t for a period of six months from the date of issue of this notification the import into India of equine species of animals from the United Kingdom Ireland, the United States of America, France, Australia, the Federal Republic of Germany, Belgium, Japan Italy, Austria, Denmark, Brazil, Yugoslovia Czechoslogakia and Sweden or from any other country whose equine stock meant for import into India had originated from or been reared in or visited any of the above specified countries during the immediate past twelve months pr or to importation except colts and stallions upto five years and fillies up to 4 years of age which have never been mated and have not been in contact with the breeding stock, provided that :

(a) In addition to the health requirements specified under the Act, the young equines are accompanied by a Veterinary Health Certificate from an authorised veterinarion that the animals have not been in contact with the breeding stock during the last one year and that the swabs collected from produce Urethra/Vagina Cervix of these animals were found negative for pathogenic micro-organisms specifically Haemophilus equigenitalis, by standad culture and serological methods on three consequtive testing during the 30th days immediately prior to embarkation for export.

(b) On receipt in India such imported animals are kept in quarantine for a minimum period of 30 days at the Government Quarantine Station or the premises specially approved by the Ministry of Agriculture for that purpose. During this quarantine period the imported equines shall be subjected to bacteriological and serological examinations by two recognised laboratories each, on three consequtive occasions, conducted at weekly intervals and shall be permitted to mix with other stock only when declared negative for conteglous equine metritis infection,

[No. 50—22/77- LDT (LHAQ) Part II]

D. D. NAHAR, Under Secy.

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 1985

**शुद्धिपत्र**

का. आ. 3101—भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7 अप्रैल, 1984 के पृष्ठ 1030 से 1031 पर प्रकाशित का. आ. 1156, मिश्रित हींगे श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1984 में :—

1. पृष्ठ संख्यांक 1030 पर :—(क) का. आ. 1156 के ऊपर "ग्रामीण विकास मंत्रालय" नई दिल्ली, तारीख 20-3-1984" पढ़ें।

(ख) अधिसूचना के प्रथम पैरा की पांचवीं पंक्ति में, "भाग III" के स्थान पर "भाग I" तथा नवम् पंक्ति में "प्रकाशनी" के स्थान पर "प्रकाशन" को पढ़ें।

(ग) अधिसूचना के दूसरे पैरा में, "ली" के स्थान पर "दी" पढ़ें।

(घ) अधिसूचना के चौथे पैरा में, "प्रदत्त" के स्थान पर "प्रदत्त" पढ़ें।

(ङ) नियम 2 में "अभ्यर्थी अपेक्षि" के स्थान पर "अन्यथा अपेक्षित न" पढ़ें।

(च) नियम 2 के उपनियम (2) में, "संलग्नन" के स्थान पर "संलग्न" पढ़ें।

(छ) नियम 3 में "अभियान" के स्थान पर "अभिधान" पढ़ें।

(ज) नियम 4 में "त्येक" के स्थान पर "प्रत्येक" तथा "अभियान" के स्थान पर "अभिधान" पढ़े।

(झ) नियम 5 (1) में, "अभियान" के स्थान पर "अभिधान", "लेवल" के स्थान पर "लेबल", "Indi" के स्थान पर "India" तथा "अनुसूची II में उपवर्गित विटन के सदश्य" के स्थान पर "अनुसूची II में उपवर्गित चिहन के सदृश्य" पढ़े।

(ट) नियम 5(2) में, "ठक्कन" के स्थान पर "ढक्कन" तथा "श्रेणो" के स्थान पर "श्रेणी" पढ़ें।

(ठ) नियम 5(3) मे, "बीन्ट्विस" के स्थान पर "बी: टिवल" तथा "बोधा" के स्थान पर "बाधा" पढ़ें।

(ड) नियम 6 में "मिश्रित" के पूर्व "(I)" "बी टि्लिव" के स्थान पर "बी-टिविल" तथा "एक एक कि ग्रा." के स्थान पर "एक कि. ग्रा." पढ़ें।

(ढ) नियम 7(2) में "आधार" के स्थान पर "आधान" तथा "बोधा" के स्थान पर "बाधा" पढ़ें।

(ञ) नियम 7(4) में, "प्रत्येक आधान पर मिश्रिग में प्रयुक्त खाने योग्य स्टाव या खाने योग्य अनाज का आटा भी उपदर्शित होगा" के स्थान पर "प्रत्येक आधान पर सम्मिश्रण में प्रयुक्त खाने योग्य स्टार्च या खाने योग्य अनाज के आटे का लगभग मिश्रण भी उपदर्शित होगा" पढ़ें।

(त) नियम 7 (5) की पहली पंक्ति में "अनुमोदन" के स्थान पर "अनुमोदन" पढ़ें ।

2. पृष्ठ सं. 1031 पर :— (क) अनुसूची— I के स्तम्भ 6 के अंतर्गत मद (2) में "कोलोफोनी राल" "अमोनिया राल" "किसी अन्य बाहय राल" के स्थान पर "कोलोफोनी राल" "आमोनिया की राल" "किसी अन्य बाहय राल" तथा "बाहया" के स्थान पर "बाहय" पढ़ें ।

(ख) अनुसूची — I के नीचे टिप्पण में "भा. भा." के स्थान पर "भा. मा." पढ़ें ।

(ग) अनुसूची II में भारत मानचित्र के बाहर आने वाले तमिल और तलुगु शब्दों को हटा दिया जाएगा ।

[सं. 11-2/81- ए एम]

बी. के. बजाज, अवर सचिव

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 18th June, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 3101.—In the Compounded Asafoetida Grading and Marking Rules. 1984 published with the Notification of the Government of India No. S.O. 1156, in the Gazette of India, part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 7th April, 1984 at pages 1032 to 1033,—

1. At page number 1032,—

(a) Before the preamble, insert.
"Ministry of Rural Development,
New Delhi, the 20th March 1984";

(b) in paragraph 3 of the preamble, for "cossidered" read "considered";

(c) in rule 1, in heading for "commencementn" read "commencement";

(d) in rule 5, in sub rule (1), for " उसाद् "read उत्पाद

(e) in rule 6, in sub-rule (1), in first line for "shall" read "shall be";

(f) in rule 7, after sub rule (2) (g) for "(g) any other particular as may be specified by the dicated on each container" read "(3). The sale price of the commodity shall clearly be indicated on each container";

(g) in rule 7, in sub-rule (5), (i) in second line, (a) for 'mnner' read 'manner'; (b) for 'Agriculturl' read 'Agricultural';

(ii) in fifth line, for "quality of" read "quality or" and for "the" read 'that';

(h) in Schedule I,—

(a) the serial number 2 of columns shall be omitted and serial numbers 3 to 7 shall be renumbered as serial number 2 to 6 respectively;

(b) in heading of column 2, so renumbered, for "weight per cent" read "weight";

(c) in heading of column 3, so renumbered, for "HCL" read "HC 1 per cent";

(d) in heading of column 4 so renumbered, for "(maximum)" read "(manimum)";

(e) in column 4 so renumbered, for "3.0" read "5.0".

2. At page number 1033,—

(a) in item (2), for "'ammonicacum' read "'ammoniacum";

(b) footnote for 'IS : 7807 1975' read 'IS : 7807-1975';

(c) after footnote, read

"Schedule-II

(See rule 5)

Design of the grade designation mark";

(d) in Schedule II Tamil and Telugu words shall be omitted.

[No. 11-2/81-AM]

B. K. BAJAJ, Under Secy.

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

नई दिल्ली, 24 जुन, 1985

का. आ. 3102—केन्द्रीय सरकार, यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित लोक सभा के सदस्यों की सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाने पर, लोक सभा ने, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, लोक सभा के निम्नलिखित चार सदस्यों को, 12 अप्रैल, 1985 को, अधिनियम में उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित किया है :—

1. श्री एस. अदायकलराज
2. श्री आर. पी. दास
3. श्री श्रीनिवास प्रसाद
4. श्री भोला राउत

[फा. सं. 25012/11/82-रेशम जिल्द III]

MINISTRY OF SUPPLY AND TEXTILES

(Department of Textiles)

New Delhi, the 24th June, 1985

S.O. 3102.—The Central Government hereby notify that the Members of Lok Sabha nominated as members of Central Silk Board having expired, the Lok Sabha has, in pursuance of clause (c) of sub-section (3) of section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), duly elected the following four Members of Lok Sabha, on 12th April, 1985 to serve as members of the Central Silk Board for a period of three years subject to the provisions of Act :—

1. Shri L. Adaikalaraj
2. Shri R. P. Das
3. Shri V. Sreenivasa Prasad
4. Shri Bhola Raut.

[F. No. 25012/11/82-Silk Vol. III]

नई दिल्ली, 27 जून, 1985

का.आ. 3103—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों का बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर का अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

| अधिकारी का पदनाम | सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं |
|---|---|
| 1. सहायक सचिव, (प्रशासन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, 39, एम. जी. रोड, बंगलौर--560001 | ऐसे परिसर जिनमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर की बंगलोर में या उसके द्वारा पट्टे पर ली गई या उसके स्वामी स्वाधीन भूमि और भवन समाविष्ट है जिसमें स्टाफ क्वार्टर शामिल हैं । |

[फा. सं. 25017/4/84-रेशम]

ब्रह्म दत्त, संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा)

New Delhi, the 27th June, 1985.

S.O. 3103.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupation) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below being the Officers of equivalent to the rank of gazetted officer of Government to be estate officers for the purpose of the said Act and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of their jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

| Designation of the Officer | Categories of the public premises and local limits of jurisdiction |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1. Assistant Secretary, (Administration), Central Silk Board, 39, M.G. Road, Bangalore-560001. | Premises constituting of land and buildings including Staff Quarters belonging to or taken on lease or requisitioned or owned or otherwise possessed by Central Silk Board, Bangalore in Bangalore. |

[F. No. 25017/4/84-Silk]

BRAHM DUTT, Joint Development Commissioner (Handlooms)

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 18 जून, 1985

का. आ. 3104.—नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम 1960 के नियम 4 के साथ पठित वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 15 की उप-धारा (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संयुक्त सचिव श्री वी०के० सिबल को तत्काल, नौवहन विकास निधि समिति का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और संचार मंत्रालय के परिवहन विभाग (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का. आ. 625 दिनांक 17 मार्च, 1954 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 6 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात :—

"7. श्री वी. के. सिबल, संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली" ।

[फा. सं.एस.डब्ल्यू./एम.एस.डी.-20/081-एम.डी.]

ए. एस. लाम्बा, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 18th June, 1985

S.O. 3104.—In exercise of the powers conferred by Subsection (1) of Section 15 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with rule 4 of the Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1960, the Central Government hereby appoints Shri V. K. Sibal, Joint Secretary, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) as a member of the Shipping Development Fund Committee with immediate effect and made the following further amendments in the Notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communication, Department of Transport (Transport Wing) No. S.O. 628, dated 17th March, 1959, namely :—

In the said Notification, after serial No. 6 and entries relating thereto, the following entry shall be substituted, namely :—

"7. Shri V. K. Sibal, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, New Delhi".

[F. No. SW|MSD-20|081-MD]

A. S. LAMBA, Under Secy.

## रेल मंत्रालय

## (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 जून, 1985

का.आ. 3105.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति तद्द्वारा रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील), नियम 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) द्वितीय संशोधन, 1985 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 की अनुसूची II के लिए निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

क्षेत्रीय रेलों चितरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, मधारी छिम्बा कारखाना और मैट्रो परियोजना (रेलें) के लिये अधिकारियों/अराजपत्रित कर्मचारियों के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों से सम्बन्धित विभिन्न ग्रेडों के अनुशासन सम्बन्धी अधिकारों और निलम्बन अधिकारों की अनुसूची ।

| वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रभारी 425-700 रु. (सं. वे.) और इससे अधिक के ग्रेड में<br><br>टिप्पणी :—उपर्युक्त उद्देश्य के लिए पर्यवेक्षक प्रभारी की सूची रेल प्रशासन द्वारा अधिसूचित की जायेगी । | सहायक अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान और वर्ग 'ख') | वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी और सहायक अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान और वर्ग 'ख' (स्वतंत्र) प्रभार सम्भालने वाले | कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी और वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी स्वतंत्र प्रभार सम्भालने वाले मंडल पर विभाग का प्रभारी | रेलवे संजन विभागों के सम्बन्ध में अपर मंडल रेल प्रबंधक/ मंडल रेल प्रबंधक | क्रियाशील विभागाध्यक्ष सहित महाप्रबंधक के अलावा स्तर-1 में विभागाध्यक्ष |
|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. निन्दा | | |
| सभी वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी जो अनुशासन प्राधिकारी से तीन ग्रेड नीचे और निम्न पद पर हैं। | 425-640/425-700 रु. (सं. वे.)/ 425-700 रु. (सं. वे.) ग्रेड में वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | ग्रेड 700-900 रु. (सं. वे.) को छोड़कर वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी |

| अधिसूचित विभाग के सम्बन्ध में और अपर महाप्रबन्धक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | महाप्रबन्धक | रेलवे बोर्ड |
|---|---|---|
| 7 | 8 | |
| वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | |

2. पास अथवा सू. टि आ. का रोका जाना

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सभी वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी जो अनुशासन प्राधिकारी से तीन ग्रेड नीचे और निम्न पद पर हैं। | 425-640/425-700रु. (सं. वे.)/455-700रु. (सं. वे.) के ग्रेड में वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | 10 वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों और इससे कम सेवा वाले राजपत्रित अधिकारियों के लिए—<br>550-750 (सं. वे.) और इससे अधिक ग्रेड के | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कर्मचारियों को छोड़कर वर्ग 'ग' और वर्ग 'घ' के कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी के रूप में 10 वर्ष से अधिक की सेवा वाले अधिकारियों के लिए— 700-900 रु. (सं. वे.) के कर्मचारियों को छोड़कर वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी । | | | | |

3 पदोन्नति का रोका जाना और वेतन वृद्धि का रोका जाना

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सभी वर्ग 'क' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी और उससे जो अनुशासन प्राधिकारी से तीन ग्रेड नीचे हैं और उससे निम्न पद पर है । जहां नियम 11 (2) के अन्तर्गत जांच-पड़ताल अपेक्षित हो कोई अधिकार प्रयोज्य नहीं है। | 455-700 रु. और उससे अधिक के ग्रेड को छोड़कर वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | 550-750 रु. (सं. वे.) और उससे ऊपर के ग्रेड को छोड़कर वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी |

4. लापरवाही अथवा आदेश के उल्लंघन से सरकार को हुई आर्थिक हानि के कारण वेतन से वसूली

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सभी वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी जो अनुशासन प्राधिकारी से तीन ग्रेड नीचे हैं और निम्न पद पर हैं। | 455 रु. (सं. वे.) तक के वेतन मान वाले वर्ग 'घ' और वर्ग 'घ' के कर्मचारी | 550-750 रु. (सं. वे.) और उससे ऊपर के ग्रेड को छोड़कर वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी |

5(क) निचले पद पर पदावनयन या निम्न समय वेतनमान

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुछ नहीं | वर्ग 'घ' कर्मचारी | 550-750 रु. (सं. वे.) और उससे अधिक को छोड़कर वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी |

5. (ख) निचले समय वेतनमान में निचले स्तर पर पदावनयन

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुछ नहीं | 455 रु. (सं. वे.) तक के वेतनमान वाले वर्ग 'घ' के कर्मचारी | 550-750 रु. (म. वे.) और उससे अधिक ग्रेड का छोड़कर वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी |

6. अनिवार्य सेवा निवृत्ति

7. सेवा से हटाया जाना

8. सेवा से बरखास्तगी

नियोक्त प्राधिकारी अथवा उसके समकक्ष ओहदे का प्राधिकारी अथवा कोई उससे उच्च प्राधिकारी

9. निलम्बन (यह दंड नहीं है)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के 430 रु. तक के वेतनमान के कर्मचारी इस वर्ग के कर्मचारियों के मामलों में 24 घंटे के अन्दर इस शर्त के साथ कि जिला अधिकारी अथवा प्रभारी सहायक अधिकारी को रिपोर्ट की जाए। | 495 रु. (म. वे.) और उससे कम वेतनवाले वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | 550-750 रु. (मं. वे.)/ 450-700 रु. (सं. वे.) तक वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी | वर्ग 'घ' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी |

टिप्पणी :—1. इस अनुसूची में वर्णित प्राधिकारी के मामले में अपीलीय प्राधिकारी को दूसरे कालम में दिखाया जायेगा जबकि अन्तिम कालम में दिखाये गये प्राधिकारी के मामले में अपीलीय प्राधिकारी राष्ट्रपति होंगे बशर्ते कि, यदि ओहदे का मद दिखाये गये किसी भी कालम में नहीं आता है। अगले कालम में दिखाया गया अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी होगा।

2. अपीलीय प्राधिकारी अथवा उसके समकक्ष प्राधिकारी या कोई उससे उच्च प्राधिकारी जो दंड देने या बरखास्तगी, निलम्बन या अनिवार्य सेवा निवृत्ति, के लिए सक्षम है, भी कोई भी निम्न दंड दे सकता है।

पाद टिप्पणी :—मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 22-8-1968 के का. आ. 319 द्वारा प्रकाशित किये गये थे

परवर्ती

तदन्तर अनुसूची 11 दिनांक 31-12-79 का. आ. 143 द्वारा संशोधित

[सं. ई (डी एण्ड ए)/83-आर जी 6-45]

ए. एन वांचू, सचिव, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 13th June, 1985

S.O. 3105.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Servants (Discipine and Appeal) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Servants (Discipline and Appeal) Second Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For Schedule II to the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, the following schedule shall be substituted, namely :—

Schedule of disciplinary powers and powers of suspension or different grades of Railway Officers/Senior Supervisors in respect of non-gazetted staff of Zonal Railways, Chittaranjan Locomotive Works, Diesel Locomotive Works, Integral Coach Factory and Metro Project (Railways)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. Supervisors in charge in Grade Rs. 425-700 (RS) and above Note : The Rly. Administration will notify lists of Supervisors incharge for the above purpose | Assistant Officers (Junior scale and Group 'B') | Sr. Scale Officers and Assistant Officers (Junior Scale and Group 'B') holding independent charge | Junior Administrative Grade Officers and Senior Scale Officers holding independent charge/ incharge of a Department on the Division | Additional Divisional Railway Managers in relation to the Departments attached to them/ Divisional Railway Managers | Head of the Department in level-I other than General Manager including the functional Head of the Department | Additional General Managers in relation to Departments notified/ Chief Administrative Officer/ General Manager | Railway Board |

1. 'CENSURE'

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Group 'D' and Group 'C' staff who are 3 grades below and lower than the Disciplinary Authority | Group 'D' and Group 'C' staff in grades upto Rs. 425-640/ 425-700(RS)/ 455-700(RS) | Group 'D' and Group 'C' staff except in Grade Rs. 700-900 (RS) | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff |

2. WITHHOLDING OF PRIVILEGE PASSES AND/OR PTOs

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 'D' and Group 'C' staff who are 3 grades below and lower than the Disciplinary Authority | Group 'D' and Group 'C' staff in grades upto Rs 425-640/ 425-700/455-700 (RS) | For Officers with 10 years service and less as Gazetted Officers– Group 'C' and Group 'D' staff except in grade Rs. 550-750 (RS) and above. For officers with more than 10 years service as Gazetted Group 'D' and | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Group 'C' staff except in grade Rs. 700-900 (RS) | | | | | |

3. WITHHOLDING OF PROMOTIONS & WITHHOLDING OF INCREMENTS

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 'D' and Group 'C' staff who are three grades below and lower than the Disciplinary Authority. No powers exercisable where inquiry under Rule 11(2) is required | Group 'D' and Group 'C' staff except in grade Rs. 455-700 (RS) and above. | Group 'D' and Group 'C' staff except in grade Rs. 550-750 (RS) and above. | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Gourp 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff |

4. RECOVERY FROM PAY OF PECUNIARY LOSS CAUSED TO GOVERNMENT BY NEGLIGENCE OR BREACH OF ORDER

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 'D' and Group 'C' staff who are three grades below and lower than the Disciplinary Authority | Group 'D' and Group 'C' staff in scale of pay rising upto Rs. 455(RS) | Group 'D' and Group 'C' staff except in grades Rs. 550-750 (RS) and above. | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff |

5(a). REDUCTION TO A LOWER POST OR LOWER TIME SCALE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL | Group 'D' staff | Group 'D' and Group 'C' staff except in grades Rs. 550-750 (RS) and above. | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff |

5(b) REDUCTION TO LOWER STAGE IN TIME CALE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL | Group 'D' and Group 'C' staff in scale of pay rising upto Rs. 455(RS) | Group 'D' and Group 'C' staff except in grade Rs. 550-750 (RS). | Group 'D' and Group'C' staff | Group'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff |

6. COMPULSORY RETIREMENT
7. REMOVAL FROM SERVICE
8. DISMISSAL FROM SERVICE

Appointing Authority or an Authority of equivalent rank or any higher authority

9. SUSPENSION (This is not a penalty)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 'D' and Group 'C' scales of pay rising upto Rs. 430(RS) subject to report to District Officer or Assistant Officer incharge within 24 hours in the case of Group 'C' staff. | Group 'D' and Group 'C' staff drawing Rs. 495(RS) and below | Group 'D' and Gruop 'C' staff upto scales Rs. 550-750 (RS)/455-700 (RS) | Group 'D' and Group C' staff | Group'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff | Group 'D' and Group 'C' staff |

NOTE: (1) The appellate authorities in the case of authorities mentioned in this Schedule shall be as shown in the next column, whereas in the case of the authority specified in the last column, the appeallate authority shall be the President; provident that, if post of the rank shown in any particular column does not exstt, the appellate authority shall be that shown in the next column.

(2) The appellate authority or an authority of equivalent rank or any higher authority who is competent to impose the penalties or dismissal, removal or compulsory retirement, may also impose any lower penalties.

FOOT NOTE : Principal Rules were published in the Gazette of India vide S-O No. 3 61 dated 22-8-1968 Schedule II was subsequently amended vide S.O. No. 143 dated 31-12-1979.

[No. E (D&A) 83 RG 6-45]

A. N. WANCHOO, Secy. Railway Board

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जून 1985

का. आ. 3106:—मैसर्स हरिहर पोलीफिबर्स प्रोप: दि ग्वालियर रेयन मिल्क मैन्यूफैक्चरिंग (वीविंग) लिमिटेड, डाकघर—कमारोपत्तनैन (हरिहर के पास) धारवार जिला—581123 (कर्नाटक/5334), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रिमियम का संदाय, लेखाओं का परीक्षण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि ऐसा कोई कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके

हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सख्या एस–35014/160/85–एसएस–4]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 10th June, 1985

S.O. 3106.—Whereas Messrs. Harihar Polylibers Prop : The Gwalior Rayon Silk Manufacturing (Weaving) Limited, P.O. Kumaropatnain (Near Harihar) Dharwar District-581123 (KN/5334) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercies of the powers conferred by sub section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme;

7. Notwithstanding anything containd in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(160)|85-SS-IV]

का. आ. 3107.—मैसर्स लिबेण इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड 1,2,3, इण्डस्ट्रियल एरिया, के.आर.एस. रोड, मेटागली पोस्ट मैसूर (कर्नाटक/ 6956), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रिमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिय सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम के किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/159/85-एस एस-4]

S.O. 3107.—Whereas Messrs. Triveni Engineering Works Limited, I.2.3, Industrial Area, KRS Road, Metagalli Post Mysore (KN|6956) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding any thing contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(159)|85-SS4]

का. आ. 3108 मैसर्स केलवीनेटर आफ इंडिया लिमिटेड, रेफरीजरेशन डिवीजन, 28, एन. आई. टी., फरीदाबाद (हरियाणा) पीएन/1891, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी, उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह सकते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमिय का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/157/85-एस एस-4]

S.O. 3108.—Whereas Messrs. Kelvinator of India Limited Refrigeration Division, 28, N.I.T. Faridabad (Haryana) (PN| 1891) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellanous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Ssheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/ Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(157)/85-SS-IV]

का. आ. 3109.—मैसर्स नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन (मध्य प्रदेश) लिमिटेड एन. टी. सी. हाउस, 27—यशवन्त निवास रोड, इन्दौर-452003 म. प्र. (म. प्र./2027) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम-1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाता

हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/158/85-एस एस-4]

S.O. 3109.—Whereas Messrs. National Textile Corporation (Madhya Pradesh) Limited, N.T.C. House, 27, Yeshwant Niwas Road, Indore-452003, Madhya Pradesh (MP/202/), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct form time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member or the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme approriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(158)/85-SS-IV]

का०आ० 31100—मैसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड, दिल्ली रोड, हिसार (पी० एन०/2885), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार, द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधित किया जाये, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एम-35014/155/85-एम एस-4]

S.O. 3110.—Whereas Messrs. Jindal Strips Limited, Delhi Road, Hissar (PN|2885), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(155)/85-SS-IV]

का०आ० 1311.—मैसर्स मदुराई पेन्डियन इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बाईपास रोड मदुराई-625016 (टी एन/10119) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा, और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमे संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक, कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा मे उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/139/85-एसएस-4]

S.O. 3111.—Whereas Messrs Madurai Pandiyan Engineering Corporation Limited, Bye Pass Road, Madurai-625016 (TN) 10119) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under

the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissionr, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/ legal heirs of the deceased members entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/139/85-SS-IV]

का. आ. 3112.—मैसर्स वीडियो इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 8/2 साइट नं. 4, इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद-201010 उत्तर प्रदेश (यू पी/4793) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे

स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/144/85-एस. एस.-4]

S.O. 3112.—Whereas Messrs. Video Electronics Private Limited, Plot No. 8/2, Site No. 4, Industrial Area, Sahibabad-201010 Uttar Pradesh (UP/4793) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee / legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/144/85-SS-IV]

का. आ. 3113.— मैसर्स सीता-लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड मिल्स प्रीमिसस तिरुनगर मदुराई-625006 (टी.एम/2298) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का

संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बिमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारी के लिए फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं की रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में विनियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका तुरन्त नाम दर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबार रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाए और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति रिवाज से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विविध वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/145/85-एस एस-4]

S.O. 3113.—Whereas Messsr. Sitalakshmi Mills Limited, Mill Premises, Tirunagar, Madurai-625006 (TN/2298) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admis-

sible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium is respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of th esum assured to the nominee/ legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/145/85-SS-IV]

का. आ. 3114.— मैसर्स फार्म प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड मेडीकल कालेज रोड थाजवुर—613000 (तमिलनाडु) टीएन/7253) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम को किए बिना ही भारतीय जीवन बिमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारी के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखे रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतर्ण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें

संशोधन किया जाए, जब तक उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी उस दशा में संदेय होता, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के स्थापन जिसे पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार/नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/128/85-एस एस-4]

S.O. 3114.—Whereas Messrs. Pharm Products Private Limited, Medical College Road, Thangavur-613001, Tamil Nadu, (TN/7253) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, withis 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approval by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium is respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme, are enhanced, so that the benefits available under the Group Issurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithssanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that

would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

2. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Issurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it any case within one month from the receipt of claim complete in all respect".

[No. S-35014(128)/85-SS-IV]

का. आ. 3115.—मैसर्स काली म. ह. स. प्राइवेट लिमिटेड 42/6-बी, मद्रास रोड, मेलाकोवरी-612002, कुम्बाकोनम (टी एन/17020) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों, संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसका मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारती जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितीयों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या-एस 35014/128/85-एसएस 4]

S.O. 3115.—Whereas Messrs Kali MHS Private Limited, 42|6-B, Madras Road, Melakhaveri-612002, Kumbakonam (TN/17020), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance cheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it any case within one month from the receipt of claim complete in all respect"

[No. S-35014(129)/85-SS-IV]

का.आ. 3116.—मैसर्स दि माल्लट कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, खाण्डसा रोड, गुडगांवा—122001 (पीए/4120) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनिम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय निगम की या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उस स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस--35014/146/85-एसएस-4]

S.O. 3116.—Whereas Messrs. The Malt Company (India) Private Limited, Khandsa Road, Gurgaon-122001 (PN/4120) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium is respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it any case within one month from the receipt of claim complete in all respect"

[No. S-35014(146)/85-SS-IV]

का. आ. 3117.—मैसर्स कोली सिक्योरिटी सिस्टम 42/6-बी, मद्रास रोड मेलाकावेरी-612002, कुम्बाकोनम (टीएन/17019) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब

तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदों में अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और वहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में दिए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों का बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/131/85-एस एस-4]

S.O. 3117.—Whereas Messrs Kali Security System, 42[6-B, Madras Road, Melakaveri-612002, Kumbakonam (TI[17019) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium is respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available under the Group Insurance Scheme are more appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Issurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(131)/85-SS-IV]

का. आ. 3118:—मैसर्स मेटल बाक्स इंडिया लिमिटेड, पी-48 हाईड रोड एक्सटेंशन कलकत्ता-700088 (डब्ल्यूबी/247) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का, प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/137/85-एस एस-4]

S.O. 3118.—Whereas Messrs Metal Box India Limited, P-48, Hide Road Extension, Calcutta-700088 (WB|247), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (heerinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said

Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishement exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporaiton of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on he death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Schme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who could have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(137)/85-SS.IV]

का. आ 3119 :—मैसर्स एम. बी. इंडस्ट्रीज फैक्टरी 34-ए, 35-बी, इंडस्ट्रियल एरिया, आगरा बम्बई रोड, देवास, मध्य प्रदेश (एम पी/4821) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदेश करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों को वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम

के अधीन हो तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकमों का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को क्षयगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/147/85-एस एस-4]

S.O. 3119.—Whereas Messrs S. V. Industries Fact. 34-A, 35-B, Industrial Area, Agra, Bombay Road, Dewas, (M.P.) (MP/4821) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the um assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/147/85-SS-IV]

का. आ. 3120.मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जे.पी. रोड, यूनिट बिल्डिंग बंगलौर- 2 (के एन/2416) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और पर्कीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, जिन्हें पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही,

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा – स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक की पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014/152/85-एस एस-4]

S.O. 3120.—Whereas Messrs Bharat Earth Movers Limited, J. C. Road, Unity Building, Bangalore-2. (KN|2416) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall such inspection charges as the Cent-Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act,within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, trasfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees'Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employedin his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Rigional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim compete in all respects.

[No. S. 35014/152/85-SS. IV]

का. आ. 3121 मैसर्स सेनापर्थ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 11, राजभवन रोड, बंगलौर–1 (केएन/3519) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती, तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस– 35014/153/85– एस एस–4]

S.O. 3121.—Whereas Messrs Senapathy Whiteley Limited, 11, Raj Bhavan Road, Bangalore-1 (KN|3519) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establisment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

5. The employer shall display on the Notice Board of the establihment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a memebr of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|153|85-SS.IV]

का. आ. 3122 मैसर्स परमार्स वेलेम लि., सेंट्रल इंडिया फ्लोर मिल्ज के पास, पो. बा. 38, भोपाल- 462008 (मध्य प्रदेश) (एम०पी०/770) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/149/85- एस एस- 43]

S.O. 3122.—Whereas Messrs Permali Wallace Limited, Near Central India Flour Mills, Post Box No. 38, Bhopal-462008 (Madhya Pradesh) (MP/770) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Goveramment hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of reutrns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available

to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this shceme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|149|85-SS-IV]

का. आ. 3123 मैसर्स जगधारा समाल टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, 416, इंडस्ट्रियल एरिया, लुधियाना (पी.एन 19761) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा-प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त

होने वाले फायदे किस रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस वित्तीय वर्ष के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014/148/85- एस एस- 4]

S.O. 3123.—Whereas Messrs Jaldhara Small Tools Private Limited, 416, Industrial Area A, Ludhiana, (PN|9761) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessray premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of that sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/148/85-SS-IV]

का. आ 3124.—मैसर्स मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., 23, शापिंग सैंटर, न्यू मार्किट, टी. टी. नगर, भोपाल– 462003(एम पी/1262) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम का सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3034 तारीख 28.8.82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 28 अगस्त, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 27 अगस्त, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा स्कीम प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बकाया रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बकाया रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस–35014/27/85–एस एस–4]

S.O. 3124.—Whereas Messrs Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited, 23, Shopping Centre, New Market, T. T. Nagar, Bhopal-462003 (MP/1262), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in con-

tinuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 3034 dated the 28-8-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28th August, 1985 upto and inclusive of the 27th August, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects."

[No. S-35014|27|82-PF-II-SS.IV]

का. आ. 3125.—मैसर्स भारत फ्रिट्ज वेर्नर प्रा. लि., पी ब्या, यशवन्तपुर, बंगलौर (कर्नाटक/2346) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 क उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3050, तारीख 17-8-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 28 अगस्त, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 27 अगस्त, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक

सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि के जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी के मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/133/85-एस एस-4]

S.O. 3125.—Whereas Messrs Bharat Fritz Werner Private Limited, Peenya, Yeshwanthpur, Bangalore (KN/2346) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more fabourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linker Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 3050 dated the 17th August, 1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28th August, 1985 upto and inclusive of the 27th August, 1988.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Issurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects."

[No. S. 35014/133/82-PF. II(SS. IV)]

का. आ. 3126.—मैसर्स प्रेमिशन टूलिंग सिस्टम लिमिटेड, सत्तूर, धारवार (कर्नाटक 4349) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय का प्रिमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3396 तारीख 9-9-82 के अनुसरण में और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 25 सितम्बर, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24 सितम्बर, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रिमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बारे में आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे घटाए जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होगी, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या वह स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस तिथि तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रिमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रिमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस 35014/88/82-एस एस-4]

S.O. 3126.—Whereas Messrs Precision Tooling Systems Limited Sattur, Dharwar (KN|4349) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry

of Labour, No. S.O. 3396 dated the 9-9-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 25th September, 1985 upto and inclusive of the 24th September, 1988

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in th Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|88|82-PF-II(SS.IV)]

का. आ. 3127.—मैसर्स (I) दा डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, पन्ना (एम पी/1444) (II) दा बैलाडिला आयरन ओर प्रोजेक्ट, डिपोजिट नं. 5, बचेली (एम पी/32278) और (III) दा बैलाडिला आयरन ओर प्रोजेक्ट, किरन्दुल (एम पी 2279), बिलाडिंग टु मैसर्स नैशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लि., हैदराबाद, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किस पृथक अभिदाय का प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3037 तारीख 29-8-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 28 अगस्त, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 27 अगस्त, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने का व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिकवारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एम-35014/65/82 पी एफ II एस एस-4]

S.O. 3127.—Whereas Messrs (i) The Diamond Mining Project, Panna (MP|1444), (ii) The Bailadila Iron Ore Project, Deposit No. 5, Bacheli (MP|2278) and (iii) The Bailadila Iron Ore Project, Kirandul (MP|2279) belonging to M|s. National Mineral Development Corporation Limited, Hyderabad (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 3037 dated the 28-8-82 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28th August, 1985 upto and inclusive of the 27th August, 1988.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section 3A of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of dafault, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure promot payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014|65|82-PF-II (SS. IV]

का.आ. 3128.—मैसर्स मेटल सैम्पल कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड, 2 मर्फी रोड, पो. बाक्स नं. 876, उल्सूर, बंगलौर-8 (कर्नाटक 2756), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3041 तारीख 17-8-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 28 अगस्त, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 27 अगस्त, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस। नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/93/82-पी.एफ.-II [एस-4]]

S.O. 3128.—Whereas Messrs Metal Lamp Caps (India) Limited, 2, Murphy Road, P.B. No. 876, Ulsoor, Bangalore-8 (KN/2756), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 3041 dated the 17-8-82 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 26th August, 1985 upto and inclusive of the 27th August, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of dafault, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitlted for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/93/82-PF-II (SS. IV)]

का.आ. 3129.—मैसर्स कोरोमण्डल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, 126 सरोजिनी देवी रोड, सिकन्दराबाद (आंध्र प्रदेश/2760) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा स्कीम का सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3379 तारीख 30-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 25 सितम्बर, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24 सितम्बर, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट, रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/168/82पी.एफ.II(एसएस-4)]

S.O. 3129.—Whereas Messrs Coromandel Fertilisers Limited, 126, Sarojini Devi Road, Secunderabad (AP/2760) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 3379 dated the 30-8-1982 and subject

to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 25th September, 1985 upto and inclusive of the 24th September, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Schemes, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/168/82-PF-II (SS. IV)]

का० आ० 1[illegible]—सिरी कान्दिला लेबोरटरीज, मणिनगर, पो० बाक्स नं० 9004, अहमदाबाद—8, (गुजरात/1357) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3394 तारीख 2-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 25 सितम्बर, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 24 सितम्बर, 1938 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत ले खाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय लेखाओं का अभिरक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी निधि या या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे घटाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, जो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/145/82-पीएफ-II(एस एस-4)]

S.O. 3130.—Whereas Messrs Cadila Laboratories, Maninagar, P.B. No. 9004, Ahmedabad-8 (GJ/1357) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 3394 dated the 2-9-1982 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 25th September, 1985 upto and inclusive of the 24th September, 1988.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/ nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of dafault, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/145/82-PF-II (SS. IV)]

का. आ. 3131.:— मैसर्स एच. एम. टी. लिमिटेड बाच फैक्टरी एच. एम. टी. डाकघर बंगलौर–560031 (कर्नाटक/873ए) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों का उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3036 तारीख 17–8–1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 28 अगस्त 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 27 अगस्त 1988 भी सम्मिलित है उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षक प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों के अनुवाद स्थापन के सूचना पटट् पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती के प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में इस प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/53/82-पी एफ-II एस एस -4]

S.O. 3131.—Whereas Messrs H.M.T. Limited, Watch Factory, H.M.T. P.O. Bangalore-560031 (KN|873-A) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the natification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 3036 dated the 17-8-1982 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28th August, 1985 upto and inclusive of the 27th August, 1988.

SCHEDULE

2. The employer shall pay such inspection charges ment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section 3A of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/53/82-PF-II (SS. IV)]

का. आ. 3132:-- मैसर्स प्लाज्मा लेबोरेटरीज 37-इंडस्ट्रियल एस्टेट पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003, मध्य प्रदेश (म. प्र./2471) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2809 तारीख 13-7-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 31 जुलाई 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 30 जुलाई 1988 भी सम्मिलित है उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखे रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को, जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/178/82-पी. एफ.-II एस एस-4]

S.O. 3132.—Whereas Messrs Plazma Laboratories, 37, Industrial Estate, Pologround, Indore-452003 Madhya Pradesh (MP/2471) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 2809 dated the 13-7-1982 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 31st July, 1985 upto and inclusive of the 30th July, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section 3A of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Schemes, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/178/82-PF-II (SS. IV)]

का. आ. 3133--मैसर्स कार्लो इलेक्ट्रो-टकनीक्स, 42/6-ए, मद्रास रोड, मालाकायेरी-612002, कुम्भाकोनम (टी एन/11819) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे घटाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधि वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों



विविध वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/126/85-एस एस -4]

S.O. 3133.—Whereas Mesrs. Kali Electro-Technics, 42|6-A, Madras Road, Melacanveri-612002, Kumba Konam (TN|11819). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees undr the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding any thing contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees. the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the claim complete in all respects".

[No. S. 35014/(126)/85-SS IV]

नई दिल्ली, 11 जून, 1985

का. आ. 3134:— मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड गांधीग्राम, विशाखापटनम- 5 (आन्ध्र प्रदेश/13) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं, वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2808 तारीख 13 जुलाई, 1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 31 जुलाई 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 30 जुलाई 1988 भी सम्मिलित है उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सहायक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वह प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को

प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है तो पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितीयों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा

[संख्या एस-35014/132/82-पी. एफ. 2 (एस एस -4)]

New Delhi, the 11th June, 1985

S.O. 3134.—Whereas Messrs Hindustan Shipyard Limited, Gandhigram, Visakhapatnam-5 (AP/13) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 2808 dated the 13th July, 1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 31st July, 1985 upto and inclusive of the 30th July, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charge etc. shall be born by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payble under this schheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014|132|82-PF-II(SS.IV)]

का. आ. 3135.—मैसर्स दीपक वूलन्स प्रा. लि. 80-8, इंडस्ट्रियल एरिया ए-बी रोड, देवास-455001 (एमपी/3530) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय का प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया के अधीन अनुज्ञेय है) ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2729 तारीख 9-7-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 24 जुलाई 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 23 जुलाई 1988 भी सम्मिलित है उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरंग निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों के उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के, अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशिती या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/59/82-एसएस-4]

S.O. 3135.—Whereas Messrs. Deepak Woollens Private Limited, 80-8 Industrial Area, A-B Road, Dewas-455001 (MP/3530), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O.

2729 dated the 9-7-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect rom 24th July, 1985 upto and inclusive of the 23rd July, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All exepnses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the mjority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|59|82-PF-II (SS-IV)]

का.आ. 3136.—मैसर्स सैन्ट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट तुमकुर रोड, बंगलौर-20 (केएन/5672) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय का प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2730 तारीख 9-7-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 24 जुलाई, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 23 जुलाई 1988 भी सम्मिलित है उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम

को धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उस मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विविध वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/123/81-एसएस-4]

S.O. 3136.—Whereas Messrs Central Machine Tools Institute, Tumkur Road, Bangalore-22 (KN/5672) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoymen of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 2730 dated the 9-7-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24th July, 1985 upto and inclusive of the 23rd July, 1988.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All exepnses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the mjority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits avail-

able to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/123/81-PF-II (SS-IV)]

का. आ. 3137.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुपर्णा ट्रेडिंग एजेन्सी, 22, बिपलाबी राम बिहारी बोस रोड (चौथी मंजिल, कमरा नं. 39) कलकत्ता-1 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है

[सं. एस-35017/73/85-एस.एस.-2]

S.O. 3137.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Suparna Trading Agency, 22, Biplabi Rash Behari Bose Road, (4th Floor Room No. 39), Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(73)|85-S.S.-II]

का. आ. 3138.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम. जी. ट्रेडर्स 4, सिनागोग्यु स्ट्रीट, कलकत्ता 1, उनका हैड आफिस, 113, मनोहर दास कटरा, कलकत्ता-7 और कोर्सपोंडिंग यूनिट 75/79, ओल्ड हनुमान लेन, बम्बई-2 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35017/74/85-एस.एस.-2]

S.O. 3138.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M. G. Traders 4, Synagogue Street Calcutta-1 including its Head Office at 113, Manohardas Katra, Calcutta-7 and Corresponding Unit at 75|79 old Hanuman Lane, Bombay-2 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S 35017(74)|85-SS-II]

का आ. 3139.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होटल दीनार, 17, पराफुल्ला सरकार स्ट्रीट, कलकत्ता-72 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35017/75/85-एस.एस.-II]

S.O. 3139.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hotel Dinar 17, Prafulla Sarkar Street,

Calcutta-72 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(75)|85-SS-II]

का. आ. 3140.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डुपलेट्स इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि., डब्ल्यू-46, एम. आई. डी. सी. एरिया, डोम्बीवली-203 और आफिस 6/221, एस.बी., रोड अन्धेरी (वैस्ट) बम्बई-58 में स्थित नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35018/9/85-एसएस-2]

S.O. 3140.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Duplets Electronics Private Limited W-46, M.I.D.C. Area, Dimbivli-421203 and it office at 6|221, S V Road, Andheri (West), Bombay-58 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishmest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(9)|85-S.S.-II]

का. आ. 3141.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सूरज पैकिंग प्रा. लि., ई-18, मारियमालए नगर इंडस्ट्रीयल कम्पलैक्स आटकोलाप्पूर, पो.आ. चिंगलपुट कस्बा और इसके 18 दूसरा फोफालवडी भुनेश्वर बम्बई-2 और 43, मैडले स्ट्रीट, टी. नगर, मद्रास-17 स्थित पंजीकृत कार्यालय नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/269/85-एसएस.-2]

S.O. 3141.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Suraj Packaging Private Ltd., E-18, Maraimalai Nagar Industrial Complex, Kattankolathur P.O Chingleput District including its registered office at 18, 2nd Phophalwadi, Bhulshwar, Bombay-2 and 43, Madley 1 Street T. Nagar, Madras-17 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(269)|84-SS-II]

का. आ. 3142.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दे चियार को-आपरेटिव मिल्क सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, सी-1606, तिरुविटीपुरम एण्ड पोस्ट चियार तालुक, उत्तरी आरकाट, जिला, पिन नं. 604407 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/270/85-एस.एस-2]

S.O. 3142.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Cheyyar Co-operative Milk Supply Society Ltd., C-1606, Thiruvettipuram and Post, Cheyyar Taluk, North Arcot, Distt. Pin. Code-604407 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019|270|85-S.S.-II]

का. आ. 3143.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंडस्ट्रीयल सिस्टम एण्ड इक्विपमेंट प्रा. लि., नं. 4, थिरुवेंगदा स्टो., एक्सटेंशन, आर. के. नगर, मंडावैली मद्रास 18 और इसकी शाखा इंडस्ट्रयल सिस्टम्स एण्ड इक्विपमेंट प्रा. लि., थोरापक्कम, मद्रास 76 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-4 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/271/85-एस.एस-2]

S.O. 3143.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Industrial System and Equipments Private Limited, No. 4 Thriuvengada St. Extn. R. K. Nagar, Mandaveli, Madras-28 including its branch at

Industrial Systems and Equipments Private Limited, Oggium, Thoraipakkam, Madras-96 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(271)|85-S.S.-II]

का.आ. 3144.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सेवा समाजम बेकरी, गिल्ड आफ सर्विस सेन्ट्रल, 236, अवो, शानमुगम सलाए, मद्रास-86 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/272/85-एस एस.-2]

S.O. 3144.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Seva Samajam Bakery, Guild of Service Central, 236, Avvai Shanmugam Salai, Madras-86 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(272)|85-S.S.-II]

का. आ. 3145.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कल्ला कुरची को-आपरेटिव शुगर मिल्स एम्प्लाईज को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, डाकघर मुंगिलथुराईपाटु, साउथ आरकट डिस्ट्रिक्ट नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्राप्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस/35019/273/85 एस एस-2]

S.O. 3145.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kallakurichi Cooperative Sugar Mills Employees Co-operative Credit Society Limited, Post Office Mungilthuraipattu, South Arcot District have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(273)|85-SS-II]

का. आ. 3146.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री वेंकटाचलापती ट्रांसपोर्ट्स, 16, साउथ मेन स्ट्रीट, वेदारनियम 614810 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस 35019/274/85-एस.एस.-2]

S.O. 3146.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Venkatachalapathy Transports, 16, South Main Street, Vedaranyam-614810 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(274)|85-SS-II]

का. आ. 3147.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भोरुकम सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, 31, सरोजिनी देवी रोड, सिकन्दराबाद 500003 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों का बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/275/85-एसएस.-2]

S.O. 3147.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bhorucom Services Pvt. Ltd., 31, Sarojni Devi Road, Secunderabad-500003 have agreed that the provisions of the Employees provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(275)|85-SS. II]

का० आ० 3148.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग एंटरप्राइजिज प्रा० लि०, नरकुन्दरम और इसका प्रशासकीय कार्यालय टी० नगर मद्रास नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय, सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(276)/85-एस. एस-II]

S.O. 3148.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Balaji Trading Enterprises Private Limited, Nerkundrum including its Adm. Office at T. Nagar, Madras have agreed that the provisions of the Employees provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(276)|85-SS. II]

का० आ० 3149.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कन्याकुमारी जिला टीचर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी, डेनिसन मार्ग, नागरकोइल-629001.

नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019/(277)/85-एस. एस-II]

S.O. 3149.—Whereas it appears to the Central Government tha the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kanyakumari District Teachers Co-operative Thrift and Credit Society, Dennison Street, Nagercoil-629001 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(277)|85-SS. II]

का० आ० 3150.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री धनलक्ष्मी एन्टरप्राइजिज 20, वी. ओ. सी. नगर, थान्जावर-7. नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019/(278)/85 एस. एस-II]

S.O. 3150.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Dhanalakshmi Enterprises, 20, V.O.C., Nagar, Thanjavur-7, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(278)|85-SS. II]

का० आ० 3151.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्पैक्ट्रा कम्प्यूटर कन्सलटैंसी 14 अभय नगर, कोआप्रेटिव हाउसिंग सोसायटी कोरवा, बड़ौदा-16 नामक स्थापन के सबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(279)/85-एस.एस. II]

S.O. 3151.—Whereas it appears to the Central Goverument that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Spectra Computer Consultancy, 14-Abhay Nagar, Co-operative Housing Society, Crowa, Baroda-16, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(279)|85-SS. II]

का० आ० 3152—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स धन्दायुथोपानी रोडवेज (प्राइवेट) लि० 72 ए मिल रोड गोबीचेत्तीपालायाम पिन-638452. नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019/(280)/85 एस. एस-II]

S.O. 3152.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dhandayuthopani Roadways (P) Ltd., 72-A, Mill Road, Gobichettipalayam—638452, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the establishment.

[No. S-35019(280)/85-SS. II]

का० आ० 3153.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आल इंडिया डेफ एंड डम्ब सोसायटी 79, कमला मार्किट आसफअली रोड, नई दिल्ली-2 और उसकी शाखायें (i) डेफ एंड डम्ब स्कूल, शाहदरा दिल्ली- 32 (ii) फिन्नर्स नर्सरी स्कूल फार द डेफ तेलीवाड़ा, दिल्ली-6 मानक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा- (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019/(281) 85 एस- एस -II]

S.O. 3153.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and themajority of the employees in relation to the establishment known as Messrs All India Deaf and Dumb Society 79, Kamla Market, Asaf Ali Road, New Delhi-2 including its branches (i) Deaf & Dumb School, Shahadra, Delhi-32 (ii) Finner's Nursery School for the Deaf, Teliwara, Delhi-6, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the establishment.

[No. S-35019(281)/85-SS. II]

का० आ० 3234.—केन्द्रीय सरकार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की धारा 7-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 15 दिसम्बर, 1984 को प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय संख्या आ० 4443, तारीख 29 नवम्बर, 1984 का अधिनियम करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारियों को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है:-

1. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)
2. संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)
3. सभी उप मुख्य श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय)
4. सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)

[संख्या एस-70025/1/84-एफ पी जी ]

S.O. 3154.—In exercise of the powers conferred by section 7A of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation. No. S.O. 4443, dated the 29th November, 1984, published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-section (ii), dated the 15th December, 1984, the Central Government hereby appoints the following officers to be the Inspectors for the purposes of the said Act, namely :—

1. Chief Labour Commissioner (Central)
2. Joint Chief Labour Commissioner (Central)
3. All Deputy Chief Labour Commissioners (Central)
4. All Labour Enforcement Officer (Central).

[No. S-70025/1/84-FPG]

नई दिल्ली, 12 जून, 1985

का०आ० 3155.—मैसर्स डेरे आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लि० 5-9-38/1 बशीर बाग, हैदराबाद-500020 (ए० पी०/6319) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश को विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में

उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबन्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधि वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधि वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/112/85-एसएस-4]

New Delhi, the 12th June, 1985

S.O. 3155.—Whereas Messrs Dairy Icecream and Frozen Foods Private Limited, 5-9-38/1, Bashir Bagh, Hyderabad-500020 (AP/6319) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the mjority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer

shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by thte said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/112/85-SS-IV]

का. आ. 3156 :—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(ii) में तारीख 2 जून, 1984 को प्रकाशित, भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 1772, तारीख 17 मई, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, विद्यमान शर्त संख्या 10, के स्थान पर निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"10. जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमा लाभों के संदाय के प्रयोजनार्थ नियोजक भारतीय स्टेट बैंक में सात लाख रुपए की रकम यथोचित शीर्षक के अधीन (जिसे जीवन बीमा निधि कहा जाएगा) जमा करेगा और समय-समय पर कमी की आपूर्ति द्वारा यह सुनिश्चित करेगा किसी भी समय जीवन बीमा निधि में रकम सात लाख रुपए से कम नहीं होगी । यदि किसी कारण से नियोजक जीवन बीमा निधि की आपूर्ति करने में असफल रहता है और उसकी रकम सात लाख रुपए से कम हो जाती है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।"

[सं० एस-35014/120/81-पीएफ-2 (एस एस-4)]

S.O. 3156.—In exercise of the power conferred by sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No. S.O. 1772 dated the 17th May, 1984 published in Part II section 3(ii) of the Gazette of India dated the 2nd June, 1984.

In the said notification, in the schedule, for the existing condition No. 10, the following condition shall be substituted, namely :—

"10. For the purpose of payment of assurance benefits under the Life Cover Scheme, the employer shall deposit a sum of Rupees Seven lakhs in the State Bank of India under suitable entitlements (to be called Life Cover Fund) and the employer shall ensure by replenishment of the shortfall from time to time so that at no time the amount in the Life Cover Fund is less than rupees seven lakhs and where for any reason, the employer fails to replenish the Life Cover Fund and the amount thereof is less than rupees seven lakhs, the exemption is liable to be cancelled".

[No. S. 35014|120|81-PF-II(SS.IV)]

का. आ. 3157 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 जून, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध पंजाब राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | हद बस्त संख्या |
|---|---|---|
| 1. | लिधेरन | 318 |
| 2. | नांगली बिरान | 324 |
| 3. | बिधि पुर | 323 |
| 4. | विरियाना | 315 |
| | जालन्धर जिले में।" | |

[संख्या एस-38013/11/85-एस. एस-1]

S.O. 3157.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th June, 1985 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Punjab namely :—

| Sl. No. | Name of the village | Had Bast No. |
|---|---|---|
| 1. | Lidheran | 318 |
| 2. | Nangli Biran | 324 |
| 3. | Bidhipur | 323 |
| 4. | Wiriana | 315 |
| in the District of Jalandhar." | | |

[No. S-38013/11/85-SS-I]

का० आ० 3158 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 जून, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4(धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध गुजरात राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला वलसाद ग्राम निसिरपुर की राजस्व सीमाएं और गुजरात औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक एस्टेट सहित ग्राम सिसोदरा-गणेश की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

[संख्या एस 38013/14/85एस. एस.-I]

S.O. 3158.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th June, 1985 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Gujarat, neamly :—

"Areas within Revenue limits of village Sisodara-Ganesh, including Gujarat Industrial Development Corporation Industrial Estate and the revenue limits of village Nisirpur, District Valsad."

[No. S-38013/14/85-SS-I]

का. आ. 3159 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 जून, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"परगना, तहसील तथा जिला बुलन्दशहर में बुलन्दशहर की म्युनिसिपल सीमा तथा बुलन्दशहर और सहकारी नगर के राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

[संख्या एस-38013/13/85एस एस-I]

S.O. 3159.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby apoints the 16th June, 1985, as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Uttar Pradesh, namely :—

"The are as falling within the Municipal limit of Bulandshahar and revenue village of Bulandshahar and Sahkarinagar in the Paragana, Tehsil and District Bulandshahar.".

[No. S-38013/13/85-CS-I]

नई दिल्ली, 14 जून, 1985

का. आ. 3160 केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई, के कारखानों के नियमित कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1984 से 30 सितम्बर, 1985 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देती है ।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी सुविधाएँ प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट-प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किये जाएंगे ;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दी गई उन सुविधाओं को, जो ऐसी सुविधाएं हैं जिनके प्रति कारखाना इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नगद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा, —;

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसा जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित

ऐसे लेखे, बहियों और अन्य दस्तावेजें, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनको परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ग). प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति जो ऐसे कारखाने, स्थापन या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना ।

अनुसूची

| क्रम सं. | राज्य या संघ/राज्य क्षेत्र का नाम | क्षेत्र का नाम | कारखाने का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | विशाखापत्तनम–1 | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) पोस्ट बाक्स सं. 54, मल्कापुरम इन्स्टालेशन विशाखापत्तनम–1 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | सिकन्दराबाद | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), पोस्ट बाक्स सं. 1634, और आर सी ग्राउंड, सिकन्दराबाद । |
| 3. | आन्ध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) स्टेशन रोड, विजयवाड़ा |
| 4 | आन्ध्र प्रदेश | सिकन्दराबाद–14 | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, डाकघर हाकिमपेट वायुसेवा स्टेशन, सिकन्दराबाद-14 |
| 5. | दिल्ली | दिल्ली | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) एल. पी. जी. बाटलिंग प्लांट, शकूरबस्ती, दिल्ली–26 |
| 6. | दिल्ली | दिल्ली | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) शिवाजी पार्क के सामने, शकूर बस्ती, दिल्ली–26 |
| 7. | दिल्ली | दिल्ली | इंडियन आइल कारपोरेशन विमानन ईंधन स्टेशन, सदर बाजार रोड, मोर लाइन के निकट पालम, दिल्ली छावनी – 10 |
| 8. | केरल | कोचीन | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) कोचीन, परिष्करकरण प्रतिष्ठान, पोस्ट बाक्स सं. 8, त्रिपुनीत वाया कोचीन । |
| 9. | केरल | कोचीन | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), कोचीन पोस्ट बाक्स सं. 535, विलींगटन द्वीप, हारबर रोड, कोचीन –3 |
| 10. | केरल | कोचीन | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), माशका मार्ग, पोस्ट बेग 1759, एर्नाकुलम, कोचीन –15 |
| 11. | तमिलनाडु | मद्रास | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड,) (विपणन प्रभाग), एर्नावहाई रोड, मद्रास |
| 12. | तमिलनाडु | मद्रास | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) कोरुकुपेट, मद्रास –21 |
| 13. | तमिलनाडु | मद्रास | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), उत्तर रेल टर्मिनल रोड, रोयापुरम, मद्रास |
| 14. | तमिलनाडु | मद्रास | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड विमानन ईंधन स्टेशन, मीनाम बक्कम विमानपत्तनम, मद्रास । |
| 15. | तमिलनाडु | मद्रास | इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, ट्यूब फलेंडींग पलांट, एरे हाई रोड, तोनियारपेट तिरुवेथियार डाकघर, मद्रास–81 । |
| 16. | महाराष्ट्र | मुम्बई | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), सरकारी खाद्यान्न गोदामों के निकट, वडालक, मुम्बई–31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 17. | महाराष्ट्र | मुम्बई | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन, लिमिटेड (विपणन प्रभाग), टाटा ताप विद्युत संयंत्र के पास ट्राम्बे, कोरोडोर मुम्बई-74 |
| 18. | महाराष्ट्र | मुम्बई | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), राजबहादुर मोतीलाल रोड, पुणे । |
| 19. | महाराष्ट्र | मुम्बई | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), सेवारी रेल स्टेशन के सामने, मुम्बई-15 |
| 20. | महाराष्ट्र | मुम्बई | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, सान्ताक्रुज विमानपत्तन, मुम्बई--29 |
| 21. | कर्नाटक | बंगलौर | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड (वपणन प्रभाग), नागदी रोड, पोस्ट बाक्स सं. 3, बंगलौर -23 |
| 22. | कर्नाटक | बंगलौर | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, बंगलौर विमान पत्तन बंगलौर । |
| 23. | ग्रान्ध्र प्रदेश | हैदराबाद | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, विमानन ईंधन स्टेशन, विमाननपत्तन, हैदराबाद । |
| 24. | पंजाब | जालंधर | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), रेल गुडस शैड रोड, जालंधर । |
| 25. | हरियाणा | ग्रम्बाला छावनी | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), बल्क सेंटर, ग्रम्बाला छावनी |
| 26. | हरियाणा | हिसार | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), हिसार। |
| 27. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) ग्ररमापुर, कानपुर । |
| 28 | महाराष्ट्र | नागपुर | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), मोतीबाग, नागपुर । |
| 29. | पश्चिमी बंगाल | कलकत्ता | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), दमदम विमानन ईंधन स्टेशन, दम-दम विमानपत्तन, कलकत्ता । |
| 30. | पश्चिमी बंगाल | पहाड़पुर | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), पहाड़पुर प्रतिष्ठान, पश्चिमी बंगाल । |
| 31. | पश्चिमी बंगाल | कलकत्ता | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, विपणन प्रभाग) मोरी ग्राम प्रतिष्ठान डाकघर राधादासी, जिला हावड़ा । |
| 32 | पश्चिमी बंगाल | 24-परगना | इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), बजबज प्रतिष्ठान डाकघर बज बज 24 परगना, पश्चिमी बंगाल । |
| 33. | ग्रसम | गोहाटी | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, विपणन प्रभाग गोहाटी प्रतिष्ठान, गोहाटी । |
| 34. | बिहार | पटना | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) पटना प्रतिष्ठान, पटना । |
| 35. | उत्तर प्रदेश | ग्रागरा | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग)., खेरिया विमान क्षेत्र, ग्रागरा-3 |
| 36. | केरल — | तूतीकोरिम | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), तूतीकोरिम प्रतिष्ठान बंदरगाह परियोजना परिसर, तूतीकोरिम- 4 |
| 37. | उड़ीसा | कटक | इंडियन ग्राइल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) सिकारपुर, डाकघर, चौधरीगंज कटक । |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 38. | गोवा | वास्कोडिगामा | इंडियन आइल कार्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), वास्कोडीगामा, गोवा |
| 39 | कर्नाटक | मंगलूर | इंडियन आइल कार्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) मंगलूर प्रतिष्ठान, मंगलूर |
| 40 | उत्तर प्रदेश | कानपुर | इंडियन आइल कार्पोरेशन लिमिटेड (परिष्करणी और पाइप लाइन्स प्रभाग), कानपुर स्टेशन आरमपुर, कानपुर । |
| 41 | राजस्थान | जयपुर | इंडियन आइल कार्पोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), मंडल कार्यालय, चोमू हाउस गर्जाडेर्मी के सामने पोस्ट बाक्स सं. 811 जयपुर–302001 |
| 42. | राजस्थान | जयपुर | इंडियन आइल कार्पोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग), जयपुर डिपो, जयपुर दक्षिण जयपुर । |

[सं. एस 38014/28/84 –एचआई]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन संबंधी प्रक्रिया में समय लग गया था। किन्तु, यह प्रमाणित किया गया जाता कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, 14th June, 1985

S.O. 3160.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the factories, specified in the schedule annexed hereto belonging to the Indian Oil Corporation Limited, Bombay, from the operation of the said Act for a period with effect from 1st January, 1984 upto and inclusive of the 30th September, 1985.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the name and designations of the exempted employees;

(2) Not withstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such informations as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to exammine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory establishment, office or other premises.

SCHEDULE

| Sl. No. | Name of the State or Union Territory. | Name of Area | Name of factory |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Andhra Pradesh | Visakhapatnam-I | Indian Oil Corpn. Ltd. (Marketing Divn.) Post Box No.54, Malkapuram Installation Visakhapatnam-I |
| 2. | Andhra Pradesh | Secunderabad | Indian Oil Corporation Ltd. (Marketing Division) Post Box No.1634, RRC Ground, Secunderabad |
| 3. | Andhra Pradesh | Vijayawada | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division) Station Road, Vijayawada. |
| 4. | Andhra Pradesh | Secunderabad-14 | Indian Oil Corporation Ltd., Aviation Fuel Station, Post Office Hakimpet Air Force Station, Secunderabad-14. |
| 5. | Delhi | Delhi | Indian Oil Corporation Ltd. (Marketing Division) L.P.G. Bottling Plant, Shakurbasti. Delhi-26. |
| 6. | Delhi | Delhi | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Opposite Sivaji Park, Shakurbasti, Delhi-26. |
| 7. | Delhi | Delhi | Indian Oil Corporation Ltd., Aviation Fuel Station, Sadar Bazar Road, Near More Line, Palam, Delhi Cantt.-10 |
| 8. | Kerala | Cochin | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Cochin Refinery Installation, Post Box No. 8, Tripunith Via Cochin. |
| 9. | Kerala | Cochin | Indian Oil Corporation Ltd. (Marketing Division), Cochin Post Box No. 525, Willington Island Harbour Road, Cochin-3. |
| 10. | Kerala | Cochin | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division) Mashaka Road, Post Bag 1759, Ernakulam, Cochin-16. |
| 11. | Tamil Nadu | Madras | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division) Ennore High Road, Madras. |
| 12. | Tamil Nadu | Madras | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division) Korukupet Madras-21. |
| 13. | Tamil Nadu | Madras | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division) North Railway Terminus Road, Royapuram, Madras. |
| 14. | Tamil Nadu | Madras | Indian Oil Corporation Ltd, Aviation Fuel Station, Meenambakkam Airport, Madras. |
| 15. | Tamil Nadu | Madras | Indian Oil Corporation Ltd., Tube Blending Plant, Ennere High Road, Teniarpet, Tiruvonthiyar Post, Madras-81 |
| 16. | Maharashtra | Bombay | Indian Oil Corporation Ltd. (Marketing Division) Nea Government Food Grains Godowns Wadala, Bombay-31 |
| 17. | Maharashtra | Bombay | Indian Oil Corporation Ltd. (Marketing Division) near Tata Thermal Power Plant Trombay, Corridor Road Bombay-74. |
| 18. | Maharashtra | Bombay | Indian Oil Corporation Ltd. (Marketing Division) Rajbahadur Motilal Road, Poona |
| 19. | Maharashtra | Bombay | Indian Oil Corporation Ltd. (Marketing Division) Opposit Sewaree Railway Station Bombay,-15. |
| 20. | Maharashtra | Bombay | Indian Oil Corporation Ltd. Aviation Fuel Station Santa Cruz Airport, Bombay-29. |
| 21. | Karnataka | Bangalore | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division) Nagadi Road, Post Bag No. 3 Bangalore-23. |
| 22. | Karnataka | Bangalore | Indian Oil Corporation Ltd Aviation Fuel Station, Bangalore Airport, Bangalore. |
| 23. | Andhra Pradesh | Hyderabad | Indian Oil Corporation Ltd. Aviation Fuel Station, Airport, Hyderabad. |
| 24. | Punjab | Jullunder | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division) Railway Good Shed Road, Jullunder |
| 25. | Haryana | Ambala Cantonment | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Bulk Centre, Ambala Cantonment. |
| 26. | Haryana | Hissar | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Hissar. |
| 27. | Uttar Pradesh | Kanpur | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Armapore, Kanpur. |
| 28. | Maharashtra | Nagpur | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Moti Bagh, Nagpur. |
| 29. | West Bengal | Calcutta | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Dum-Dum Aviation Fuel Station, Dum-Dum Airport, Calcutta. |
| 30. | West Bengal | Paharpur | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Paharpur Installations, West Bengal. |
| 31. | West Bengal | Calcutta | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Mourigram Installations Post Office Radh-dasi, Distt. Howrah. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 32. | West Bengal | 24-Parganas | Indian Oil Corporation Ltd. (Marketing Division), Budge Budge Installations Post Office Budge Budge, 24 Parganas, West Bengal. |
| 33. | Assam | Gauhati | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Gauhati Installation, Gauhati. |
| 34. | Bihar | Patna | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Patna Installation. Patna. |
| 35. | Uttar Pradesh | Agra | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Kheria Air Field, Agra-3. |
| 36. | Kerala | Tuticorin | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Tuticorin Installations, Harbour Project Premises, Tuticorin-4. |
| 37. | Orissa | Cuttack | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Shikarpore, P.O., Chauliganj Cuttack. |
| 38. | Goa | Vasco-de-Gama | Indian Oil Corporation Ltd., (Marketing Division), Vasc de-Gama, Goa. |
| 39. | Karnataka | Mangalore | Indian Oil Corporation Ltd.. (Marketing Division), Mangalore Installations Mangalore. |
| 40. | Uttar Pradesh | Kanpur | Indian Oil Corporation Ltd. (Refineries and Pipe Line Division), Kanpur Station Armapur, Kanpur. |
| 41. | Rajasthan | Jaipur | Indian Oil Corporation Ltd.. (Marketing Division), Divisional Office, Chome House, Opposite Residency, P.O. Box No.811, Jaipur-302 001. |
| 42. | Rajasthan | Jaipur | Indian Oil Corporation Ltd. (Marketing Division), Jaipur Depot, Jaipur South, Jaipur |

[No. S-38014/28/84-H

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the proposal for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 17 जून, 1985

का. आ. 3161.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. [illegible] तारीख [illegible] अक्तूबर 1984 के क्रम में, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कारखानों के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्तूबर, 1984 से 30 सितम्बर, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देता है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे वापस नहीं किए जाएंगे,

(4) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1959 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :—

(1) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ,

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं, या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफल स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि इस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा —

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझते हैं; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय

से सम्बन्धित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे, जिसे वे आवश्यक समझें, या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को, उसके अभिकर्ता या सेवक को, या ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाये जाएं, या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

अनुसूची

| क्रम संख्या | एकक का नाम |
|---|---|
| 1. | विपणन और विक्रय प्रभाग, नई दिल्ली |
| 2. | ट्रान्सफार्मर संयंत्र, झांसी, |
| 3. | भाप टर्बाइन विनिर्माण एकक, हरिद्वार, और |
| 4. | उच्च दाब बायलर संयंत्र, तिरुची |

[संख्या एस/38014/15/84-एस. आई.]

स्पष्ट कारण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुआ था। किन्तु, यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 17th June, 1985

S.O. 3161.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4325 dated the 26th November, 1984 the Central Government hereby exempts the regular employees of the units of Bharat Heavy Electricals Limited specified in the schedule annexed hereto from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from 1st Oct. 1984 upto and inclusive of the 30th September, 1985.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to :—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary, or

(b) enter any factory, establishment, or other premises occupied by office such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

THE SCHEDULE

| S.No. | Name of the Unit |
|---|---|
| 1. | Marketing and Sales Division, New Delhi. |
| 2. | Transformer Plant, Jhansi. |
| 3. | Steam Turbine Manufacturing Unit, Hardwar; and |
| 4. | High Pressure Boiler Plant, Tiruchy. |

[No. S-38014/15/85-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का. आ. 3162.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 165, तारीख 4 जनवरी, 1982 के क्रम में मार्घेरिटा वर्कशाप, नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, कोल इंडिया लि., मार्घेरिटा, असम के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्तूबर, 1982 से 30 सितम्बर, 1985 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छूट देती है।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे,

(2) इस छूट के होते हुए भी कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते,

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे,

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी,

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या उस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी :

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों का सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं या

(vi) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं, निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखे, बहियां और अन्य दस्तावेजें, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या/उसमें उद्धरण लेना।

[सं. एस.-38014/3/81-एच. आई.]

ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 3162.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 165, dated the 4th January, 1982, the Central Governmnet hereby exempts the regular employees of Margherita Workshop, North Eastern Coalfields, Coal India Limited, Margherita, Assam from the operation of the said Act for a period with effect from 1st October, 1982 up to and inclusive of the 30th September, 1985.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of :—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to :—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, officer other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S.-38014/3/81-HI]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

## EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 19 जून, 1985

का. आ. 3163.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार हैसालांग कोलियरी, मैसर्स सैण्ट्रल कोलफील्डज लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17-3-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 19th June, 1985

S.O. 3163.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Hesalong Colliery, Central Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th June, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 19 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Hesalong Colliery of M/s. Central Coalfields Ltd. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate

On behalf of the workmen—None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, the 11th June, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act. 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(16)/84-D.IV (B) dated, the 28th February, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Heselong Colliery of M/s. Central Coalfields Ltd. in dismissing Shri Dina Ganihi, Loader, w.e.f. 12-4-83 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

The union raising the dispute did not file the statement of claim documents and list of witnesses during the relevant period and as such the Court issued notices for filling the same. After two adjournments the Secretary of the United Coal Workers Union, who had raised the dispute on behalf of the workmen, filed a petition that the dispute in question no longer survives and as such no dispute award may be passed in the reference. It is further stated that there has been amicable settlement between the management and the concerned workmen and that the settlement arrived at between them has already been implemented. A copy of the terms of settlement has also been attached along with the petition filed by the Secretary of the Union. The management also has filed a petition that the matter was actually settled and the concerned workman has been given employment on humanitarian consideration. In view of the fact that the parties have actually settled the dispute and the settlement has been given effect to there is no need to proceed further in the reference. In view of the above "No dispute award" is passed in the present reference.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012(16)/81-D.IV (B)]

R. K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली 21 जून 1985.

का. आ 3164.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14 जून 1985 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 21st June, 1985

S.O. 3164.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th June, 85.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 43/83

In the matter of dispute between :

Shri Babu Lal s/o Late Shri Nanga Ram, r/o H. No. 3954, Sadar Bazar.

Versus

Life Insurance Corporation of India, Jeevan Prakash Building, 25, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.

APPEARANCES :

Mrs. Ashok Jain—for the workman.

Shri Ravinder Sethi—for the Management. with Sh. C. P. Sharma & Sh. K. K. Sharma.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 29th September, 1982 vide Order No. L-17012/22/81-D.II.(A) made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India in relation to its Divisional Office at Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, in retiring from services, Shri Babu Lal, Peon, with effect from the 28th December, 1980, is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. Mr. Babu Lal was retired by the Life Insurance Corporation of India by letter dated 2/4-4-80 w.e.f. 28-12-80 on the ground that he reached the age of superannuation at 60 years in December, 1980 on the basis of his date of birth accepted by them as 28-12-20.

3. The workman asserts that he was infact born on 29-5-30 and he submitted all possible proofs in support of his request for correction of his date of birth but the Management did not do so and requests the Tribunal to direct the Management to reinstate him in service with continuity of service and back wages with retirement on 28-5-90.

4. The Management of Life Insurance Corporation of India contested the workman's claim and asserted that the workman had himself given his date of birth as 3/Pous 1977 Vikrami corresponding to 28-12-1920 in the erstwhile insurer "Aryasthan Insurance Co Ltd" which he joined on 1st August 1957 where he mentioned that he had earlier served another insurance company Indian Life Insurance company from 1-8-46 to 30-11-54 as Office Peon,

5. The Life Insurance Corporation of India is said to have verified his date of birth and the workman had also taken out an Insurance Policy in 1957 where he declared his date of birth as 28-12-80 and the same was verified on the basis of a certificate issued to the workman with the same date of birth. The Municipal certificate of date of birth filed by him was said to be not applicable to him at all and the workman's claim was said to be false about his having been born in 1930 when his father died in 1924 according to the family history given by him in his proposal form for insurance. He did not submit any credible listed document for correction of his date of birth.

6. The matter has been tried and I have heard the parties representatives.

7. The representative of the workman urged that the workman studied in a school which was no longer in existence and could not submit a school leaving certificate and that he was partially literate having studied upto 4th class and did not know the documents where he signed and the documents were not correct and that he submitted birth certificate as also particulars of the family but the Management was unresponsive. The workman had in fact even offered to be medically examined in relation to his age, but the Management did not accept that offer.

8. In my opinion the workman has no case. The workman has himself filed the certificate dated 8th November, 1954 from Branch Manager of Indian Life Insurance Company Limited, where it is certified that Babu Lal served under him for about 9 years as Office Peon. This confirms the information contained in M-18 form of the Aryasthan Insurance Company Limited about the workman working as office-peon with Indian Life Insurance Company from

1-8-46 to 30-11-54 M. 18 is admittedly signed by the workman and this mentions his date of birth as 3rd Pous 1977 VIKRAMI. The workman, in his proposal for Life Insurance document M-24, mentioned his age as 33 in 1957, and further mentioned that his father died in 1924 and he also gave original Horoscope in respect of his date of birth being in the year 1920. He also got the certificate M-21 issued from the Sr. Divisional Manager of LIC certifying his date of birth as 28-12-20 on the basis of horoscope, and the Life Insurance Corporation accepted his proposal of life insurance and date of birth of Babu Lal as 28-12-20.

9. In this situation, it is impossible to believe that the workman was born in 1930, when he himself mentions that his father died in 1924 and he also filed horoscope with the Management claiming the year of birth as 1920. He could not have been taken in service of Indian Life Insurance Company in 1946, when he was only a minor of 16 years of age, if he was born in 1930.

10. The birth entry relied upon by the workman is one where no name of the child is mentioned and, on its face, the document produced does not refer to the workman.

11. The workman has no evidence worthwhile to connect the alleged birth-entry to his own birth, and there is weighty evidence, to the knowledge of the workman, against the date of birth, now claimed by him. The workman has already withdrawn from the LIC his Provident Fund and Gratuity without objection.

12. It appears to me that the LIC Management is right. They verified his date of birth in 70-71 and again in 1975 as December, 1920, and they also accepted his proposal for insurance on his year of birth as 1920, from Original horoscope filed by him. In this situation, for Babu Lal to claim date of birth in 1920 is nothing short of attempt to prolong his service on false representations. The Management has a list of documents on which they can rely for changing the date of birth, and 10 documents are there in that schedule. The workman produced only an extract of Register of births and deaths, which has not been proved to relate to him, and other record with the Management is against him, including the original horoscope that he filed for the purpose of verification of date of birth in respect of proposal for insurance made in 1957.

13. The plea set-up by the workman Babu Lal is wholly without any substance, and the workman is not entitled to any relief. The action of the Management does not call for any interference, and he was properly retired on reaching the age of superannuation, in accordance with the workman's own submissions and records to his knowledge, and the attempt by the workman to increase his working-life, a year before his retirement seems to have been prompted by misinformation or worse. He is not entitled to any relief. Award is made accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L-17012/22/81-D. II(A)/D. IV(A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जून, 1985

का. आ. 3165.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. चउगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10 जून, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 28th June, 1985

S.O. 3165.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. II, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Chowgule & Co. Private Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th June, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande,
Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/2 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the Management of M/s. Chowgule & Co. Pvt. Ltd.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri D. P. Sinha, Manager Industrial Relations.

For the Workman.—No appearance.

INDUSTRY : Mining STATE : Goa, Daman and Diu.

Bombay, the 27th May, 1985

AWARD

By their order No. L-29012/52/84-D. III. B dated 7-1-1985 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act by the Central Government on receipt of the failure report from the Conciliation Officer :—

"Whether the management of M/s. Chowgule & Co. Pvt. Ltd., are justified in terminating the services of Shri Arjun Baswant Sawant, watchman, with effect from 6-9-1983 If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Although notices were issued to the parties including the workman no regular statement of claim was filed as required under Rule 10B of the Industrial Disputes Central Rules. By his writing received on 11-2-1985 the workman merely informed to have sent a copy of statement and documents to the management but the said fact has been denied by the management in their say dated 23-5-1985. What the workman had sent was a copy of Photograph and photocopy of Cash payment voucher but by themselves they are not going to advance his case. There is also a copy of letter dated 12-7-1983 addressed to Mr. Parshuram D. Bhergaonkar but it has no relevance to the matter on hand.

3. Against this there is the written statement filed by the management who have denied the relationship of employer-employee between the parties and further stated that the applicant was serving under the contractors and was never in the service of M/s. Chowgule & Co. Pvt. Ltd.,

4. Since neither the workman filed any statement of claim nor was he present on the dates of hearing although the date was fixed at Goa for his convenience, nor adduced any evidence in support of his contention the reference fails and has to be rejected.

Award accordingly.

Dated : 28-5-85.

Sd/-

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-29012/52/84-D. III(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110064, 1985